सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA

41वीं वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020

भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020)

नई दिल्ली

मुद्रण : अजित स्क्रीन ग्राफिक्स, बी-244, (बैक साइड)
नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली-110028

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद

13वीं सेवावधि

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री चन्द्रमणि रघुवंशी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, बिजनौर टाईम्स, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
श्री प्रदीप कुमार जैन	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, विश्व परिवार, हिंदी दैनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़
श्री ओमप्रकाश खेमकरनी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, मेहनत, पंजाबी दैनिक, पंजाब
श्री सैय्यद रजा हुसैन रिजवी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, त्रिगुट, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डा. बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	ग्रुप संपादक, एक्सप्रैस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अमर देवुलापाल्ली	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, साक्षी, तेलगु दैनिक, हैदराबाद
श्री बलविंदर सिंह जम्मू	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और प्रेस एसोसिएशन	मुख्य संवाद्दाता, पंजाबी ट्रिब्यून, पंजाबी दैनिक, चंडीगढ़
श्री एम ए मजिद	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	श्रमजीवी पत्रकार, आदाब तेलागांना, उर्दू दैनिक, हैदराबाद
श्री कमल नैन नारंग	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	फोटो पत्रकार, द हिंदु बिजनस लाईन, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री छायाकांत नायक	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, द शिलांग टाईम्स, अंग्रेजी दैनिक, शिलांग
श्री जयशंकर गुप्ता	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
*श्री आनन्द प्रकाश राणा	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	विशेष सम्पर्की, हरि भूमि, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख))		
श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	राष्ट्रदूत, हिंदी दैनिक, जयपुर
**श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	आज समाज, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
***रिक्त		
***रिक्त		
श्री श्याम सिंह पंवार	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	जनसामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री केशव दत्त चंदौला	एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी एडं ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन	राजपूत मर्यादा, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

* स्वर्गीय श्री पर्वत कुमार दास, भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य के स्थान पर प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(क) के अंतर्गत सदस्य के रूप में राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 19.03.2020 द्वारा नामित।

** स्वर्गीय श्री विजय कुमार चोपड़ा, भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य के स्थान पर प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ख) के अंतर्गत सदस्य के रूप में राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 18.11.2019 द्वारा नामित।

*** मध्यम समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों की श्रेणी में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.4.2018 को रोक आदेश की मंजूरी दी गई, हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 4.2.2020 को दिया गया है और इस संबध में विचारार्थ प्रक्रिया चल रही है ।

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
	समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग))	
श्री अशोक उपाध्याय	यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई)	संपादक, यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई) नई दिल्ली
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ))	
प्रो० (सुश्री) सुषमा यादव	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
#श्री शैलेन्द्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
##रिक्त	साहित्य अकादमी	
	लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ड.))	
###रिक्त	(लोक सभा)	
### रिक्त	(लोक सभा)	
####रिक्त	(लोक सभा)	
#####श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य	(राज्य सभा)	
श्री स्वप्न दासगुप्ता, संसद सदस्य	(राज्य सभा)	

सचिव : अनुपमा भटनागर

\# श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद के स्थान पर प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) (घ) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 13.12.2019 द्वारा नामित।

\## राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 27.04.2018 द्वारा डॉ. के.श्रीनिवासराव का कार्यकाल दिनांक 14.03.2020 को समाप्त हो गया ।

\### परिषद की बैठक दिनांक 15.2.2019 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के अनुसार चार सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई।

\#### 16वीं लोक सभा के भंग होने पर प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(3) के तहत श्रीमती मीनाक्षी लेखी की सदस्यता दिनांक 23.5.2019 से समाप्त।

\##### डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे, संसद सदस्य, राज्यसभा के स्थान पर राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 13.9.2019 द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ङ) के अंतर्गत अधिसूचित ।

विषयसूची

प्राक्कथन

वर्ष की विशिष्टताएँ 1

अध्याय I परिषद की भूमिका और कार्य 8

अध्याय II समीक्षा 11

अध्याय III प्रेस की स्थिति 25

अध्याय IV प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों के अंतर्गत न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण। 52

अध्याय V प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों के अंतर्गत न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण। 64

अध्याय VI परिषद का वित्त, 2019-2020 80

संलग्नक

क 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च 2020 तक मामलों का विवरण 110

ख प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों के न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 13 के अंतर्गत)। 111

ग प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों के न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 14 के अंतर्गत)। 129

घ न्यायनिर्णयन (2019-2020) का आलेख 162

ङ श्री राकेश सिन्हा, सांसद, राज्य सभा को धारा 5(3)(ङ) के तहत डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद राज्य सभा की एवज में सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 13.9.2019 163

च	श्री राकेश शर्मा, कार्यकारी निदेशक, आज समाज, को धारा 5(3)(ख) के तहत स्वर्गीय विजय कुमार चोपड़ा की एवज में सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 18.11.2019	164
छ	श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद, को धारा 5(3)(घ) के अंतर्गत श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद के स्थान पर सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 13.12.2019	165
ज	श्री आनंद प्रकाश राणा, विशेष सम्पर्की, हरि भूमि को धारा 5(3)(क) के तहत स्वर्गीय श्री पर्वत कुमार दास की एवज में सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 19.3.2020	166
झ	प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची (2019-2020)	167
ञ	प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची।	173
ट	प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची।	175

प्राक्कथन

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलावा स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस, प्रभावी चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है। प्रेस के पास जनमत बनाने और उसे प्रभावित करने की अभूतपूर्व शक्तियां हैं, जोकि कुशलता और गतिशील रूप से कार्य करने में लोकतंत्र की मदद करती है। हालांकि, इस समुचित संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से गहन जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेस को यह अपार शक्ति मिली है। जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद लगातार सौहाद्र को बढ़ावा देने और प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के पत्रकारिता मानकों के सुधार और रखरखाव के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

भारतीय प्रेस परिषद का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था और यह इस समय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रही है, जिसके अधिकतर सदस्य प्रेस जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी सांविधिक अधिनिर्णयन संरचना प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और उसमें सुधार करने की दिशा में सेवारत है।

वर्ष के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद ने पिछले मामलों (बैकलॉग) का सफलतापूर्वक निपटान कर लिया है। कुल मिलाकर, इसने प्रेस के खिलाफ या प्रेस द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से दर्ज किए गए कुल दो सौ एकहत्तर मामलों में न्यायनिर्णय दिए हैं। परिषद ने अपनी स्व-प्रेरणा संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए, पत्रकारिता संबंधी दायित्व का निर्वाह करते हुए पत्रकारों / संपादकों पर हमले किए जाने, उन्हें कथित रुप से धमकी दिए जाने या हमलों की उनचास कथित घटनाओं पर संज्ञान लिया है। ऐसे मामलों में, भारतीय प्रेस के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद ने

पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के संबंध में और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के मामलों में कई राज्य के प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

अपनी सलाहकार क्षमता के तहत, भारतीय प्रेस परिषद ने केंद्र सरकार से प्राप्त मामलों पर अपना मत व्यक्त किया है और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के मुद्दों पर प्राधिकारियों के आचरण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में मीडिया की स्थिति के बारे में मीडिया जगत से कई अभ्यावेदन मिलने पर और राज्य से विशेष दर्जा वापिस लिए जाने के बाद, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों की एक उप-समिति ने मूल्यांकन करने के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। मिर्ज़ापुर, यू.पी. में मिड-डे मील स्कीम को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने के कारण संबद्ध पत्रकार को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के आरोपों का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद की एक टीम ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लोकसभा और कई राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया को चुनावों में कोई अवांछित प्रभाव डालने से रोकने के लिए मीडिया परामर्शिका जारी की। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसने मानसिक रोगियों और आत्महत्या के मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए मीडिया के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं और पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण, 2019 को अद्यतन किया है।

भारतीय प्रेस परिषद ने दिनांक 16 नवम्बर, 2019 को 53वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम. वैंकैया नायडू ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की उपस्थिति में समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर पत्रकारों को, पत्रकारिता क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्तीय रिपोर्टिंग और लिंग आधारित रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में गुणवत्ता मीडिया

कवरेज को प्रोत्साहित करने के लिए दो नई पुरस्कार श्रेणियां शुरू की गईं। एक स्मारिका और प्रेस परिषद निर्देशिका भी जारी की गई।

दुनिया भर में, प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए और उसके मानकों तथा स्तर को बढ़ावा देने के लिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार की प्रेस / मीडिया परिषदों के साथ बैठकें कीं ताकि एक-दूसरे को समझ सकें और उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिनके लिए वे आपसी सहयोग से स्थापित किए गए हैं।

यह रिपोर्ट पूर्ण परिषद की कई बैठकों और इसकी जांच समिति की बैठकों के परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। प्रेस परिषद के कामकाज के बारे में प्रेस जगत और आम जनता के बीच जागरूकता की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हुए, कई राज्यों में ये बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

मैं, इस अवसर पर, परिषद के प्रभावी कामकाज के लिए परिषद के सदस्यों की प्रतिबद्धता के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं, परिषद के कामकाज में सुधार के लिए इसके सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और निष्ठा की भी सराहना करता हूं।

इस प्रकार, मैं इस आशा के साथ, यह वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि यह रिपोर्ट उनके लिए हितकारी साबित होगी और उन्हें परिषद के कामकाज के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रदान करेगी।

नई दिल्ली
31-3-2020

न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

वर्ष की मुख्य विशिष्टताएँ

राष्ट्रीय प्रेस दिवस का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वैंकैया नायडू और माननीय सूचना और प्रसारण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्रमश: मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में किया ।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये ।

इस अवसर पर, "रिपोर्टिंग व्याख्या : एक यात्रा" विषय पर स्मारिका का विमोचन किया गया । इसमें उक्त विषय पर विभिन्न अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और हितधारियों के विचार दिये गए ।

पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2019 अद्यतन संस्करण राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के दौरान जारी किया गया ।

परिषद की पहली निदेशिका, जिसमें 16.11.2019 तक परिषद के सभी अध्यक्षों, सदस्यों और सचिव की जानकारी दी गई थी, का विमोचन।

16.11.2019 को परिषद की पहली निदेशिका का विमोचन

परिषद ने 16 जांच समिति की बैठकें कीं। शिकायतकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, परिषद हर साल देश के विभिन्न शहरों, जहाँ से अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, में जाँच समिति की कुछ बैठकें आयोजित करती है ।

26-27 जून 2019 को हैदराबाद में जांच समिति की बैठक

8-9 जुलाई, 2019 को पटना में जांच समिति की बैठक।

23-24 अक्तूबर, 2019 को जयपुर में जांच समिति की बैठक।

प्रयागराज में 17-18 दिसंबर 2019 को जांच समिति की बैठक

इस वर्ष से परिषद ने पत्रकारिता के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम आरंभ किये हैं ।

भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष और सचिव के साथ ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम, 2019 के प्रशिक्षु ।

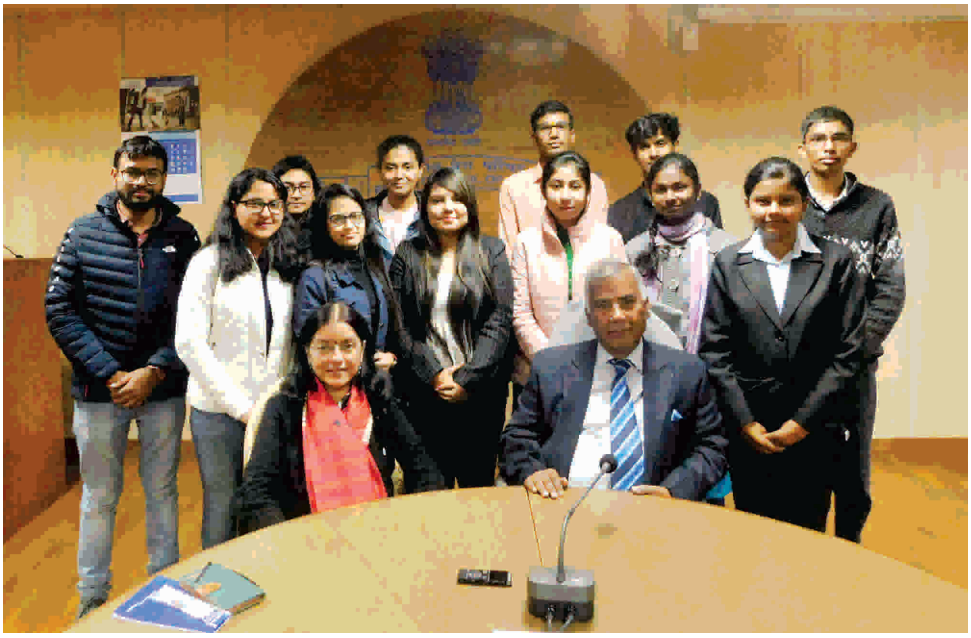

भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष और सचिव के साथ शीतकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम, 2020 के प्रशिक्षु।

परिषद में 16.01.2020 से 31.01.2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान फाइलों की समीक्षा/छटाई तथा कार्यालय का सौंदर्यीकरण किया गया था।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2020 - कार्यशाला

परिषद में 22.06.2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें दैनंदिन योग पर एक सत्र का आयोजन किया गया। योग विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण दिया, और योग के महत्त्व के बारे में बात की, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

अध्याय - I

परिषद की भूमिका और कार्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध-न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी पुनः स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतन्त्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचारपत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों के स्तर को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई है। इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत समान दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित किया गया था। हालांकि 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया था और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, इसी तर्ज़ पर 1965 के अधिनियम के रूप में एक नया अधिनियम बनाया गया और वर्ष 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम,1978 के तहत प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई।

परिषद एक निगमित निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसमें अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) तथा परिषद के 28 सदस्यों में से ही उनके द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति होता है। 28 सदस्यों में से 13 श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से 6 समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष 7 संपादकों से भिन्न अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। 6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जोकि समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या समाचारपत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं, 2 सदस्यों में से प्रत्येक बड़े, माध्यम व छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होता है जोकि समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते है। इसके 5 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और 2 राज्य सभा के सभापति द्वारा पाठकों की अभिरूचि/जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाते हैं। इसके 3 सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ

परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है जो क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है जिसमें यह स्व-प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकती है और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त कर सकती है। जन-महत्त्व के मामलों में भी अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद, स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकती है और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

अधिनियम की धारा के तहत परिभाषित आने उद्देश्यों में आगे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने आवश्यक है, उसमें समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना है; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रूचि के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे और उनमें अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; ऐसी किसी घटना पर नज़र रखना जिसमें लोक रूचि और लोक महत्त्व के समाचारों के प्रचार-प्रसार को रोकने की संभावना हो; समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में लगे हुए सभी श्रेणियों के लोगों में समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना; और ऐसी किसी घटना जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या अन्य पहलुओं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करना।

इस निकाय का उद्देश्य इस संकल्पना में निहित है कि एक लोकतान्त्रिक समाज में, प्रेस का भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना ज़रूरी है। अतः यह नैतिक मूल्यों और मानकों के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप

आचार संहिता तैयार करती रही है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में की एक नई भावना को जगाना है। परिषद लगातार जांच करती रहती है कि प्रेस अनैतिक लेखन से दूर रहे और परिषद अपने नैतिक प्राधिकार के कारण भी पत्रकारिता जगत में नीतिशास्त्र की भावना भरती है जो सदैव कानून से बढ़कर होती है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्यायनिर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरूद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों का उल्लंघन या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कार्य किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को जैसाकि धारा 14 के तहत निर्दिष्ट है, किसी भी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी, जैसी वह उचित समझें, करने का भी अधिकार प्राप्त है। यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

परिषद, संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के कारण, अपने फंड्स का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, हालांकि इसके पास अपने फंड्स भी होते हैं जो समाचारपत्रों से उनकी ग्रेडेड संरचना के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं।

अध्याय - II

परिषद की कार्यप्रणाली

प्रेस परिषद विनियम, 1979 की धारा 3 के अनुसार (बैठकों और कार्य संचालन की प्रक्रिया) किसी एक वर्ष में परिषद की साधारण बैठक चार माह से कम नहीं होगी और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल सामान्यत: चार माह से अधिक नहीं होगा। तदनुसार, परिषद ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पाँच (5) पूर्ण परिषद की बैठकें, एक असाधारण बैठक और विशिष्ट बैठक आयोजित की और प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसरण में, परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निष्पादन के लिए, परिषद को सौंपे गए कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों में से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय-समय पर समितियों का गठन करती है।

अपने कार्य के प्रयोजन के लिए, परिषद पंजीकृत शिकायतों के बारे में जांच करने और तदनुसार अपनी संस्तुतियां देने के लिए जांच समितियों का गठन करती है। परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद द्वारा दो जांच समितियों का गठन किया गया है जिनकी संरचना निम्नानुसार है :-

जांच समिति - I	**जांच समिति - II**
1. श्री स्वप्न दासगुप्ता, सांसद (राज्य सभा)	1. श्री राकेश सिन्हा, सांसद (राज्य सभा)
2. प्रो. (सुश्री) सुषमा यादव	2. श्री जयशंकर गुप्ता
3. श्री राकेश शर्मा	3. श्री चन्द्रमणि रघुवंशी
4. श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	4. श्री ओम प्रकाश खेमकरनी
5. श्री प्रदीप कुमार जैन	5. श्री सैय्यद रज़ा हुसैन रिज़वी
6. डॉ बलदेव राज गुप्ता	6. श्री अमर देवुलापाल्ली

7. श्री आनंद प्रकाश राणा	7. श्री बलविंदर सिंह जम्मू
8. श्री एम.ए. मजिद	8. श्री छायाकांत नायक
9. श्री कमल नैन नारंग	9. श्री राकेश शर्मा
10. श्री केशव दत्त चंदौला	10. श्री श्याम सिंह पंवार
11. श्री अशोक कुमार उपाध्याय	11. श्री शैलेंद्र दुबे

जांच समितियों ने परिषद द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच शुरू कर परिषद के कार्य की बड़ी मात्रा का दायित्व सँभाला। जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है। मामलों के पक्षकारों को मौखिक या दस्तावेजी प्रासंगिक साक्ष्य, प्रस्तुत करने/देने की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिवक्ताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति होती है। जांच समिति ने संबंधित जांच समाप्त करते समय पक्षकारों द्वारा दिए गए अभिलेखों और मौखिक निवेदनों पर विचार किया और मामलों की जांच के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए परिषद को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की। इस वित्तीय वर्ष के दौरान समितियों ने सोलह (16) बैठकें की और 271 मामलों में अपनी संस्तुतियां दीं तथा इस संबंध में रिपोर्ट, मामलों में न्यायनिर्णयों हेतु परिषद को दी।

<u>स्व-प्रेरणा से संज्ञान</u>

मीडिया कर्मियों के विरुद्ध हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के संबंध में परिषद ने निम्नलिखित मामलों में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया :-

1. हिंदुस्तान के पीलीभीत के संवाददाता श्री संदीप सिंह को प्रतिकूल लेखन के लिए त्यागपत्र देने के लिए विवश करने और पत्रकार को कथित तौर पर बर्खास्त करने के संबंध में।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम (संशोधन) के नियम 170(3) और 170(4) के उल्लंघन में क्लासीफाइड विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए और हिंदुस्तान टाइम्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के संबंध में।

3. चंडीगढ़ में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में।

4. श्री पवन जायसवाल, पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

5. श्री के. सत्यनारायण, आंध्र ज्योति के पत्रकार की मृत्यु के संबंध में।

6 *आंध्र प्रदेश सरकार के विरूद्ध जी.ओ.आर.टी. संख्या 2430 दिनांकित 30.10.2019 के संबंध में।

7. दिल्ली में राजघाट के पास विरोध प्रदर्शन को कवर करने से फोटो पत्रकारों पर कथित हमले, पीटने, दुर्व्यवहार करने और उनको जबरन हटाने के संबंध में।

8. मंगलौर, कर्नाटक के पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में।

9. नव दुनिया समाचारपत्र (हिन्दी), भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

10. शाफ़त, मुंबई द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

11. नई दुनिया द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

12. दीना थंथी दैनिक समाचारपत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

13. दिव्य हिमाचल द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

14. आनंद बाज़ार पत्रिका द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

15. अमर उजाला द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

16. मुंसिफ़ समाचारपत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

17. सियासत दैनिक द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

18. दिनाकरन द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

19. उर्दू टाइम्स, मुंबई द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

20. दैनिक तंथी समाचारपत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

21. उदयवाणी बेंगलुरु द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

22. चित्रसौरभ द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

23. लवाला द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

24. हरि भूमि द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

25. सकल द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

26. एतिमाड दैनिक समाचारपत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

27. द इंकलाब द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

28. कन्नड़प्रभा द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

29. सम्युक्त कर्नाटक द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

30. विजयवाणी मसूरी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

31. दैनिक जागरण पत्रिका द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

32. प्रजावाणी बेंगलुरु द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

33. दिव्य भास्कर द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

34. पत्रिका समाचारपत्र सिटीज़न द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

35. पंजाब केसरी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

36. सिनीवाणी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

37. राजस्थान पत्रिका समाचारपत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

38. नव-भारत द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

39. संदेश द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

40. विजय कर्नाटक बेंगलुरु द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

41. दैनिक भास्कर द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

42. मालई मलार द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

43. रानी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

44. मक्कल ओली द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

45. कांगड़ा केसरी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

46. मालई मलार द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

47. पुढ़ू वसंतम द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

48. दीनामणी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

49. महाराष्ट्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियाँ द्वारा या विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारिता नीति से संबंधित मामलों पर 21 प्रेस प्रकाशनियाँ जारी की।

परिषद के समक्ष शिकायत

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल **985** शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से **263** शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के विरूद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और **722** शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरूद्ध थीं। **(12 मामले मिलाकर, जिनमें 6 मामलों में परिषद ने दोबारा सुनवाई हेतु पुनः विचार किया तथा 6 मामले, शिकायतकर्ता के अनुरोध पर पुनः खोले गए)** पिछले वर्ष के **1142** लंबित मामलों और दिनांक 31.03.2019 को 30 स्थगित मामलों के साथ, परिषद द्वारा निपटान के लिए कुल **2157** मामले थे। इनमें से **1307** मामलों का निपटान वर्ष के दौरान न्यायनिर्णय के माध्यम से या, अध्यक्ष महोदय की मध्यस्थता से निपटान के कारण या जांच के लिए पर्याप्त आधारों की कमी के कारण या जारी न रखे जाने पर, वापिस लिए जाने पर या मामलों के न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा संक्षेप में निपटान के माध्यम से किया गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परिषद ने 22.08.2019 को **413** मामलों का भी निपटान किया **(103 धारा 13 के अंतर्गत और 310 धारा 14 के अंतर्गत)**, जोकि वर्ष 1979 से 2016 तक नहीं मिल पाये। न्यायनिर्णय के लिए परिषद के समक्ष कोई मामला सीधे नहीं रखा गया था। **437 (31.03.2020 तक 30 स्थगित मामले मिलाकर)** मामलों पर वर्ष के अंत में कार्रवाई की जा रही थी।

शिकायतों को दर्ज़ करने और उनके निपटान तथा न्यायनिर्णयन के संबंधित ग्राफ का विस्तृत विवरण (**अनुलग्नक क**) पर है।

इंटर्नशिप

पत्रकारिता वृत्तिकों में ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें जानकारी देने तथा परिषद के अस्तित्व एवं इसके अधिदेश के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख), (ग) और (घ) के तहत परिषद के कार्य के निर्वहन में, परिषद ने वर्ष में दो बार पत्रकारिता छात्रों के लिए योग्यता आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम, यथा ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम एवं शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन 3 जून 2019 से 2 जुलाई 2019 तक किया गया और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

का आयोजन 2 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक किया गया।

देश भर के पत्रकारिता के योग्य छात्रों से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसकी प्रतिक्रिया में, परिषद को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 69 आवेदन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 29 आवेदन प्राप्त हुए। सभी को अवसर देने और पी.ए.एन. इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को योग्यता और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए दस (10) इंटर्न और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए बारह (12) इंटर्न का चयन किया गया।

कार्यक्रम में अभिविन्यास, परिषद के विभिन्न अनुभागों का विवरण, विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक शैक्षिक सत्र और विदाई समारोह शामिल हैं। रिपोर्ट और अन्य विवरण परिषद की वैबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

<u>पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2019</u>

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अनुसार रिपोर्टिंग के मानकों को बनाए रखने और उसमें सुधार करने में प्रिंट मीडिया की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता का निर्माण करने का दायित्व परिषद पर है। परिषद द्वारा दिए गए न्यायनिर्णयों के आधार पर विकसित किए गए मानक, पत्रकारिता के अभ्यास से संबंधित अन्य घोषणाओं को पेड न्यूज़, लिंग आधारित रिपोर्टिंग आदि पर मीडिया के लिए सुबोधगम्य और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसी दृष्टि से, "पत्रकारिता के आचरण के मानक" 2018 संस्करण को अद्यतन किया गया है और 2019 संस्करण का 16 नवम्बर 2019 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विमोचन किया गया।

<u>राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2019</u>

परिषद ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया और विज्ञान भवन, नई दिल्ली में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे और श्री प्रकाश जावडेकर,

माननीय सूचना और प्रसारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री विशिष्ट अतिथि थे। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, ने समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन और सामाजिक बुराइयों जैसे लिंग और जातिगत भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता पर जनमत बनाने में प्रेस एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और मीडिया, विकास संबंधी समाचार और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अधिक से अधिक स्थान प्रदान करे। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया को स्व विनियमन सटीकता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, समाचार योग्यता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि इन महत्वपूर्ण मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।

श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अपने भाषण में ज़ोर दिया कि दायित्वपूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है और उन्होंने फर्जी समाचारों के बारे में भी चिंता व्यक्त की जो इन दिनों पेड समाचार की तुलना में अधिक खतरनाक हैं और इसे प्रभावी तरीके से निपटाया जाए।

न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, पीसीआई, ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाँच डबल्यूज़ (Ws) Who, What, When, Where and Why ('कौन, 'क्या', 'कब', 'कहाँ' और 'क्यों') सुनहरे शब्द हैं जो उचित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का मार्गदर्शन करते हैं। इस अवसर पर, माननीय अध्यक्ष आशावादी थे और उनका मानना था कि कमियों की बात करना भी उन्हें दूर करने का एक मार्ग है। भारतीय मीडिया, जो हमारे राष्ट्र का मुख्य आधार है, सम्मान और ईमानदारी के साथ खड़ा होने के लिए हर दिन बेहतर प्रयास करे।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2019 के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने परिषद के प्रकाशनों जैसे कि परिषद की निर्देशिका (16.11.2019 तक), पत्रकारिता के आचरण के अद्यतन मानक, संस्करण 2019 और स्मारिका 2019 का विमोचन किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्ट पत्रकारिता, 2019 के लिए सात (7) श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए :

'राजा राममोहन रॉय पुरस्कार': श्री गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया।

'ग्रामीण पत्रकारिता': श्री राज चेंगप्पा और श्री संजय सैनी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।

'विकासात्मक रिपोर्टिंग': श्री शिव स्वरूप अवस्थी और श्री अनु अब्राहम द्वारा साझा किया गया।

'फोटो जर्नलिज़्म - सिंगल न्यूज़ पिक्चर': श्री पी.जी. उन्नीकृष्णन और श्री अखिल ई. एस को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।

'फोटो फीचर: श्री शिप्रा दास को सम्मानित किया गया।

'स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग/ स्पोर्ट्स फोटो फीचर': श्री सौरभ दुग्गल को सम्मानित किया गया।

'वित्तीय रिपोर्टिंग': श्री संदीप सिंह और श्री कृष्ण कौशिक को एक ही लेख के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।

'लिंग आधारित रिपोर्टिंग': सुश्री रूबी सरकार और सुश्री अनुराधा मैसकरेनहास द्वारा साझा किया गया।

<u>अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता</u>

विश्व प्रेस परिषद असोशिएशन (WAPC) के निमंत्रण पर, दो सदस्यों श्री कमल नैन नारंग और श्री प्रदीप कुमार जैन का प्रतिनिधिमंडल 11 से 15 सितंबर, 2019 तक होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में भाग लेने बाकू, अजरबैजान गया। बैठक का आयोजन मीडिया और पत्रकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा के लिए किया गया था, जिसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल ने विश्व के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

प्रेस परिषद नेपाल के निमंत्रण पर, दो सदस्यों, श्री ओम प्रकाश खेमकरनी और श्री श्याम सिंह पंवार का प्रतिनिधिमंडल 22 से 25 सितंबर, 2019 तक नेपाल के काठमांडू में स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने गए थे। इस समारोह में विचारधाराओं और सांस्कृतिक विरासत का आदान-प्रदान हुआ।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के प्रेस/मीडिया परिषदों ने "रिपोर्टिंग-व्याख्या: एक यात्रा" विषय पर चर्चा की और वे अपने देश में हो रहे जनादेश, जो जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए उनकी मदद कर रहे हैं को साझा किया।

<u>राजभाषा</u>

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की गई हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2017 में वार्षिक हिन्दी कार्य निष्पादन पुरस्कार योजना (Annual Hindi Performance Award Scheme) शुरू की गई थी। इस संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 3.12.2019 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इसके बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं में भारतीय प्रेस परिषद की सचिव ने योजना के तहत 2016-17 के लिए भारतीय प्रेस परिषद की ओर से सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने अपने शासकीय प्रयोग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। भारतीय प्रेस परिषद, जिसे राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) की धारा 10(4) के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, के सभी कर्मियों, को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही के दौरान आयोजित की गई। परिषद के कर्मचारियों के लाभ के लिए हर तिमाही में राजभाषा से संबंधित कार्यशालायें आयोजित की गई।

14 सितंबर पूरे भारत में "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह, हिन्दी के प्रयोग पर बल देने के लिए, परिषद के सचिवालय में दिनांक

14.9.2019 से 27.9.2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 27 सितंबर, 2019 को मनाया गया। इस अवसर पर परिषद में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर वृत्तचित्र दिखाया गया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिन्दी के महत्व और किस प्रकार हिन्दी दुनिया भर की अन्य भाषाओं से प्रतिस्पर्धा कर रही है, पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद, भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद और सचिव, श्रीमती अनुपमा भटनागर ने संदेश दिये और परिषद के कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिषद में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार साझा किए। समारोह के दौरान, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं के अलावा भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को हिन्दी नोटिंग, ड्राफ्टिंग और टाइपिंग के माध्यम से कार्यालयी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान, विभिन्न तथ्य खोजी समिति की रिपोर्टें, पीआरएबी के आदेश, भारतीय प्रेस परिषद से संबंधित सामग्री को परिषद की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए हिन्दी में तैयार किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेज़ी) की तर्ज़ पर वार्षिक रिपोर्ट (हिन्दी) के प्रकाशन और तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका "प्रेस परिषद समीक्षा" के ई-प्रकाशन के अलावा न्यायनिर्णय, रिपोर्टों और अन्य घोषणाओं को द्विभाषी रूप में रिकॉर्ड किया गया और सर्वसाधारण के समक्ष लाया गया।

<u>पारदर्शिता तंत्र</u>

भारतीय प्रेस परिषद की सचिव कार्यालय की मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद का सतर्कता तंत्र, जिसमें अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सचिव (सीवीओ) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इसने सचिवालय में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने और लड़ने के लिए नियमित और आकस्मिक जांच की।

शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक और बाह्य स्तर पर स्थापित है जिसमें शिकायत निदेशक सचिव, पीसीआई, शामिल हैं। ऐसे व्यथित आम लोग, जो अपनी शिकायतों के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच सभी बुधवार को ऐसा कर सकते हैं। स्टाफ से संबंधित शिकायतों को परिषद के स्टाफ शिकायत अधिकारी जोकि अवर सचिव, श्री टी.गऊ खनगिन हैं, द्वारा देखा जाता है।

परिषद का नागरिक चार्टर, जिसमें संगठन का सभी आवश्यक विवरण दिया गया है, परिषद की शासकीय वैबसाइट पर उपलब्ध है। नागरिकों / मुवक्किलों की संतुष्टि एवं फीडबैक के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा।

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 50 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया ।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2020 परिषद में 16 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक मनाया गया और योग दिवस परिषद सचिवालय में 19 जून, 2019 से 21 जून, 2019 तक आयोजित किया गया।

13वीं सेवावधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में प्रत्येक तीन वर्ष में परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा धारा 5(3)(घ) और (ङ) के तहत नामित सदस्यों के लिए परिषद का 13वां कार्यकाल दिनांक 15.03.2021 को समाप्त होगा तथा धारा 5(3)(क)(ख)और(ग) के तहत परिषद द्वारा नामित सदस्यों के लिए दिनांक 29.05.2021 को समाप्त होगा ।

सदस्यता समाप्त

16वीं लोकसभा भंग होने के साथ साथ, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सांसद, लोकसभा की सदस्यता प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(3) के अनुसार दिनांक 23.5.2019 से समाप्त हो गई।

<u>सदस्यों का नामांकन</u>

- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के अनुसार श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद, राज्य सभा की सदस्यता की समाप्ति पर दिनांक 15.2.2019 को हुई रिक्ति के कारण श्री राकेश सिन्हा, सांसद, राज्य सभा को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) (ङ) के तहत नामित किया गया। (**अनुलग्नक - ङ**)

- स्वर्गीय श्री विजय कुमार चोपड़ा, सदस्य, के आकस्मिक निधन के कारण 5(3)(ख) के तहत रिक्ति के परिणाम स्वरूप, वह व्यक्ति जो बड़े समाचारपत्रों के प्रबंधन का कारोबार करता हो, स्वामी हो या संचालन करता हो के तहत रिक्ति के परिणाम स्वरूप 'आज समाज' के श्री राकेश शर्मा को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) और (5) के साथ पठित धारा 6(6) के प्रावधानों के अनुसरण में, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 18 नवंबर, 2019 द्वारा रिक्त स्थान के लिए सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। (**अनुलग्नक - च**)

- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के अनुसार श्री मनन कुमार मिश्रा की सदस्यता की समाप्ति पर दिनांक 15.2.2019 को हुई रिक्ति के कारण श्री शैलेंद्र दुबे, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद को राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 13 दिसंबर, 2019 द्वारा धारा 5(3)(घ) के तहत नामित किया गया। (**अनुलग्नक - छ**)

- स्वर्गीय श्री पर्वत कुमार दाश के आकस्मिक निधन के कारण धारा 5(3)(क) के तहत रिक्ति के परिणाम स्वरूप संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के तहत हरिभूमि के विशेष सम्पर्की, श्री आनंद प्रकाश राणा को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) और (5) के साथ पठनीय धारा 6(6) के प्रावधान के अनुसरण में, रिक्त स्थान पर राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। (**अनुलग्नक - ज**)

भारतीय प्रेस परिषद के लिए प्लॉट नंबर 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली पर भूमि का आवंटन

भारत सरकार ने वर्ष 1999/2000 में भारतीय प्रेस परिषद को यूएनआई (UNI) के साथ संयुक्त रूप से संबंधित कार्यालयों के लिए संयुक्त भवन के निर्माण हेतु नई दिल्ली में रफी मार्ग पर प्लॉट सं. 9 को आवंटित किया था। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भूखंड के लिए पूरा भुगतान किया गया था और तब से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भवन के निर्माण को संभव बनाने के लिए एमओयूडी के साथ हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके निरंतर प्रयासों के बावजूद मामला रुका हुआ है।

श्रद्धांजलि

परिषद ने, अपने सदस्यों, स्वर्गीय श्री विजय कुमार चोपड़ा और स्वर्गीय श्री पर्वत कुमार और साथ ही समर्पित कर्मचारी, श्री नवीन जोशी जिन्होंने परिषद में वर्ष 1999 से अपनी सेवाएँ दीं, के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक मिनट का मौन धारण किया।

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या उक्त अधिनियम की धारा 8 (ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

दोनों बैंच जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ प्रोफेसर (सुश्री) सुषमा यादव/ श्री उत्तम चन्द्र शर्मा ने इस अवधि (1, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) के दौरान छः (6) बैठकें की और सत्रह (17) अपीलों पर विचार किया। इनमें से दो (2) को समाप्त किया गया और चौदह (14) को अपास्त कर दिया गया तथा एक (1) को स्थगित कर दिया गया। अपीलों का विवरण (**अनुलग्नक झ**) पर है।

अध्याय III
प्रेस की स्थिति

इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बढ़ते वैब न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ एप्लिकेशन के आगमन के साथ प्रिंट मीडिया का प्रभाव कम होने पर भी, समाचारपत्रों ने अपने विश्लेषण की गहराई, दृष्टिकोण और विस्तृत सूचना पर ध्यान देने के कारण पाठकों के बीच अपना स्थान बनाए रखा है । इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंट मीडिया द्वारा अधिकृत स्थान पर उसका ही आधिपत्य होगा भले ही संचरण (Transmission) के तरीके में बदलाव हो ।

समाचारपत्रों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में कार्य करना होता है, जिसमें केवल योग्यतम ही बना रह सकता है, इसलिए, सामाजिक जिम्मेदारियों या कॉर्पोरेट मुनाफे में समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने और उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं ।

निम्नलिखित उन रिपोर्टों का संग्रह है जिनमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय प्रेस जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया है । इसके साथ ही, विश्व मीडिया संबंधी संग्रह भी दिया गया है ।

स्टिंग ऑपरेशन सच्चाई से अवगत कराने का एक बेहतर माध्यम: हाई कोर्ट

समाज की सच्चाई से अवगत कराने का स्टिंग ऑपरेशन एक बेहतर माध्यम है। मानहानि के नाम पर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र सरकार की एक कंपनी की मानहानि का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। टीवी चैनल ने दूध में मिलावट को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित क्या था। इसको लेकर कंपनी ने चैनल पर मानहानि का दावा किया था और 11 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडले ने कहा की मानहानि से संबंधित कानून के माध्यम से मीडिया की अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता और उसे चुप नहीं

कराया जा सकता है। कानून का काम बेवजह किसी की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना नहीं है। कानून का दुरूपयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि सामने वाले के जाने बगैर विडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गलत काम हमेशा छुपाकर किया जाता है। उसके खिलाफ कभी कभार ही साक्ष्य मिलते हैं।

(राष्ट्रीय सहारा, 7 मई 2019, नई दिल्ली)

एडीटर्स गिल्ड, मीडिया समूहों ने पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा की

द एडीटर्स गिल्ड और अन्य मीडिया संगठनों ने 9.06.2019 को नोएडा स्थित पत्रकार, प्रशांत कनौजिया और नोएडा स्थित एक टीवी चैनल की संपादक एवं प्रमुख इशिता सिंह और अनुज शुक्ला की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि पुलिस की कार्रवाई 'कानून का प्राधिकारिक दुरूपयोग' और प्रेस को डराने का एक प्रयास था।

लखनऊ में कनौजिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज़ की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।' गिल्ड ने कहा, 'पुलिस की कार्रवाई उग्र मनमाना और कानून का दुरूपयोग करने वाली है। गिल्ड इसे प्रेस को धमकाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के प्रयास के रूप में देखती है।' उन्होंने कहा, 'दावों की सटीकता जो भी हो, पत्रकार द्वारा इसे सोशल मीडिया पर साझा करने और टेलीविजन चैनल पर प्रसारित करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज़ करना कानून का दुरूपयोग है।' गिल्ड ने गौर किया कि इस मामले में कथित तौर पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी बल्कि पुलिस द्वारा स्व-प्रेरणा से कार्रवाई की गई थी।

भारतीय महिला प्रेस काप्र्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दक्षिण एशियाई महिला मीडिया और प्रेस एसोसिएशन द्वारा संयुक्त बयान में कहा गया है, 'इन तीन पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई प्रशासनिक हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला है और कानून के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मीडियाकर्मियों के रूप में, यह

हमारा दृढ़ विश्वास है कि पत्रकारों को जिम्मेदारीपूर्वक आचरण रखना चाहिए। फिर भी हमें लगता है कि मानहानि कानून के आपराधिक प्रावधानों को बार-बार पत्रकारों और अन्य लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने को देखते हुए कानूनी पुस्तको से हटा देना चाहिए। हम आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपराधिक मानहानि के आरोपों को वापस ले।'

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 जून 2019, नई दिल्ली)

पत्रकार की रिहाई मांग रहे रूसी मीडिया आउटलेट

3 प्रमुख दैनिकों ने गोलुनोव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हेतु प्रकाशित किए एक जैसे मुख्य पृष्ठ।

एक खोजी रिपोर्टर की ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तारी के विरूद्ध रूसी प्राधिकरण को 10.06.2019 को अभूतपूर्व प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। निर्दलीय के साथ-साथ क्रेमलिन समर्थक भी उसकी रिहाई की गुहार लगा रहे हैं।

पत्रकार इवान गोलुनोव को पिछले सप्ताह ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिया गया था परंतु उनका कहना है कि उनके द्वारा खोजी रिपोर्टर के रूप में किए गए कार्यों के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है।

10.06.2019 को, 3 प्रमुख समाचारपत्रों कोम्मैरसैंट, वेदोमोस्ती और आरबीके ने बड़े शब्दों में "मैं हूँ/हम हैं इवान गोलुनोव" एक जैसा मुख्य पृष्ठ प्रकाशित किया जोकि एक ऐसे देश में अवज्ञा का साहसिक कार्य है जहां ज़्यादातर मीडिया क्रैमलिन के अनुसार चलता है।

श्री गोलुनोव, 36, मेड्यूज़ा जोकि एक स्वतंत्र रूसी भाषा का मीडिया आउटलेट है, के साथ रिपोर्टर को पिछले सप्ताह इस आरोप के साथ हिरासत में लिया गया था कि वे ड्रग्स तैयार करते हैं व उसका सौदा करते हैं। उन्हें 20 वर्ष के लिए जेल की सज़ा हुई है लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि ड्रग्स उसके पास धोखे से रखवाए गए थे।

मुख्य पृष्ठ की समान खबरों में, तीनों समाचारपत्रों ने कहा है कि पत्रकार की गिरफ्तारी से डराने का कार्य किया गया है, और उन पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने उसे हिरासत में लिया था, की जांच की मांग की है। दैनिकों ने कहा कि जांचकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

(द हिन्दू, 11 जून 2019, नई दिल्ली)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों से कहा : बच्चों को अश्लील तरीके से चित्रित करने वाले कार्यक्रम प्रसारित न करें

कुछ रियलिटी टीवी शो में बच्चों को नृत्य करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है, इस पर गौर करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को नाबालिग प्रतिभागियों को अश्लील या अनुचित तरीके से प्रदर्शित करने से रोकने के लिए चेताया।

18.06.2019 को जारी एक अधिसूचना में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी चैनलो से कहा है कि वे किसी नृत्य अथवा अन्य रियलिटी शो में 10 साल या उससे छोटे बच्चों को असभ्य, सांकेतिक या अनुचित रूप से न दिखाएं।

मंत्रालय ने अपनी परामर्शिका में कहा, 'सभी निजी सेटेलाइट टीवी चैनलो को डांस रियलिटी शो या अन्य ऐसे कार्यक्रमों में अशिष्ट, अश्लील, सांकेतिक और अनुचित तरीके से बच्चों को न दिखाने की सलाह दी जाती है और वे इस तरह के कार्यक्रम को प्रदर्शित करते समय अधिकतम संयम, संवेदनशीलता और सावधानी बरतें'।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 19 जून 2019, नई दिल्ली)

तुर्की रिपोर्ट विदेशी समाचार मीडिया को करती है ब्लैकलिस्ट - प्रेस ग्रुप्स

तुर्की में पत्रकारिता संगठनों ने सरकार समर्थक थिंक टैंक की एक रिपोर्ट की आलोचना की है, उनका कहना है कि कैटलॉग पत्रकार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया के लिए काम करते हैं वह "ब्लैकलिस्टिंग" के बराबर है। तुर्की के पत्रकारों की यूनियन ने कहा कि वह रविवार को फ़ाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल, इकनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, थिंक टैंक जोकि तुर्की के राष्ट्रपति राजब तैयब

इरदुगान और उनकी पार्टी की करीबी मानी जाती है, के विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहे हैं।

थिंक टैंक की 5 जुलाई की रिपोर्ट का उद्देश्य ब्रिटेन का सार्वजनिक प्रसारणकर्ता बीबीसी, जर्मनी का सार्वजनिक प्रसारणकर्ता डॉयचे वेले, अमरीकी सरकार द्वारा वित्त पोषित वॉइस ऑफ अमेरिका, रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक और प्रसारणकर्ता यूरोन्यूज़, जिसका मुख्यालय लियोन, फ़्रांस में है, सहित विदेशी समाचार आउटलेट की तुर्की भाषा सेवाओं की समाचार कवरेज का मूल्यांकन करना है।

202 पन्नों की रिपोर्ट में उन्होंने कई दर्जन पत्रकारों एवं उनके ट्वीट की सूची बनाई है जिसमें उनकी कवरेज में तुर्की सरकार के विरूद्ध कथित पूर्वाग्रह का तर्क दिया है। थिंक टैंक ने उन पत्रकारों की तुर्की की मीडिया में वर्तमान और पूर्व नौकरी के साथ एक 'नेटवर्क मैप' में रखा है, यह दावा करते हुए कि "वामपंथी एवं धर्मनिरपेक्षों" के प्रति झुकाव के साथ ही उनकी पत्रकारिता और प्रेस नैतिकता में टकराव था।

(द पायनियर, 8 जुलाई 2019, नई दिल्ली)

लेखन निकायों ने प्रतिबंध को लेकर प्रेस परिषद प्रमुख के साथ की चर्चा

जैसा कि वित्त मंत्रालय में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है, विभिन्न पत्रकारों के संगठनों ने 11.07.2019 को भारतीय प्रेस परिषद का रूख किया, यह आग्रह करते हुए कि वह मामले में हस्तक्षेप करे और मंत्रालय को 'मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध' को वापस लेने का निदेश दें।

प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वुमैन्स प्रेस कॉर्प्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, विदेशी संवाद्दाता क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने पीसीआई अध्यक्ष, चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की।

पत्रकार संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा 'पीसीआई अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वे हस्तक्षेप करें और मीडिया पर अनुचित प्रतिबंधों को वापस लेने के लिए मंत्रालय को निदेश दें। स्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने उनसे इस गंभीर मामले पर स्वत: कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।'

(डेक्कन हेराल्ड, 15 जुलाई 2019, नई दिल्ली)

प्रेस की स्वतंत्रता पर पाक के प्रतिबंधों पर अमेरिका चिंतित

अमेरिका ने पाकिस्तान में प्रेस स्वतंत्रता को कम करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वह देश की सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाएगा।

ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की यू.एस यात्रा से पूर्व टिप्पणियां सामने आई।

अधिकारी ने कहा कि 'प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम लगातार इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रयासरत हैं।'

इस मुद्दे को दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिकी प्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने की संभावना है।

यह कहते हुए कि पाकिस्तान के पास विविध मीडिया परिदृश्य है, अधिकारी ने कहा पत्रकारों पर निरंतर दवाब और धमकी स्वीकार्य नहीं है।

वास्तव में यह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। हम इसे लेकर काफी चिंतित हैं।' अधिकारी ने कहा।

इसके साथ ही, अधिकारी ने पिछले साल पाकिस्तान द्वारा गैर सरकारी संगठनों के विपंजीकरण का मुद्दा भी उठाया।

इनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ पाकिस्तान के लोगों के महत्वपूर्ण साधन और सहायता प्रदान कर रहे थे, अधिकारी ने कहा।

विपंजीकृत एनजीओ का उनके लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिक समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका इस परिस्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और वे इस मुद्दे पर पाकिस्तानी अधिकारियों से विचार करते रहेंगे, अधिकारी ने कहा।

पाकिस्तान ने अपने पक्ष को मज़बूत करने के लिए लॉबिंग फ़र्म की सेवायें ली।

पाकिस्तान और अमरीका, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध के मध्य, पाकिस्तान ने अमेरिका में इस्लामाबाद के हितों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख लॉबिंग फर्म की सेवायें ली, मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हस्ताक्षरित अनुबंध देखा और वाशिंगटन में रेनॉल्ड्स और उनकी टीम के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया, पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी एपीपी ने बताया।

कुरैशी ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि हॉलैंड और नाइट पाकिस्तानी दूतावास के साथ मिलकर अमेरिका में पाकिस्तानी हितों को आगे बढ़ाने में प्रभावी रूप से कार्य करेगा।

रेनॉल्ड्स ने फर्म में पुन: विश्वास दिखाने के लिए विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया।

(द एशियन ऐज, 21 जुलाई 2019, नई दिल्ली)

मीडिया को फ्री स्पीच का अधिकार

भारत की न्यायपालिका ने स्वतंत्रा के बाद से ही लगातार इस अधिकार की परिभाषा का विस्तार किया है।

संविधान ने फ्री स्पीच के अधिकार को श्रेष्ठ स्थान दिया है। जहां अन्य मौलिक अधिकारों को उचित प्रतिबंधों के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है, वहीं स्वतंत्र फ्री स्पीच के अधिकार को केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब प्रतिबंध का संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति से संबंध हो।

भारत के संविधान के बाद का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कई मौलिक अधिकारों ने पिछले 65 वर्षों में अपनी कमजोरियों को देखा है। आपातकाल के दौरान जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार वस्तुत: समाप्त हो गया था। विनियमित अर्थव्यवस्था के दिनों में व्यापार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आपातकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था।

हालांकि, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को लगातार मजबूत किया गया है और कभी संकुचित नहीं किया गया है। अत: अधिकार का विस्तार करने और मजबूत करने की एक राष्ट्रीय नीति लगातार काफी समय से चली आ रही है।

संविधान के प्रारंभिक वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अखबार शुरू करने के लिए अत्यधिक लाइसेंस शुल्क संवैधानिक रूप से अमान्य था। इसके पश्चात् पहले दशक में, यह निर्णय लिया गया कि वेतन बोर्ड द्वारा मीडिया संगठन पर असहनीय बोझ डालने से फ्री स्पीच का उल्लंघन होगा।

क्या किसी अखबार के कारोबार या वाणिज्यिक हित को फ्री स्पीच के अधिकार से अलग किया जा सकता है ?क्या एक अखबार का कारोबार मुक्त व्यापार के अधिकार के क्षेत्र में आता है या यह फ्री स्पीच के अधिकार पर प्रभाव डालेगा ?

सकल अखबार के मामले में, 1960 में लागू नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित था जिसमें सरकार ने एक समाचारपत्र के बिक्री मूल्य को विनियमित करने का निर्णय लिया था। बिक्री मूल्य पृष्ठों की संख्या पर निर्भर करता था। सरकार ने तर्क दिया कि यह केवल उपभोक्ता हित में उचित प्रतिबंध द्वारा व्यापार के अधिकार को प्रतिबंधित कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर किसी अखबार को मोटाई के आधार पर कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया तो इसके दो परिणाम होते, या अखबार की मोटाई अर्थात् उसकी सामग्री को कम किया जाता अथवा वैकल्पिक रूप से अखबार इसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए बाध्य होता और यह सुझाव देने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य थे कि मूल्य में वृद्धि से परिचालन में कमी होती। इसलिए परिचालन का अधिकार भी फ्री स्पीच का एक हिस्सा है।

इसी प्रकार, जब सरकार ने इस आधार पर एक अखबार के आकार को कम किया कि विदेशी मुद्रा के अभाव में अखबारी कागज अपर्याप्त थे और अत्यधिक आयात से विदेशी मुद्रा का व्यय होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि अखबार में विज्ञापनों की संख्या में कटौती फ्री स्पीच को प्रभावित करेगा, चूंकि विज्ञापन, सामग्री की लागत की पूर्ति स्वयं करते हैं।

अखबारी कागज सीमा शुल्क मामले के एक निर्णायक फैसले में अदालत के सामने यह प्रश्न था कि क्या अखबारी कागज पर सीमा शुल्क लगाने को 'टैक्स ऑफ

नॉलेज' के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने निर्णय लिया कि अखबार के कारोबार को कभी भी इसकी अंतर्वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता।

संविधान सभा में रामनाथ गोयनका ने यह मुद्दा उठाया था कि भावी सरकारें सेंसरशिप जैसे अपरिष्कृत तरीकों का सहारा नहीं लेंगी, बल्कि समाचारपत्रों के पैसों में कटौती करेगी। इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए अदालत ने माना कि समाचारपत्र मानव-सोच को प्रभावित करते हैं, एक समाचारपत्र पर अत्यधिक कर फ्री स्पीच को प्रभावित कर सकता था, यदि कर का उद्देश्य केवल राजस्व बढाना न होकर समाचारपत्र की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ डालना था।

किसी भी व्यापार, बिजनेस या पेशे के मामले में, करारोपण को तभी हटाया जाएगा, जब वह जब्त करने की प्रकृति का हो, अर्थात् अगर वह बिजनेस को असंभव बना दे। लेकिन एक मीडिया संगठन के मामले में, यदि यह फ्री स्पीच पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अर्थात् इसे अत्यधिक महंगा और निषेधात्मक बना देता है तो कर को ही फ्री स्पीच के अतिक्रमण के रूप में चुनौती दी जा सकती है।

अधिकतर अन्य लोकतंत्रों ने अमेरिकी उदाहरण (मिसाल) को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन भारत में हमलोग आगे निकल गये और इस विशेष अधिकार को स्वीकार किया। मुझे लगता है कि इसके संपूर्ण विकास में, सीमा शुल्क मामले में कानून के विवरण एवं अधिकारों के विस्तारण में यह एक मील का पत्थर बन गया है, ऐसी स्थिति में बिजनेस ऑफ फ्री स्पीच और फ्री स्पीच की वास्तविक सामग्री के बीच का अंतर खत्म हो गया।

इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा येलो पेजेस के मामले में कमर्शियल फ्री स्पीच यानि विज्ञापन को फ्री स्पीच में शामिल किया। यह अभी भी संदेहपूर्ण है क्योंकि फ्री स्पीच का हिस्सा होने के कारण 'पेड' समाचार वाणिज्यिक स्पीच का लाभ ले सकता है।

पेड समाचार एक वास्तविकता है और इसलिए यदि आप अमेरिकी निर्णयों के आदेश का पालन करते हैं जिसका भारत में टाटा प्रेस द्वारा अनुसरण किया गया है, तो क्या फ्री स्पीच भी एक अधिकार प्रदान करेगी जिसका विस्तार पेड समाचार

तक हो सकता है ? स्पष्ट है कि यह तर्कसंगत नहीं लगता और इसलिए यह मुद्दा अदालतो के सामने नहीं आया है। तथापि अगर पेड समाचार के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान होता, तो उसका परीक्षण मापदंडों के आधार पर करना होगा कि क्या यह फ्री स्पीच का उल्लंघन करता है या नहीं ?

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 अगस्त 2019, नई दिल्ली)

'संस्थानों को नुकसान, लोगों को बदनाम कर रही पीत पत्रकारिता'

मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 27.8.3019 को 'पीत पत्रकारिता में बढ़ोतरी' पर चिंता व्यक्त की, जोकि संस्थानों को नुकसान और लोगों को बदनाम कर रही है और आगे कहा कि इस मुद्दे की जांच की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोच्च थी लेकिन यह एक-तरफा नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, एम आर शाह एवं बी आर गवई की पीठ ने न्यूज़ पोर्टल 'द वायर' और इसके पत्रकारों जो गृहमंत्री अमित शाह के बेटे, जय शाह के द्वारा मानहानि के लिए दायर किए गए मुकद्मा का सामना कर हैं, के द्वारा दर्ज़ की गई अपील पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की।

जय शाह ने एक न्यूज़ पोर्टल और इसके पत्रकारों पर मानहानि का आरोप लगाते हुए निचली अदालत का रूख किया जब एक लेख में दावा किया गया था कि 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी कंपनी के कारोबार में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई।

यद्यपि पीठ ने लेख के प्रकाशन के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के गैग (मूक करने संबंधी) आदेश के खिलाफ अपील को वापस लेने की पोर्टल की याचिका को अनुमति दे दी, लेकिन इसने मीडिया घरानों द्वारा लोगों को, उनके खिलाफ खबर देने से पूर्व, उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ ही घंटो का समय दिए जाने के अभ्यास का अननुमोदन किया।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 अगस्त 2019, नई दिल्ली)

संचार का कोई भी साधन न होना सबसे बड़ी सजा : जावड़ेकर

संचार के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने 28.8.2019 को कहा कि किसी से भी संपर्क नहीं कर पाना या संचार का कोई माध्यम न होना 'सबसे बड़ी सजा' है।

कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन के लिए पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जावड़ेकर ने कहा, 'लोगों के मन में सारा पड़ा रहे, और किसी से कुछ न बोलो, इससे बड़ी सजा क्या होती है? किसी से संपर्क न हो, किसी से बात न कर सकते हो, और आपके पास संचार का कोई साधन न हो- ये सबसे बड़ी सजा हो सकती है।'

जावड़ेकर ने कहा कि यही वजह थी कि कम्यूनिटी रेडियो 'ऐसा महत्वपूर्ण संचार साधन' था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद रेडियो की 'विश्वसनीयता' को पहचाना। 'रेडियो जितनी ताकत किसी में भी नहीं, रेडियो जितनी विश्वसनीयता किसी में भी नहीं', उन्होंने कहा।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 29 अगस्त 2019, नई दिल्ली)

'भारतीय प्रेस परिषद के फैसले का स्वागत'

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया), इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर इम्प्लाइज ने संयुक्त रुप से, भारतीय प्रेस परिषद की द्वारा, जम्मू-कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को न्यायोचित ठहराए जाने संबंधी अपने रुख में बदलाव करने का स्वागत किया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के अध्यक्ष अशोक मलिक, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के. विक्रम राव और नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर इम्पलाइज के अध्यक्ष सी एम पापनई ने कहा कि प्रेस परिषद का यह दायित्व है कि वह कठिन से कठिन समय में भी यह सुनिश्चित करे की प्रेस की आजादी कायम रहे और उस पर अनावश्यक रुप से प्रतिबंध नहीं लगाए जाए।

(जनसत्ता, 29 अगस्त 2019, नई दिल्ली)

आई एंड बी ने चैनलो को जारी की परामर्शिका : विभाजनकारी भावनाओं को न उकसाएं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 9.11.2019 को अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनज़र सभी समाचार चैनलों को एक परामर्शिका जारी की, कि वे किसी भी बहस या ऐसे दृश्य को प्रसारित न करें जिससे किसी भी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।

(संडे टाइम्स, 10 नवंबर 2019, नई दिल्ली)

झूठी खबरों को काउंटर करेगी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टीम

सरकार ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है और ऐसे मामलों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार की जनसंपर्क शाखा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक तथ्य जांच मॉड्यूल गठित करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय बड़ी संख्या में ऑनलाइन 'फर्जी' रिर्पोटों के कारण शुरू किया गया था जैसे हाल ही में बांग्लादेशी मीडिया के एक सैक्शन द्वारा दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या के फैसले पर सीजेआई रंजन गोगोई को बधाई दी। जहां सरकार यह स्पष्ट करने के लिए तैयार थी कि रिपोर्ट 'दुर्भावनापूर्ण और फर्जी' थी, सूत्रों ने कहा कि मामले के कारण पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे फर्जी समाचारों से निपटने के लिए एक औपचारिक तंत्र की तत्काल आवश्यकता थी।

सरकार का फैक्ट चेक मॉड्यूल जिसे प्रारंभ में सूचना सेवा अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है, वह खोज, मूल्यांकन, उत्पत्ति और लक्ष्य के चार सिद्धांतों पर काम करेगा जिसमें ऑनलाइन समाचार स्त्रोतो और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया पोस्ट की लगातार मॉनीटरिंग शामिल है। चूंकि भ्रामक जानकारी का पता अक्सर ऑनलाइन प्रभावितों के माध्यम से लगता है जो पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स पर लागू नैतिकता के मानको से बंधे नहीं है, टीम उन विषयों या

कहानियों की भी पहचान करेगी जो सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देती है।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 नवंबर, 2019, नई दिल्ली)

'पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए...फेक न्यूज़ के विरूद्ध रक्षक'

फर्जी खबरों के खतरों को उजागर करते हुए, शनिवार को उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने मीडिया से हमेशा वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में तथा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के वितरण हेतु भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने भाषण में श्री नायडू ने कहा कि "पत्रकारिता का मूल सिद्धांत पत्रकारों की पहरेदारों के बिना पाठकों और दर्शकों के लिए निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण, सटीक और संतुलित जानकारी प्रस्तुत करना है। जहां इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया स्मार्टफोन पर हर पल खबर मुहैया करा रहा है, वहीं पत्रकारों को अधिक सावधानी बरतनी होगी और 'फर्जी खबरों', दुष्प्रचार और गलत सूचना के विरूद्ध रक्षक बनना होगा।"

सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो स्वयं भी कार्यक्रम में शामिल थे, ने कहा कि फर्जी खबरें पेड न्यूज़ से बड़ा संकट है।

श्री नायडू ने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2019 विजेताओं को पुरस्कार दिया। दी इंडियन एक्सप्रेस के 3 पत्रकारों : सह-संपादक संदीप सिंह, विशेष संवाद्दाता कृष्ण कौशिक और वरिष्ठ संपादक अनुराधा मैस्करेनहास को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 17 नवंबर 2019, नई दिल्ली)

फर्जी समाचारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए 7 प्रकार के फर्जी समाचारों की पहचान

भ्रामक सूचना को पहचानने में सहायता के लिए शोधकर्ताओं ने सात प्रकार की फर्जी खबरों की पहचान की है, जिससे एक ऐसी तकनीक बनायी जा सकती है जो भ्रामक सामग्री का पता स्वत: लगा सकती है।

पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फर्जी समाचारों के असंख्य उदाहरणों की सात मूल श्रेणियों का विवरण समिति को दिया जिनमें झूठी खबरें, ध्रुवीकृत सामग्री, व्यंग्य, गलत रिपोर्टिंग, बयानबाज़ी, प्रभावी जानकारी और नागरिक पत्रकारिता शामिल हैं।

पत्रिका (जर्नल) अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट में प्रकाशित अध्ययन में वास्तविक समाचारों के साथ उस प्रकार की सामग्री का भी विरोध किया। पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.सुदंर ने कहा 'फर्जी समाचार' का हमारी सांस्कृतिक समझ में वास्तविक संकट इस हद तक है कि बहुत से विद्वान सक्रिय रूप से उस लेबल से परे हैं क्योंकि कुछ पक्षपातपूर्ण स्त्रोतों द्वारा गड़बड़, भ्रामक और हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि वास्तविक समाचार में ऐसी संदेशात्मक विशेषताएं होती हैं जो इसे विभिन्न प्रकार की भाम्रक समाचारों की श्रेणी से भिन्नता प्रदान करता है जैसे कि पत्रकारिता शैली का अनुसरण किया जाना। झूठी खबरें कम व्याकरणिक और कम तथ्यात्मक होने के साथ भावनात्मक रूप से आरोपित दावों, भ्रामक सुर्खियों आदि पर वृहद् रूप से निर्भर होती हैं।

स्त्रोतों के प्रकारों में भी वे भिन्न होते हैं जिनका वे उपयोग करते हैं और जैसा वे उपयोग करते हैं। अध्ययन ने साइट की संरचना में अंतर का उल्लेख किया जैसे कि 'हमसे संपर्क करें' अनुभाग में गैर-मानक वेब पते और व्यक्तिगत ई-मेल का उपयोग।

शोधकर्ताओं ने कहा कि झूठी खबरें जो मुख्यत: सोशल मीडिया अकाउंट्स और कभी-कभी ही मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट में प्रसारित होती हैं, उनकी पहचान नेटवर्क अंतर की मदद से की जा सकती है। पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की मारिया मोलिना के अनुसार लोगों को झूठी खबरों की पहचान करने में सहायता करने के लिए विभिन्न संदेश, स्त्रोत, संरचनात्मक और विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन समाचारों की नेटवर्क सुविधा होना आवश्यक है।

मोलिना ने कहा कि यह उन वैज्ञानिकों की भी मदद करेगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उन प्रणालियों के निर्माण में कर रहे हैं जो एक दिन स्वत: रूप से लोगों को उस सामग्री के प्रति सचेत कर सकते हैं जो गलत सूचना हो सकती है।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 नवंबर 2019, नई दिल्ली)

मीडिया सभी पहलुओं पर ध्यान दे

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 20.11.2019 को कहा कि मीडिया को सत्य को सभी पहलुओं से कवर करना चाहिए और खबर के केवल एक पहलू पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए।

जावड़ेकर जी, जोकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं ने इंडिया टूडे ग्रुप के वार्षिक 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' पुरस्कार समारोह जोकि भारतीय राज्यों को कई कसौटियों पर आँकता है और तत्पश्चात पूरे भारत में 'सबसे अच्छे प्रदर्शन' व 'सबसे अधिक सुधार' करने वाले राज्य को पुरस्कृत करता है, के दौरान भाषण में कहा कि “मीडिया को खबर के दोनों पहलुओं सही और गलत को कवर करना चाहिए। इसके लिए इंडिया टूडे ग्रुप पर मुझे पूरा भरोसा है।”

सर्वेक्षण के 18वें संस्करण में, इस वर्ष, तमिलनाडु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है, जबकि असम सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में।

“ऑटो बिक्री की खबर में सभी ने कवर किया कि कैसे बिक्री में गिरावट देखी गई, लेकिन किसी ने यह कवर नहीं किया कि दिवाली पर बिक्री में पिछले वर्ष के मुक़ाबले उछाल देखा गया। “पिछले 6 महीनों में 20% गिरावट की पृष्ठभूमि में 0.03% की बढ़ोतरी” जैसी खबर होनी चाहिए थी, पुरस्कार प्रदान करने से पूर्व मंत्री महोदय ने कहा।

जावड़ेकर जी ने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' पुरस्कार की सराहना की।

उन्होंने कहा कि "मुझे लगता है कि 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' पुरस्कार सहकारी संघवाद के बारे में ही है। विभिन्न राज्यों की सरकारें एक दूसरे की सहायता करेंगी और उसी समय प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है और यही लोकतंत्र है।"

मंत्री महोदय ने वर्ष 2003 को याद करते हुए बताया जब पुरस्कार आरंभ हुए थे, उसी समय वे दिल्ली आए थे। राज्यों के बारे में मेरे सभी संदर्भों में ये पुरस्कार शामिल हुआ करते थे, उन्होंने कहा।

(द मेल टूडे, 23 नवंबर 2019, नई दिल्ली)

हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा को मिला पहला टीवीआर शेनॉय पुरस्कार

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के लिए पहला टीवीआर शेनॉय पुरस्कार अनुभवी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा को दिया गया है, जोकि इस समय हिंदुस्तान टाइम्स में राजनीतिक संपादक हैं।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 30 नवंबर 2019, नई दिल्ली)

2019 में 49 पत्रकारों की हत्या हुई, पिछले 16 वर्षों में सबसे कम

'रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स' ने दिनांक 17.12.2019 को कहा कि वर्ष 2019 में दुनियाभर में 49 पत्रकारों की हत्या हुई जोकि पिछले 16 सालों में सबसे कम हैं।

'ऐतिहासिक रूप से कम' संख्या में से ज़्यादातर मौतें यमन, सिरिया और अफ़ग़ानिस्तान में कवरेज करते समय हुईं, पेरिस आधारित प्रहरी ने बताया जिसने चेताया कि "पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बना हुआ है"।

पिछले दो दशकों में औसतन हर वर्ष 80 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है, संगठन, जोकि अपने फ्रांसीसी आद्याक्षर आरएसएफ़ से जाना जाता है, ने बताया। परंतु इसके प्रमुख, क्रिस्टोफ डेलॉयर ने चेताया कि ऐसे देशों में जहां शांति समझी जाती है, पत्रकारों की हत्या की संख्या अभी भी चिंताजनक रूप से अधिक है जिसमें केवल मेक्सिको में ही 10 मृत्यु हुईं। "पूरे महाद्वीप में मारे गए कुल 14 पत्रकारों के साथ लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व क्षेत्र जितना ही घातक हो गया है", उन्होंने आगे बताया।

जहां, उन्होंने कहा कि संघर्ष क्षेत्रों में हुई कम मौतें, एक जश्न मनाने जैसा है, वहीं "लोकतांत्रिक देशों में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों को उनके कार्य के लिए मौत के घाट उतारा जा रहा है जोकि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।" आरएसएफ़ के अनुसार जहां पत्रकारों की मौतें कम हो रहीं हैं वहीं ज़्यादातर को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। साल 2019 में करीब 389 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, जोकि पिछले साल से 12 प्रतिशत अधिक है।

3 देश, चीन, मिस्र और सऊदी अरब में करीब इसके आधों को जेल में बंद किया गया जिन पर स्तंभकार जमाल खशोगी की पिछले साल इनके दूतावास में निर्ममता से हत्या का आरोप लगा था।

(द स्टेट्समैन, 18 दिसंबर 2019, नई दिल्ली)

सूचना मंत्री ने 30 मीडिया संस्थानों को किया सम्मानित

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने योग के जरिए स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 30 मीडिया संस्थानों को मंगलवार को पुरस्कार प्रदान किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान तीन श्रेणियों में प्रदान किया गया।

(जनसत्ता, 08 जनवरी 2020, नई दिल्ली)

सत्य और न्याय की खोज में

पत्रकारिता के समक्ष कई चुनौतियां और संकट हैं। लेकिन गुणवत्ता के लिए इसकी तलाश रुक नहीं सकती।

मुझे रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में भाग लेने में खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि ये पुरस्कार स्वर्गीय (रामनाथ) गोयनका जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू किए गए थे। इन पुरस्कारों से प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल मीडिया के उन पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने पेशे में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद मीडिया में सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने और लोगों के जीवन को

प्रभावित करने वाले कार्य किए हैं। दूसरे शब्दों में, पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए हैं जो सच्चाई के लिए अपनी कलम उठाते हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि सत्य की खोज, जो सद् पत्रकारिता की एकमात्र दिक्सूचक है, में कभी भी पीछे न हटें।

जब समूह के अध्यक्ष विवेक गोयनका मुझे निमंत्रण देने के लिए मिले तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं रामनाथ गोयनका के साथ अपना पहला नाम कैसे साझा करता हूँ। मैंने कहा, हां यह एक सुखद संयोग है, जिससे मुझे यकीन है कि आप सभी सहमत होंगे। मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है।

यह वास्तव में विनम्र रामनाथ के लिए एक अनुपम अनुभव है जो कि प्रख्यात रामनाथ के नाम पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने जा रहा हूँ जिनके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सत्य के प्रति दृढ़ता के किस्से अनुश्रुति का विषय है। लेकिन जो मुझे और हम सभी को गोयनका जी के साथ साझा करना चाहिए वह है उनका भावपूर्ण राष्ट्रवाद। मैं उनके सबल और समृद्ध भारत के सपने को प्रबल रूप से साझा करता हूँ।

प्रेमपूर्वक आरएनजी कहे जाने वाले, वे एक अद्वितीय मीडिया हस्ती थे, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद में देश को प्रभावित किया। वह एक व्यवसायी थे जिनके पास अचल संपत्ति साम्राज्य बनाने और सार्वजनिक सेवा के लिए पत्रकारिता करने हेतु अपनी संपत्ति का उपयोग करने की क्षमता थी। उनके उद्यम (प्रयास) की पहचान साहस की अटल पत्रकारिता थी। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता, इसकी मौलिक प्रतिबद्धता अन्य सभी से ऊपर, सत्य के लिए थी। जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अखबार के प्रकाशन को रोक दिया तो उनके संपादकीय ने 'मर्म. न कि खर्च' की बात की।

इंडियन एक्सप्रेस समूह वास्तव में दशकों से एक ऐसे संस्थान के रूप में विकसित हुआ है जो पत्रकारिता के सर्वोत्तम मूल्यों और परंपराओं को समाहित करता है। इसने सत्ता के प्रति अवमान का संस्कार विकसित किया है और शासन से सत्य कहते हुए पत्रकारिता के अभ्यास की मांग की। गोयनका जी ने अपने उत्तराधिकारियों के सक्षम हाथों में समृद्ध विरासत छोड़ी है, जो उनके संदेश को आगे ले जाना चाहते हैं।

मेरा जन्म और पालन-पोषण कानपुर में हुआ है, एक ऐसा शहर जो कभी पत्रकारिता के लिए सर्वोच्च मानक तय करता था। आइए हम एक असाधारण पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करें जिन्होंने कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान घृणा की ज्वाला को शांत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। एक पत्रकार के रूप में, उनके द्वारा लिखे गये शब्द न केवल दूरदर्शी थे बल्कि उन्होंने अधिकारहीन के लिए अपनी गहरी चिंता भी दिखाई। क्रांतिकारी अखबार प्रताप, जो उन्होंने आरंभ किया था, में लिखते हुए, उन्होंने मसौदा तैयार किया जोकि हर पत्रकार के लिए मिशन के रूप में होना चाहिए। यहां मैं विद्यार्थी जी के शब्दों को उद्धृत करता हूँ : 'किसी की प्रशंसा या अप्रशंसा, किसी की घुड़की या धमकी हमें अपने सुमार्ग से विचलित न कर सकेगी'।

उन्होंने कहा, 'सत्य और न्याय हमारे आंतरिक मार्गदर्शक होंगे। प्रताप हमेशा सांप्रदायिक और व्यक्तिगत झगड़े को दूर करने का प्रयास करेगा। इसका सूत्रपात्र किसी महत्वपूर्ण समूह, संगठन, व्यक्ति या राय का पालन करने, उनकी रक्षा करने या विरोध करने के लिए नहीं हुआ है इसका विश्वास स्वतंत्र सोच में रहेगा और इसका धर्म सत्य होगा। हम न्याय में राजा और प्रजा, दोनों का साथ देंगे, परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का भी नहीं। देश की विविध जातियों, समुदायों और संप्रदायों के बीच सद्भाव देखने की हमारी प्रबल इच्छा है।'

विद्यार्थी जी की लेखनी की विलक्षणता कभी भी मानव संकीर्णता तक सीमित नहीं थी। यही उनकी पत्रकारिता थी। एक सबल और संगठित भारत के सपने को साकार करने के लिए, उन्होंने महात्मा गांधी के सच्चे शिष्य की भांति शांति और अहिंसा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

मैं जानता हूँ कि मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ जब जनसंचार अपनी नवजात अवस्था में था। तब हम हमारे संदेशो को कुछ शब्दों में सारांशित करने और उन्हें जंगल की आग की तुलना में तेजी से फैलाने से बहुत दूर थे। प्रौद्योगिकी ने वास्तव में पत्रकारिता की प्रकृति को बहुत बदल दिया है।

पुराने समय के जादुई मापदंड, पांच डबल्यू और एच (क्या, कब, क्यों, कहॉ, कौन और कैसे) को याद रखें जिनके उत्तर एक कहानी को न्यूज़ रिपोर्ट बनाने के लिए

आवश्यक थे। 'ब्रेकिंग न्यूज़' की होड़, जिसने अब मीडिया को नष्ट कर दिया है, में संयम और जिम्मेदारी के इस बुनियादी सिद्धांत को काफी हद तक कम कर दिया है। फर्जी समाचार एक नए खतरे के रूप में सामने आए हैं जिनके पैरवीकार खुद को पत्रकार घोषित करते हैं और इस महान पेशे को कलंकित करते हैं।

प्रोद्योगिकी ने पत्रकारिता की एक नई नस्ल को जन्म दिया है, जो पारंपरिक पत्रकारिता के विपरीत है। इस विकास ने तथ्यों और विचारों की स्थिति विश्वसनीयता और प्रमाणिकता के बारे में पुरानी बहस को फिर से छेड़ दिया है। जो वांछनीय है, वह वस्तुनिष्ठता है, जो पत्रकारों को तथ्यों और एक तस्वीर के सभी पहलुओं को प्रस्तुत करने की आज़ादी देता है। तथ्यों के प्रति निष्ठा, सच्चाई का पता लगाना एवं अपनी नज़र साफ एवं स्पष्ट रखना अत्यावश्यक है।

मुझे पता है कि पत्रकार अपने कर्त्तव्य निर्वहन में कई प्रकार की भूमिका निभाते हैं। इन दिनों वे अक्सर एक अन्वेषक, एक अभियोजक और एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं - सभी एक में समाहित होते हैं। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए एक ही समय में कई भूमिका निभाने के लिए पत्रकारों को आंतरिक शक्ति और अतुल्य जुनून की बहुत आवश्यकता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा प्रशंसा योग्य है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सत्ता की ऐसी व्यापक कवायद वास्तविक जवाबदेही के साथ है ?

एक पल के लिए विचार करें कि यदि गोयनका जी ने पेड समाचार या फर्जी खबरों के कारण विश्वसनीयता के संकट का सामना किया होता तो वह क्या करते। वह स्थिति को कभी भी डावांडोल होने नहीं देते और संपूर्ण मीडिया बिरादरी के लिए पूरी तरह से सुधार के लिए उपाय की शुरूआत करते। निस्संदेह पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है।

सत्य की खोज, निश्चित रूप से, कठिन और करने से ज्यादा कहना आसान है। लेकिन इसे जारी रखना चाहिए। हमारे जैसा लोकतंत्र तथ्यों का उजागर करने और उन पर चर्चा/बहस करने की इच्छा पर विश्वास करता है। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब नागरिक को भली भांति सूचना दी जाये। उस अर्थ में, उत्कृष्ट पत्रकारिता लोकतंत्र को पूर्ण अर्थ देती है।

यदि पत्रकारिता को संगत बने रहना है तो इसे अपने मिशन की भावना को बनाए रखना होगा, इसे ईमानदारी और निष्पक्षता के अपने मूल्यों को पुन: प्राप्त करना होगा। इसे नागरिको के साथ अपने समझौते को हर समय सुदृढ़ करना होगा: कि यह झुकेगा नहीं, कि यह हमेशा सच्चाई के लिए संघर्ष करेगा चाहे परिणाम कुछ भी हो, और यह निर्भीक और निष्पक्ष होकर सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

ऐसे उच्च आदर्शों को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को बनाए रखना और इससे मुनाफा भी कमाना एक कठिन चुनौती है। मीडिया के एक वर्ग ने फिर समाचार के नाम पर मनोरंजन का सहारा लिया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओ को उजागर करने वाली प्रमुख कहानियों को नज़रअंदाज किया जाता है और वह स्थान साधारण विषयों को दिया जाता है। तार्किक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने में सहायता करने के बजाय कुछ आकर्षण का केन्द्र बनने और रेटिंग प्राप्त करने के लिए तर्कहीन अभ्यास करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता लंबे समय तक चलेगी, जिस तरह की पत्रकारिता का कीर्तिगान करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं।

मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके संगठनों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने उनके कार्य को उजागर करने में मदद की। इन पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेस ग्रुप और निर्णायक (जूरी) मंडल को भी बधाई देता हूँ। मैं युवा पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिनके कार्य का, भविष्य में इस मंच पर कीर्तिगान होगा। महान पूर्वजों में से एक महात्मा गांधी का यह मशवरा उनके लिए और अन्य सभी पत्रकारों के लिए, अच्छे मार्गदर्शक के रूप में साबित होगा, 'हमेशा सच्चाई पर जोर दे और विनम्रता एवं शालीनता के साथ आग्रह करें। मैं लंबे समय तक एक युवा पत्रकार रहा हूँ। मैं अपने तरीके से अपनी कला को जानने का दावा करता हूँ। इसलिए मैं आपलोगो से कलम और जुबान पर अंकुश लगाने के लिए कहूंगा क्योंकि आप पत्रकार एवं प्रचारक हैं। शब्दों का प्रयोग कम से कम करें परंतु सच्चाई का नहीं। अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखें लेकिन अंतरात्मा पर नहीं जो बढ़ते हुए अवरोधों के साथ उज्ज्वल होना चाहिए'।

राष्ट्रपिता के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं ।

जय हिन्द!

लेखक भारत के राष्ट्रपति हैं । यह रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में उनके अभिभाषण से लिया गया है ।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 22 जनवरी, 2020, नई दिल्ली)

फेक न्यूज़ रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कानूनों को परख रही सरकार

मीडिया खासकर सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे के बाद आज संपूर्ण विश्व में फेक न्यूज़ एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। दुनिया में कई जगह इससे निपटने की पहल भी हो चुकी है। अपने यहां भी अब केन्द्र सरकार फेक न्यूज़ से निपटने और उस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार फेक न्यूज़ पर नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइंस या कानून लाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए दो पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहती है। पहला, फेक न्यूज़ को काउंटर कैसे किया जा रहा है, दूसरा इसे लेकर दुनिया भर में सजा का या इसके खिलाफ कार्रवाई का क्या प्रावधान है। इसके लिए सरकार विभिन्न देशों में इससे जुड़े मॉडल की जानकारी जुटा रही है। बताया जाता है कि इसके लिए खासतौर पर फिनलैंड व सिंगापुर के मॉडल को ध्यान में रखा जा रहा है।

(नव भारत टाइम्स, 24 जनवरी 2020, नई दिल्ली)

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चार मीडिया घरानों पर लगाया अदालती खर्च

मामले का संबंध पिछले वर्ष एक जज के खिलाफ झूठी समाचार रिपोर्ट के प्रकाशन और प्रसारण से है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 28.1.2020 को एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र और तीन कन्नड़ टेलीविज़न समाचारपत्र चैनलों पर 16 दिसंबर को एक झूठी समाचार रिपोर्ट को शीर्षक 'जज के ऊपर छापे में जब्त 9 करोड़' के तहत प्रसारित

करने के लिए 73 लाख का कुल जुर्माना लगाया तथा प्रकाशन के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा।

एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी कार्यवाही को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार मीडिया घरानों पर दया एवं नरमी दिखाते हुए, क्षमा याचना स्वीकार की और आदेश पारित किया। हालांकि न्यायालय ने टिप्पणी की, कि चार मीडिया घराने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के दोषी है, क्योंकि उन्होंने झूठी और तिस्कारपूर्ण न्यूज़ रिपोर्टें प्रकाशित करके न्यायपालिका को कलंकित किया है।

मीडिया घराने ने स्वीकार किया कि समाचार रिपोर्टों को बिना किसी सामग्री और सत्यापन के प्रकाशित किया गया था और वे झूठी खबर के प्रकाशन के कारण न्यायपालिका को हुए नुकसान के लिए अदालत के निदेश पर, जुर्माने के रूप में पर्याप्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए।

न्यायपालिका खराब हालत में

खंडपीठ ने कहा कि समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित झूठी समाचार रिपोर्ट ने उच्च न्यायालय के प्रशासन और राज्य की न्यायपालिका को खराब हालत में दिखाया क्योंकि रिपोर्ट से पाठको को ऐसा लगा कि कर्नाटक न्यायपालिका में गंभीर रूप से कुछ अनुचित है, सिटी सिविल अदालत में कई भ्रष्ट जज थे और उच्च न्यायालय सभी कानूनों की अवहेलना करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उन्हें पद त्यागने के लिए धमका रहा है। बेंच ने माना कि झूठी खबरों के कारण होने वाली क्षति अपूरणीय है क्योंकि यह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से कई लोगों तक पहुंच सकती थी।

डेक्कन हेराल्ड जिसने उस शीर्षक के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ने बिना शर्त माफी मांगने के अलावा 30 लाख रूपए का भुगतान करने पर सहमति जताई और रिपोर्टर जिसने रिपोर्ट दी थी, के खिलाफ एक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पक्ष अनुशासनात्मक जांच कराने के एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया।

बीटीवी चैनल को जुर्माने के रूप में 20 लाख रूपए का भुगतान करने के लिए निदेशित किया गया क्योंकि चैनल ने झूठी रिपोर्ट प्रसारित करने के अलावा करेंसी नोटो की गिनती का एक असंबद्ध फाइल वीडियो भी प्रसारित किया है जिससे दर्शको को यह विश्वास हो गया कि शहर के सिविल कोर्ट (बेंगलुरू) के एक न्यायाधीश के आवास पर छापा पड़ा था हालांकि न तो इस तरह की कोई छापेमारी की गई और न ही नकदी जब्त की गई।

दो अन्य चैनलों, टीवी 5 और दिग्विजय टीवी, ने बिना शर्त माफी के अलावा 8 लाख रू. और 15 लाख की लागत का भुगतान करने पर सहमति जताई ।

(द हिन्दू, 29 जनवरी 2020, नई दिल्ली)

कश्मीरी पत्रकारों को पुरस्कार

जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार, युसुफ जमील को लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए 2019-20 पीईएन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए चुना गया है।

आग़े बताया गया कि "पत्रकारिता में उनका कार्य वृत्तिक सत्यनिष्ठा और लोकतंत्र के आदर्शवाद के लिए अनुकरणीय वचनबद्धता को दर्शाता है।"

पीईएन दक्षिण भारत और पीईएन दिल्ली ने "गौरी लंकेश के आदर्शवाद और प्रतिबद्धता को सँजोने के लिए" पुरस्कार प्रारंभ किया एवं संपादक-कार्यकर्ता की हत्या 2017 में कर दी गई थी। इसमें एक लाख रुपए की धनराशि है।

श्री जमील जम्मू और कश्मीर में एक प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी तथा प्रिंट और रेडियो में 1980 की शुरुआत से साढ़े तीन दशक तक काम किया है। उन्होंने उर्दू के दैनिक आफताब से लेकर बाद में द टेलीग्राफ, बीबीसी, रॉयटर्स, टाइम्स और द एशियन तक विभिन्न प्रकाशनों के साथ काम किया है। उन्हें 1996 में पत्रकार रक्षा परिषद द्वारा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितंबर 1995 में एक कैमरामैन मारा गया और श्री जमील घायल हो गए, जब कैमरामैन ने श्री जमील को संबोधित एक पत्र बम को खोला था।

बताया गया कि, “अस्सी और नब्बे के दशक के अंत में कश्मीर घाटी में बढ़ते उग्रवाद के परिदृश्य में तथा तभी से बहुत जटिल संघर्ष को देखते हुए उनके कार्य ने जम्मू एवं कश्मीर में निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार का नेतृत्व किया। उनके काम में गहन सामाजिक जुड़ाव और चिंता झलकती है और उन्होंने उचित एवं निर्भीक रिपोर्टिंग में अत्यधिक योगदान दिया है।”

(द हिन्दू, 30 जनवरी 2020, नई दिल्ली)

प्रेस का सम्मान करें

संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरे की प्रक्रिया को ताक पर रखकर सरकार ने पिछले साल मई में बड़ी खमोशी से मीडिया कौंसिल बिल को संघीय संसद में पेश कर दिया था। जाहिर है, मौजूदा प्रेस कौंसिल कानून की जगह प्रस्तावित इस कानून की फौरन आलोचना शुरु हो गई, क्योंकि इसके कुछ प्रावधान प्रेस का गला घोंटने वाले थे। इनमें से एक यह था कि यदि कोई पत्रकार 'मीडिया कोड ऑफ एथिक्स' के उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस विधेयक के कई संदिग्ध प्रावधानों ने प्रेस की आजादी खत्म करने का भय पैदा कर दिया। पर तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने रुख पर अडिग सरकार यह दलील पेश करती रही कि नेपाली मीडिया का नियमन जरुरी है। फिर विभिन्न मीडिया संगठनों ने अनेक दौर की बातचीत के बाद यह आश्वासन हासिल किया कि इस विधेयक और इसके प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। बीते सोमवार को 'राष्ट्रीय सभा की विधान प्रबंधन समिति' में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि इन प्रावधानों को हटाया जाए। देर से ही सही, मगर इस फैसले से समझदारी की झलक मिलती है। लेकिन अभी यह जीत अधूरी है। कमिटी भले इस बात पर सहमत हो गई है कि अपने फर्ज को अंजाम दे रहे पत्रकारों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, पर एक अन्य प्रावधान अब भी बना हुआ है कि नए पत्रकारों को पत्रकारिता शुरु करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साल 2018 में जब से केपी शर्मा ओली सत्ता में आए हैं, प्रेस पर हमला और असहमतियों का दमन उनके शासन की विशेषता-सा बन गया है। निर्मम 'आईटी मैंनेजमेंट बिल' से लेकर गोपनीय तरीके से 'मीडिया कौंसिल बिल' संसद में पेश किए जाने तक सरकार

मीडिया के प्रति सख्त रुख अपनाती रही है, जबकि लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिहाज से मीडिया का काफी महत्व है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की अहमियत खारिज नहीं की जा सकती। मीडिया कौंसिल बिल लोकतांत्रिक मानकों और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ था, जबकि संविधान इसकी गारंटी देता है।

द काठमांडू पोस्ट, नेपाल से पुन: प्रकाशित
(हिन्दुस्तान, 1 फरवरी 2020, नई दिल्ली)

घाटी के पत्रकारों ने काम में आ रही कठिनाइओं को किया बयान

स्थानीय मीडियाकर्मियों ने बुधवार को श्रीनगर के ललित होटल में 25 विदेशी दूतों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पिछले साल अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया।

बातचीत हालांकि एकतरफा थी और केवल दूतों ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों को जानने के लिए सवाल किए थे, जो विशेष दर्जा खत्म किये जाने से लेकर इंटरनेट नाकाबंदी तक थे। इन दूतों ने पत्रकारों से जानना चाहा कि सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को स्थानीय लोग किस प्रकार देख रहे हैं। एक पत्रकार ने 5 अगस्त के बाद से अधिकारियों से उन्हें मिल रही चेतावनियों एवं धमकी के बारे में बात की थी, जब केंद्र ने राज्य का दर्जा कम करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था।

(द ट्रिब्यून, 13 फरवरी 2020, गुरूग्राम)

चुनाव आयोग ने मतदान संबंधी अपराध में पेड समाचार किया शामिल

भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को केन्द्रीय कानून मंत्रालय के विधायी मामलों के साथ विचार-विमर्श किया और चुनावी सुधारों के लिए नए सिरे से कदम उठाया जिसमें पेड समाचार और झूठे हलफनामा को दायर करना जैसे चुनाव संबंधी अपराध शामिल हैं।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 19 फरवरी 2020, नई दिल्ली)

पीएम ने चिकित्साकर्मियों व मीडिया के योगदान को सराहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17.3.2020 को भाजपा सांसदो से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैदा करने का आह्वान किया। साथ ही स्पष्ट किया कि संसद के बजट सत्र में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती सामनें है, तब सांसदों को अपना काम करते दिखना चाहिए। मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डाक्टरों और नर्सों सहित चिकित्साकर्मियों की भूमिका तथा जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए सभी से सतर्क रहने को कहा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद संवाद्दाताओं से कहा कि बजट सत्र की अवधि कम नहीं की जाएगी और यह पूर्व निर्धारित समय के अनुसार तीन अप्रैल तक चलेगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से छोटे-छोटे समूहों में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा 15 अप्रैल तक कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित न करने की सलाह दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि शनिवार एवं रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करें। प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मीडिया ने काफी सकारात्मक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है।

(राष्ट्रीय सहारा, 18 मार्च 2020, नई दिल्ली)

अध्याय - IV

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

परिषद, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाये रखने में सहायता करने व किसी भी प्रकार की घटना, जिससे जनहित व जनमहत्व के समाचार के प्रचार और प्रसार में अवरोध की संभावना हो, का मुआयना करती है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए या प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत कोई भी कार्य करने के लिए परिषद अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी प्राधिकारी, जिसमें सरकार भी शामिल है, के आचरण के संबंध में अपने निर्णयों या रिपोर्टों में से किसी में भी जैसा वह ठीक समझे, वैसी टिप्पणियां करने के लिए सशक्त है। परिषद अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकारियों के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतों पर निर्णय देती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद को प्रिंट मीडिया की मुक्त कार्यप्रणाली को कम करने के प्रयासों के आरोप में सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध **263** शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों के **168** (12 स्थगित मामलों सहित) मामलों पर विचार करना लंबित था। **431** मामले जिन पर परिषद का ध्यानाकर्षण आवश्यक था, उनमें से न्याय-निर्णयन के द्वारा **86** मामले समाप्त कर दिये गये, जबकि **146** मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने या न्यायाधीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिये गये। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परिषद ने दिनांक 22.08.2019 को वर्ष 1979 से 2016 तक के **103** मामले, जो नहीं मिल पाए थे, भी समाप्त कर दिए। शेष **96** मामलों पर समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के समय कार्रवाई चल रही थी।

इस अध्याय के अंतर्गत शिकायतों पर न्याय-निर्णयों का आलेखों द्वारा विश्लेषण किया गया है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क.	अंग्रेजी प्रेस
ख.	भारतीय भाषायी प्रेस
ग.	पत्रकार संगठन / समाचार एजेंसी
घ.	स्वप्रेरणा से कार्रवाई

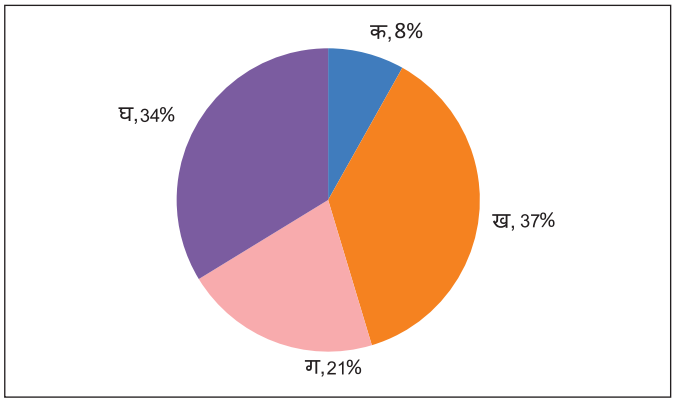

प्रतिवादियों की श्रेणियां

क.	पुलिस / सरकारी प्राधिकरण
ख.	सूचना विभाग
ग.	संस्थान / निजी कंपनियां / समाचार पत्र प्रबंधन
घ.	गैर सरकारी व्यक्ति
ङ.	सार्वजनिक व्यक्ति

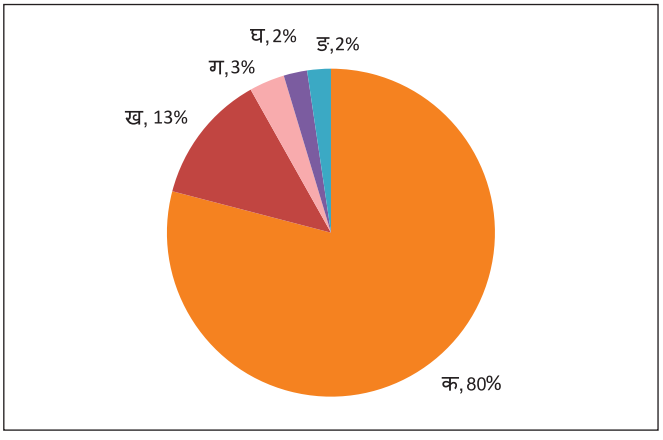

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या: 86

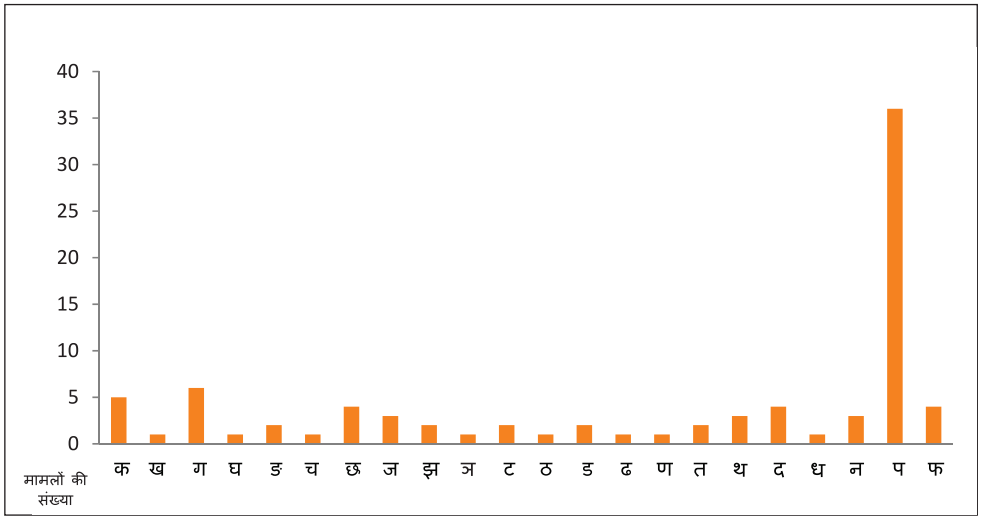

संक्षिप्तियों का विवरण
मामलों की कुल संख्या: 86

क	आंध्र प्रदेश	5
ख	अरुणाचल प्रदेश	1
ग	बिहार	6
घ	छत्तीसगढ़	1
ङ	दिल्ली	2
च	हिमाचल प्रदेश	1
छ	जम्मू और कश्मीर	4
ज	झारखंड	3
झ	कर्नाटक	2
ञ	केरल	1
ट	मध्य प्रदेश	2
ठ	महाराष्ट्र	1
ड	मणिपुर	2
ढ	मेघालय	1
ण	मिज़ोरम	1
त	पंजाब	2
थ	राजस्थान	3
द	तमिल नाडु	4
ध	तेलंगाना	1
न	त्रिपुरा	3
प	उत्तर प्रदेश	36
फ	पश्चिम बंगाल	4

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

प्राधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, प्रेस को अपने हिसाब से चलाने के लिए विवश करने हेतु कार्यपालकों द्वारा अपनाये गये तरीकों में से एक है। पुलिस की कार्रवाई अथवा निष्क्रियता की विधिसम्मत आलोचना करने पर पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा अनगिनत बार कथित रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है और कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है। पत्रकारों का उत्पीड़न न केवल प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है बल्कि आतंकवादी व उग्रवादी या असामाजिक तत्व भी उन्हें उत्पीड़ित करते हैं।

मुक्त एवं आलोचनात्मक लेख अपरिहार्य रूप से उन लोगों को उलझन में डालने की क्षमता रखते हैं, जिनके विरूद्ध ऐसे लेख प्रकाशित किये गये हैं और प्राधिकारी अक्सर ही ऐसे समाचारपत्रों को नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतया यह छापों, उत्पीड़न या धमकियों के रूप में और कभी-कभी शारीरिक उत्पीड़न के रूप में दिखाई देता है।

इस वर्ष में परिषद ने ऐसे कुल **31** मामलों का न्याय-निर्णयन किया। इनमें से, **6** मामलों में दोष सिद्ध हुआ जबकि **6** गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार किये गये। **3** अन्य मामलों में, संबद्ध प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त सुधार करने अथवा सुधार करने का आश्वासन दिये जाने पर परिषद ने जांच बंद कर दी। मामलों के न्यायाधीन हो जाने या परिषद द्वारा मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने की आवश्यकता न होने के कारण शेष **16** शिकायतों को समाप्त कर दिया गया। नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है।

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या: 31

क.	अनुमोदित	6
ख.	अस्वीकृत	6
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	3
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	16

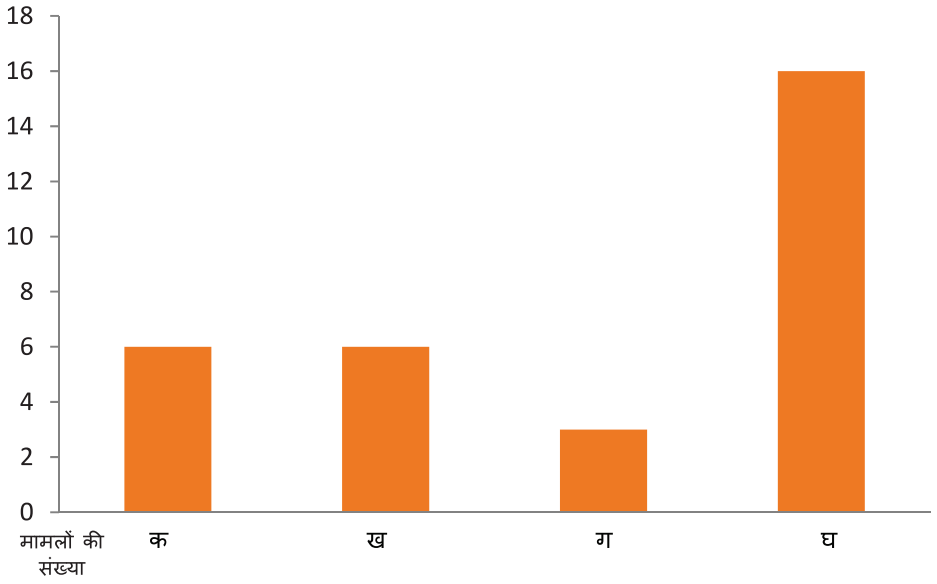

प्रेस को सुविधायें

प्रेस को अपने वृत्तिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्यायन से पत्रकारों को अपने कार्य को सुगमता से करने में काफी हद तक सहायता मिलती है। इसी प्रकार, विज्ञापन, एक ओर जनता तक नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने के लिए प्राधिकारियों को सक्षम बनाते हैं वहीं दूसरी ओर, वे समाचारपत्र को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहायता करते हैं। हालांकि प्राधिकारियों द्वारा समाचारपत्र को यह सुविधायें उपलब्ध करवाना बंद करने का कार्य आवश्यक रूप से स्पष्टत: निर्धारित नीतियों व नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल समाचारपत्रों की आवश्यकता को पूरा कर सके, बल्कि पत्रकारिता कर्त्तव्यों के निर्वाह में भी उनकी सहायता कर सके।

लघु प्रेस की विज्ञापन और अन्य सुविधाओं पर निर्भरता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन पर दबाव डालती हैं। यह देखा गया है कि कई बार, प्राधिकारी द्वारा उन्हें यह सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु उनके लेखन को प्राधिकारी के विचारों के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए इन सुविधाओं को वापिस लेने या उन्हें मुहैया कराने या इसका वायदा किया जाता है।

उपर्युक्त सुविधाओं के पक्षपातपूर्ण प्रत्याहरण/सुविधायें देने से इंकार करने के विरूद्ध भारी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दिये गये **14** न्याय-निर्णयों में से **3** शिकायतों का समर्थन किया गया और **2** को गुणदोष के आधार पर अस्वीकार किया गया। **5** मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षों की शिकायतों का निवारण किया। **4** न्यायनिर्णयों को, जारी न रखे जाने या परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने या मामले के न्यायाधीन हो जाने पर खारिज किया गया। नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या: 14

क.	अनुमोदित	3
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	5
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	4

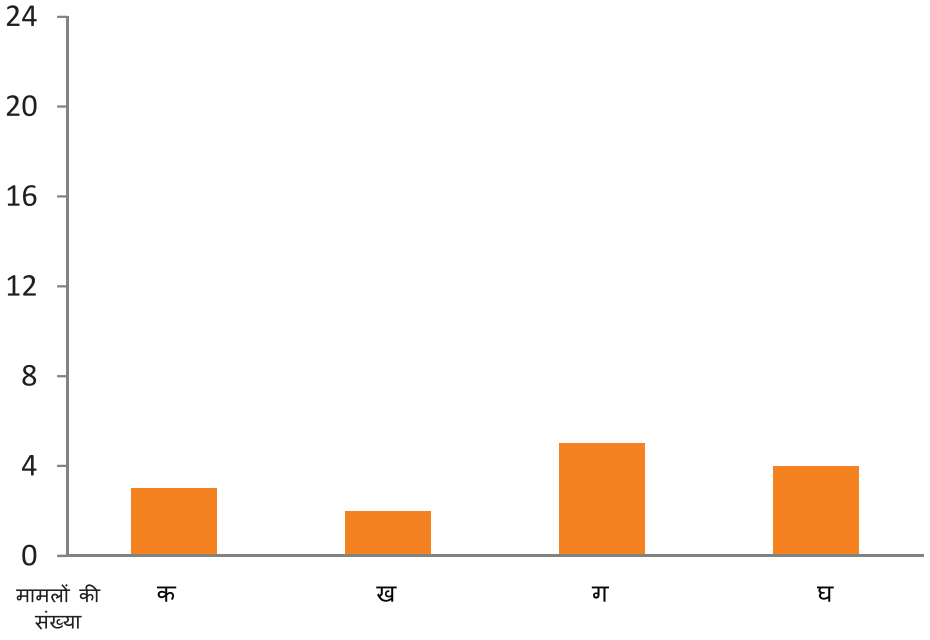

स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

अध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 14(1) या धारा 13(2) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले के संबंध में स्व-प्रेरणा से नोटिस जारी कर सकते हैं या मामले के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं । तत्पश्चात् विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले **31** न्यायनिर्णय विशिष्ट जरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। **6** मामलों को अनुमोदित किया गया जबकि **1** मामले में कार्रवाई बंद कर दी गई। **8** मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों ने पत्रकारिता जगत के संबंध में परिषद की चिंता के प्रति ध्यानाकृष्ट किया । **16** न्यायनिर्णयों को, जारी न रखे जाने या परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने या मामले के न्यायाधीन हो जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गयी। नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

मामलों की कुल संख्या: 31

क.	अनुमोदित	6
ख.	कार्रवाई बंद	1
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	8
घ.	जारी न रखने/न्यायाधीन होने के कारण बंद	16

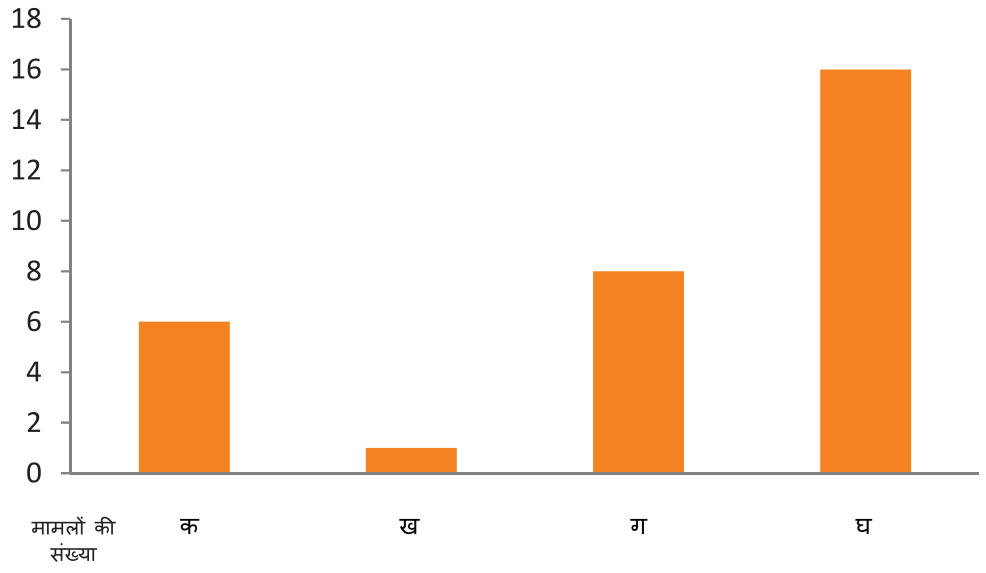

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

प्रेस की स्वतंत्रता हर लोकतांत्रिक समाज की पोषित परिसंपत्ति है । यह मानवाधिकारों की आधारशिला और अन्य स्वतंत्रता की गारंटी भी है । प्राधिकारी, व्यापार संघ, राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक संगठन और कुछ अन्य दबाव डालने वाले ग्रुप अक्सर प्रेस को मूक करने और उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने स्वतंत्र विचार न देने के लिए विवश करने हेतु दबाव डालने का प्रयास करते हैं । ऐसा वे प्रदर्शनों, हमलों और प्रेस स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करके, प्रेस की संपत्ति को नष्ट कर के, प्रेस में छापे मार कर, समाचारपत्रों के अंकों के परिचालन को रोककर और प्रेस की निर्विघ्न कार्यप्रणाली में बाधा डालने के अन्य तरीकों से करते हैं।

इस श्रेणी में आने वाले **10** न्यायनिर्णय विशिष्ट जरियों का वर्णन करते हैं, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं । इनमें से **2** मामलों का समर्थन किया गया तथा **1** को गुणदोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। **2** मामलों में प्रतिवादी संगठन द्वारा आश्वासन दिया गया। **5** मामलों को, जारी न रखे जाने या परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने या मामले के न्यायाधीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।

नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

मामलों की कुल संख्या: 10

क.	अनुमोदित	2
ख.	अस्वीकृत	1
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	2
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	5

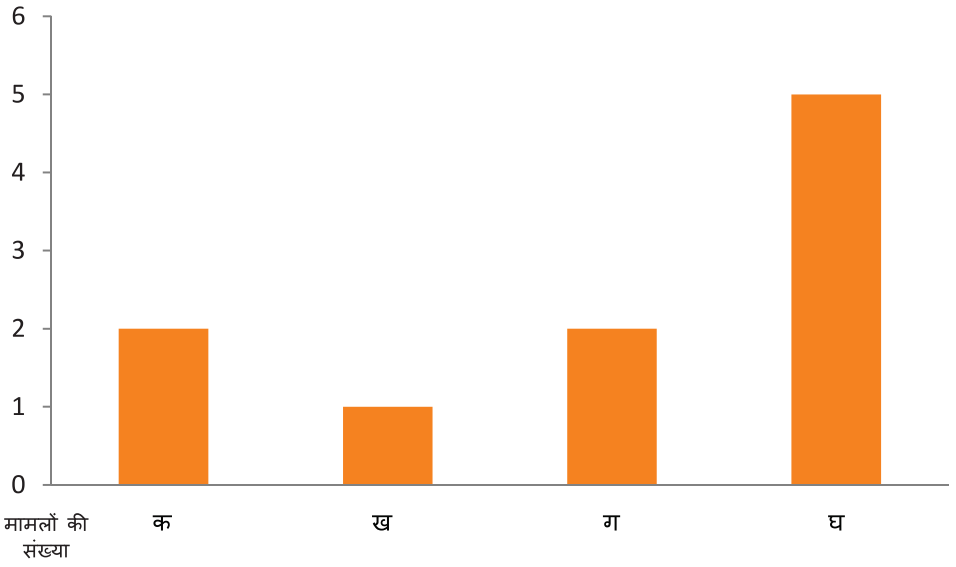

अध्याय-V

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

भारतीय प्रेस परिषद् का मुख्य कार्य प्रेस के स्तर तथा पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों को बनाये रखना और उन्हें संवर्धित करना है। इस उद्देश्य से परिषद् ने प्रेस का मार्ग दर्शन करने के लिए स्वीकृत शिकायतों पर न्याय-निर्णयों के माध्यम से मानक विकसित किये हैं। इसके अनुसरण में, परिषद द्वारा किए गए न्यायनिर्णयों और सुनाए गए निर्णयों के आधार पर, विभिन्न प्राधिकरणों, न्यायालय आदेशों से संदर्भ प्राप्त हुए।

आज के वाणिज्यीकरण के युग में नये जमाने के समाचारपत्रों का प्रबल उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा की दौड़ में सबसे आगे निकल जाना और स्वतंत्रता-पूर्व काल में अभूतपूर्व उत्साह से जन सेवा करने का कार्य गौण हो गया है। परिषद भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और न्यायिक घोषणाओं के साथ-साथ प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतों का अपनी जांच समितियों के जरिये समाधान करके प्रेस के मानकों को बनाए रखने का संतुलित कार्य करती है।

अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् को प्रेस के विरूद्ध **722** शिकायतें सहित, जिनमें प्राप्त हुईं **(12 मामलों से, 6 मामले पुनः सुनवाई के लिए रिव्यू किये गये तथा 6 मामलों की कार्रवाई शिकायतकर्ता के अनुरोध पर पुनः शुरू की गई)।** इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के **1004 (18 स्थगित मामलों सहित)** मामले लंबित थे। अत: परिषद् को कुल मिलाकर **1726** शिकायतों पर विचार करना था जोकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी थीं। इनमें से, **185** मामलों का न्यायनिर्णयों के ज़रिये निपटान किया गया, **890** मामले (**पेड समाचार, 2012 से संबंधित 397 मामले सहित**) दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी या शिकायतों को जारी न रखने आदि के कारण शिकायतों को खारिज किये जाने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परिषद ने दिनांक 22.08.2019 को वर्ष 1979 से 2016 तक के **310** अप्राप्य मामले भी समाप्त कर दिए। अत: समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में **341** मामले लंबित थे।

निर्णीत मामलों का आलेख प्रस्तुत है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क.	सरकारी प्राधिकरण/सरकारी अधिकारी
ख.	गैर सरकारी व्यक्ति
ग.	संस्थान/निजी कंपनियां/समाचारपत्र संघ
घ.	सार्वजनिक व्यक्ति
ङ.	स्वप्रेरणा से कार्रवाई

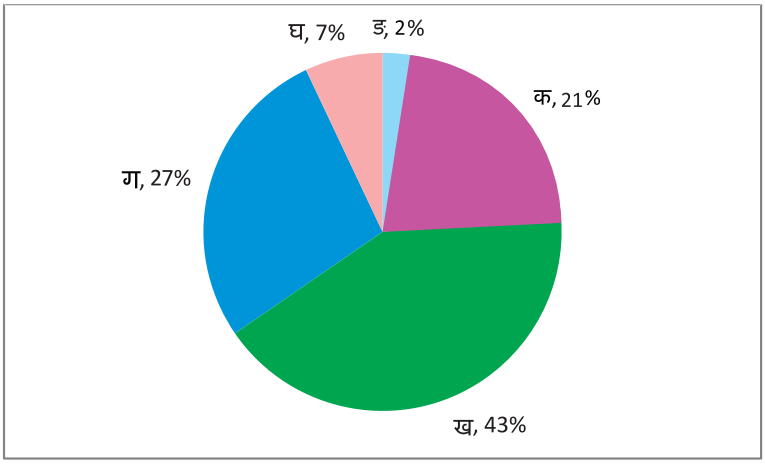

प्रतिवादियों की श्रेणियां

क.	अंग्रेज़ी प्रेस
ख.	भारतीय भाषायी प्रेस

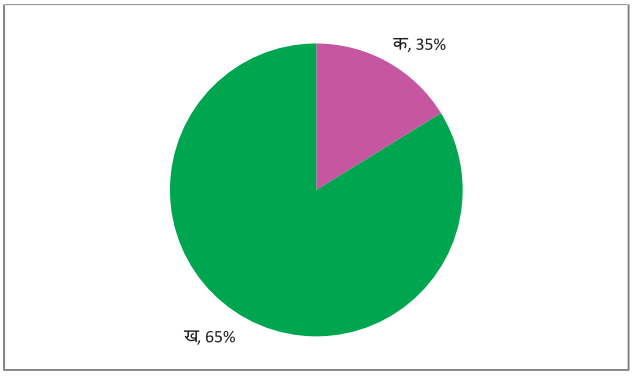

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार वितरण

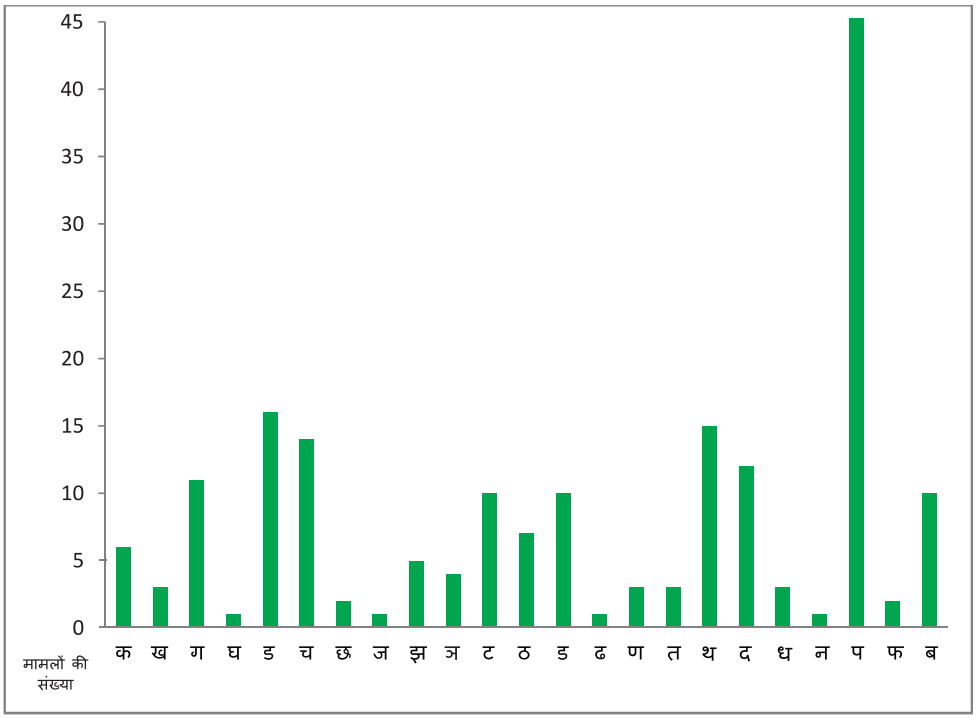

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 185

क	आंध्र प्रदेश	6
ख	असम	3
ग	बिहार	11
घ	चेन्नई	1
ङ	दिल्ली	16
च	हरियाणा	14
छ	हिमाचल प्रदेश	2
ज	जम्मू और कश्मीर	1
झ	झारखंड	5
ञ	कर्नाटक	4
ट	केरल	10
ठ	मध्य प्रदेश	7
ड	महाराष्ट्र	10
ढ	मेघालय	1
ण	ओडिशा	3
त	पंजाब	3
थ	राजस्थान	15
द	तमिल नाडु	12
ध	तेलंगाना	3
न	त्रिपुरा	1
प	उत्तर प्रदेश	45
फ	उत्तराखंड	2
ब	पश्चिम बंगाल	10

सिद्धांत और प्रकाशन

गलतियां मनुष्यों से ही होती हैं और अन्य व्यक्तियों की तरह ही प्रेस भी, किसी व्यक्ति या सरकारी कर्मियों और संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत रिपोर्टें या लेख प्रकाशित कर सकती है। जल्द-से-जल्द सुधार ही इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि अक्सर जब एक व्यथित व्यक्ति मामले में अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवाद या प्रत्युत्तर भेजता है, तो संपादक, उत्तर के अधिकार के सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ करते हुए, उसे जल्द-से-जल्द प्रमुखता देते हुए प्रकाशित करने का इच्छुक नहीं होता है।

ऐसी कई अन्य सामान्य आचार नीतियां हैं जो प्रेस का, उनके द्वारा कार्रवाई करने में और पाठकों के प्रति उनके रवैये के लिए, मार्गदर्शन करती हैं। इनके कथित उल्लंघन के कारण पाठक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परिषद् का रूख करते हैं। कई वर्षों से अपनी सांविधिक ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, प्रेस परिषद् ने, भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर अपने न्यायनिर्णयों व विभिन्न मुद्दों पर सरकारी प्राधिकरण के संस्थानों या न्यायालयों की घोषणाओं से निकाले गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिये पत्रकारिता के आचरण के मानक विकसित किये हैं। परिषद् का इन न्यायनिर्णयों के जरिये यही प्रयास रहा है कि वह उस विश्वास,आदर व गरिमा को बनाये रखने में प्रेस की सहायता कर सके, जिसके वह योग्य है।

इस वर्ष परिषद् को समाचारपत्रों के विरूद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें शिकायतकर्ता मुख्य रूप से प्रतिवादी समाचारपत्रों द्वारा उनका प्रत्युत्तर प्रकाशित न करने तथा पत्रकारिता नीति/दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर व्यथित थे। इस वर्ष दिये गये **68** न्याय-निर्णयन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से **14** शिकायतों का समर्थन किया गया जबकि **25** मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाने के कारण अस्वीकार कर दिये गये। **18** शिकायतें, प्रतिवादियों द्वारा संशोधन का प्रस्ताव देने पर समाप्त कर दी गयीं। शेष **11** शिकायतों को जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामले के न्यायाधीन हो जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गयीं।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

सिद्धांत और प्रकाशन
मामलों की कुल संख्या : 68

क.	अनुमोदित	14
ख.	अस्वीकृत	25
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	18
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	11

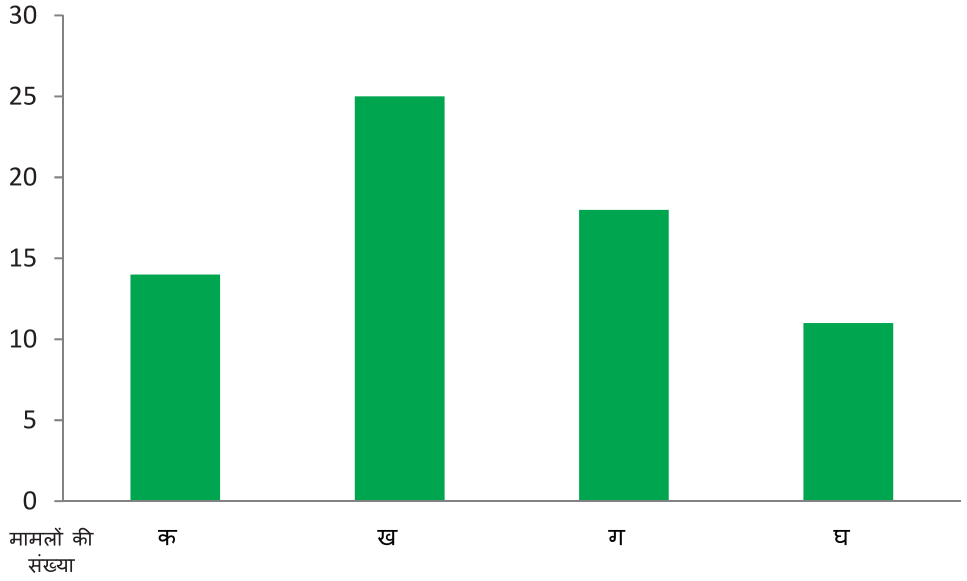

प्रेस और मानहानि

प्रारंभ से ही, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज उसका जो सम्मान करता है, अन्य लोगों के द्वारा उसकी बौद्धिक क्षमता पर भरोसा रखना तथा नैतिक अखंडता उसकी सबसे मूल्यवान धरोहर मानी जाती हैं। व्यक्तियों की गरिमा को बनाये रखने के लिए, उनकी अच्छी सोच प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए और सद्भाव से कार्य करने की क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन मानव मूल्यों को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए, जो कि इस विषय के संबंध में पत्रकारिता के आचरण के मानकों के मूल आधारभूत तत्व हैं।

किसी व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार और अधिकारियों के उसकी प्रतिष्ठा का संरक्षण करने के अधिकार के बीच हमेशा एक नाजुक संतुलन होता है। यह जानना अक्सर मुश्किल होता है कि कौन सी व्यक्तिगत टिप्पणी उचित है और कौन सी बदनामी से दूर भागने की। प्रेस को मानहानि से बचने के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन रखना होगा।

परिषद् ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के संबंध में इस वर्ष **89** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये। इनमें से, **8** मामलों में प्रेस को मानहानिजनक लेखन का दोषी माना गया जबकि **42** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। **11** मामलों में परिषद् के कारण दोनों पक्षों के बीच मामले का समाधान हो गया जबकि **28** शिकायतें जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामले के न्यायाधीन होने पर बंद कर दी गयीं।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्या : 89

क.	अनुमोदित	08
ख.	अस्वीकृत	42
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	11
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	28

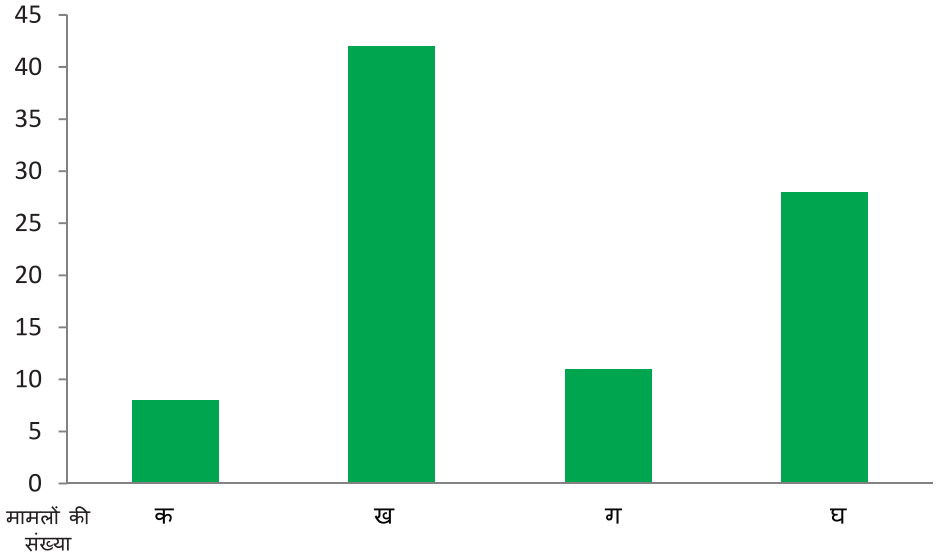

पेड समाचार

पेड न्यूज़ से अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जिनका, पूर्व में दिये गये प्रतिफल के बदले में, प्रकाशन के समय या प्रकाशन के पश्चात् किसी भी प्रकार से मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया गया हो या जिन्हें मीडिया द्वारा हटाया गया हो। यह धोखाधड़ी में हुआ गुप्त नकद लेनदेन होता है और धोखे से किया जाता है, और इसी कारण इसे सिद्ध करने के लिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाना कठिन होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न होने पर ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पेड न्यूज की घटना का निष्कर्ष निकालना संभव है।

पेड न्यूज के मुद्दे का पता लगाने के लिये कोई पक्का या सीधा फार्मूला बनाना संभव नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने इस श्रेणी के अंतर्गत **13** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये। इनमें से, **7** मामलों का समर्थन किया गया जबकि पुष्टि न होने के कारण **5** मामलों को अस्वीकार कर दिया गया। **1** मामले में परिषद के कारण दोनों पक्षों के बीच मामले का समाधान हो गया।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

पेड समाचार
मामलों की कुल संख्या : 13

क.	अनुमोदित	07
ख.	अस्वीकृत	05
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	01
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	0

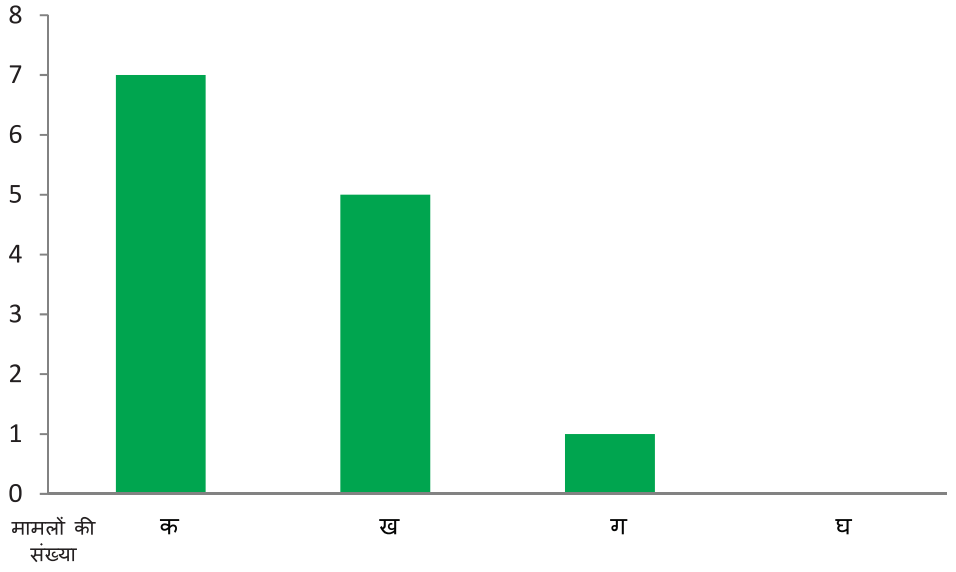

प्रेस के विरूद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई

परिषद अधिनियम की धारा 14(1) या धारा 13(2) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले के संबंध में स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करती है या मामले के अनुसार कार्रवाई करती है। तत्पश्चात् विनियम ३ के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने पर जांच विनियम 5 के आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

स्वप्रेरणा से कार्रवाई यह पता लगाने के लिए आरंभ की जाती है कि क्या एक समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नीति के मानकों या लोक रूचि का उल्लंघन किया है या कि एक संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने बृत्तिक कदाचार किया है या किन्हीं सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती की गई है।

इस संबंध में इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले **4** न्यायनिर्णयों की जांच की गई। इनमें से, **3** मामलों का समर्थन किया गया जबकि **1** मामले में कार्रवाई बंद कर दी गयी।

नीचे दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस के विरूद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई

मामलों की कुल संख्या : 4

क.	अनुमोदित	03
ख.	कार्रवाई बंद	01
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	-
घ.	जारी न रखने/न्यायाधीन होने के कारण बंद	-

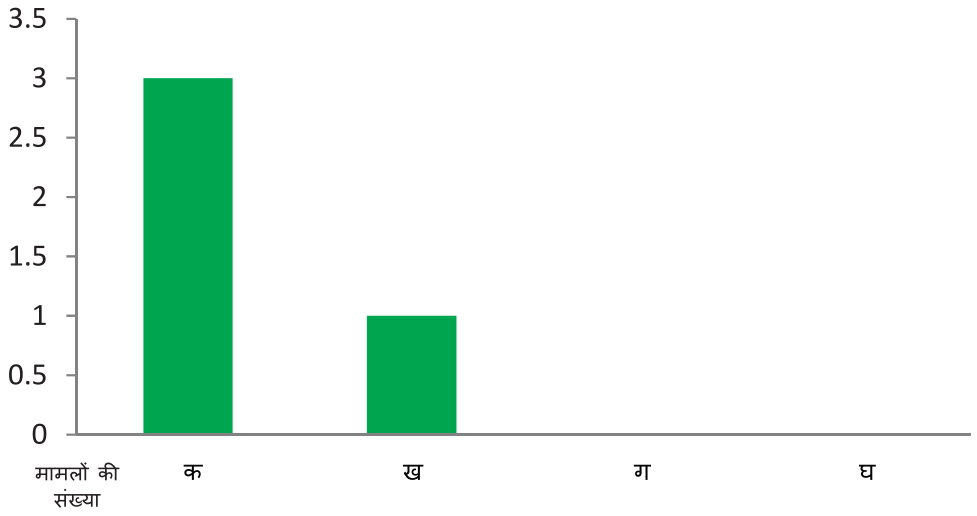

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेखन

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हर समाचारपत्र और पत्रिका तथा उसके संपादक का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भारत बहुत बड़ा देश है। भिन्न-भिन्न धर्मों और पंथों में विश्वास रखने वाले, भिन्न-भिन्न जातियों व मतों से संबंधित, भिन्न-भिन्न भाषायें बोलने वाले तथा भिन्न-भिन्न संस्कृति वाले लोग इस देश में रहते हैं। इन विविधताओं के बीच और इनके बावजूद, यहां एकता है जोकि भारत की गौरवशाली विरासत है। बढ़ती सांप्रदायिकता, जातीयता, धार्मिक एवं सामाजिक पूर्वाग्रह तथा आर्थिक क्षेत्र में अमीर व गरीब के बीच बढ़ते अंतर के साथ जब विभाजक ताकतें दुर्भाग्यवश इस एकता में बाधा डालने का प्रयास करती हैं, तो मीडिया, ऐसी विभाजक ताकतों पर अंकुश लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने इस श्रेणी में **4** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया। इनमें से **1** शिकायत का समर्थन किया गया जबकि **1** मामले को गुणदोष के आधार पर अस्वीकार किया गया। **2** मामलों में, संबंधित अधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षों की शिकायत का निवारण किया।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेखन

मामलों की कुल संख्या : 4

क.	अनुमोदित	01
ख.	अस्वीकृत	01
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	02
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	-

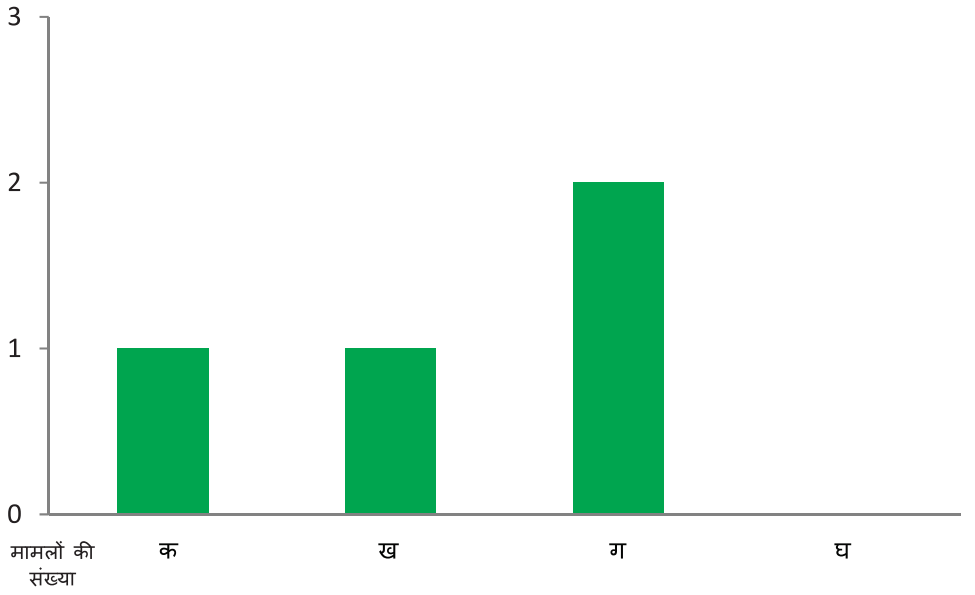

प्रेस और नैतिकता

वैश्वीकरण और उदारीकरण, मीडिया को समाज के मूल्यों को कम करने तथा मीडिया की स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने के लिए लाइसेंस नहीं देते। मीडिया की अलग भूमिका है और अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों से इसका कोई मेल नहीं है। जहां तक इस भूमिका का संबंध है, मीडिया के कर्त्तव्यों में से एक है - हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। प्रेस के कुछ वर्ग अश्लील तस्वीरें और स्तंभ, जोकि किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं हैं, प्रकाशित कर के पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं। इसके विपरीत, ऐसे प्रकाशन किशोरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

7 मामलों में, परिषद् ने नैतिकता के प्रश्न पर न्यायनिर्णय दिया। **1** मामले में संबद्ध समाचारपत्र के विरूद्ध लोकरूचि और नैतिकता के विरूद्ध अपराध के आरोप का समर्थन किया गया जबकि **6** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 7

क.	अनुमोदित	01
ख.	अस्वीकृत	06
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधित	-
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/ निराधार होने के कारण बंद	-

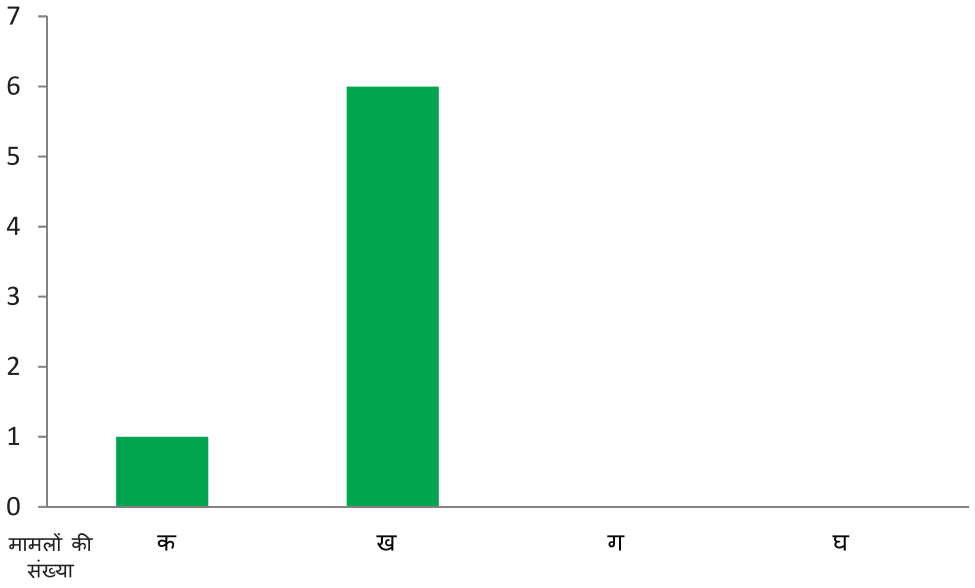

अध्याय-VI

परिषद का वित्त 2019-20

परिषद् की निधि के मुख्य स्त्रोत है :- (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद् द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियॉ यथा जमा राशि पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिषद् का बजट अनुमान, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जनवरी 2019 में स्वीकृत किया गया था, 745.00 लाख रूपये था । वर्ष 2019-20 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केन्द्र सरकार ने 900.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान) स्वीकार किये जिसमें 309.26 लाख रूपये की परिषद् की अनुमानित राजस्व आवतियां शामिल हैं।

परिषद् ने वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से 900.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान के रूप में 8,86,09,098.00 रू. + पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के रूप में 13,90,902.00 रू.) का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया जबकि परिषद् ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गये शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफ.डी.आर. पर ब्याज इत्यादि से 309.26 लाख रू. एकत्रित किये। इसमें से 203.19 लाख रूपये लेवी शुल्क से प्राप्त हुए और 106.07 लाख रूपये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य विविध प्राप्तियों, जैसे बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफडीआर पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त हुए।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद् के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए । वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे । लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित किया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं ।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) के संलग्न तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

i हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं ;

ii तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं।

iv हमारा आगे प्रतिवेदन है कि :

क तुलनपत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 नियत परिसंपत्तियां (अनुसूची 4) - 0.99 करोड़ रू

क.1.1.1 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची - 6) 15.38 **करोड़ रू**

क.1.1.1.2 भारतीय प्रेस परिषद ने वर्ष 2019-20 (अनुसूची 6, ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां) के वार्षिक लेखा में निम्नानुसार अग्रिम राशि दर्शायी जोकि 31 मार्च 2020 तक बकाया थी।

(रू. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	बकाया राशि	कब से लंबित है
1.	पार्टियों को अग्रिम	3.16	2005-06
2.	स्रोत पर कर कटौती	7.96	2008-09

इन लंबे समय से बकाया अग्रिमों पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है और प्रावधान किए जाने की ज़रूरत है या फिर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए।

ख सामान्य

ख.1 लेखा के समरूप फार्मेट के अनुसार, विविध देनदारों को दो शीर्षों में विभाजित किया जाना चाहिए 'छह महीनों से अधिक अवधि से बकाया ऋण' तथा 'अन्य'। हालांकि, वार्षिक लेखा में, परिषद ने 'विविध देनदार - लेवी शुल्क के कारण' शीर्ष के अंतर्गत 13.21 करोड़ रू की समेकित धनराशि दर्शायी है।

ख.2 सरकारी अनुदानों के लिए अलग से बैंक खाता नहीं रखा गया जोकि अनुदान की शर्तों का उल्लंघन है। अलग बैंक खाता न रखने की वजह से सरकारी अनुदान पर मिलने वाला ब्याज, जो मंत्रालय को प्रतिदेय था, नहीं मिल सका।

ख.3 परिषद ने सेवानिवृत्ति हितलाभ, नामत: उपदान, छुट्टी का नकद भुगतान इत्यादि का लेखाकरण जीवनांकिक आधार पर नहीं, बल्कि नकदी आधार पर किया है, जोकि आईसीएआई के एएस 15 का उल्लंघन है।

ख.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, 4.39 लाख रू. की राशि को सामान्य निधि से सीपीएफ़ में अंतरित किया जाना था जोकि नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप सामान्य निधि 4.39 लाख रू. की अधिक शेष राशि दिखा रहा है।

ग सहायता अनुदान

भारतीय प्रेस परिषद को वर्ष 2019-20 के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 8.86 करोड़ रू. का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। परिषद ने अपने स्रोतों से 3.09 करोड़ रू. प्राप्त किए तथा पिछले वर्ष 2018-19 की 0.13 करोड़ रू. की अव्ययित शेष राशि थी। 12.08 करोड़ रू. (8.86 करोड़ रू. +3.09 करोड़ रू. +0.13 करोड़ रू.) की कुल निधि में से परिषद ने 11.90 करोड़ रू. की धनराशि का उपयोग किया तथा 31 मार्च, 2020 को 0.18 करोड़ रू. की राशि शेष रह गई।

घ **प्रबंधन पत्र :** जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्व अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2020 को भारतीय प्रेस परिषद के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक हेतु और उनकी ओर से

ह०/-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.12.2020

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विभाग)

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

परिषद् की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। परिषद ने वर्ष 2018-19 तक अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टरित लेखाकारों से करवायी है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त है:

- सांविधिक ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008-10 से 2013-14 की अवधि के लिए 9 ऑडिट पैरा बकाया हैं ।
- संकट निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोकि परिषद की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद में नहीं पाए गए।
- परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर निर्धारित फॉर्मेट में नहीं बनाये गए।

3. **परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2018-19 तक किया गया था ।

4. **वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2018-19 तक किया गया था ।

5. **देय राशि के भुगतान में नियमितता**

लेखा बही के अनुसार 31 मार्च 2020 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था ।

तुलन पत्र
31 मार्च 2020 तक

भारतीय प्रेस परिषद
31.3.2020 तक का तुलन पत्र

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
देयता			
पूंजीगत निधि	1	14,34,71,245	13,16,63,354
अंशदायी भविष्य निधि	2	7,79,40,993	7,44,15,749
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	1,87,61,817	1,80,11,250
कुल		**24,01,74,055**	**22,40,90,353**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	99,10,666	87,27,564
निवेश - उद्दिष्ट निधि	5	7,64,16,571	7,28,30,834
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	15,38,46,818	14,25,31,955
कुल		**24,01,74,055**	**22,40,90,353**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 13

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियाँ 14

ह0/-
(अनुपमा भटनागर)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	2,88,86,245	3,41,39,427
सरकार से अनुदान	8	7,94,09,017	5,33,25,443
अर्जित ब्याज	9	57,35,361	56,75,530
कुल (क)		**11,40,30,623**	**9,31,40,400**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	7,87,32,399	6,49,72,814
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	2,66,94,454	1,89,19,574
वित्त खर्च	12	708	2,719
मूल्यह्रास (तालिका 4 के अनुरूप)	4	15,01,744	15,37,442
कुल (ख)		**10,69,29,305**	**8,54,32,549**
- पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे)		17,92,088	64,510
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		71,01,318	77,07,851
- सामान्य रिजर्व में/से अंतरण			
अधिशेष/(घाटा) आय एवं व्यय खाते में ले जाया गया		**88,93,406**	**77,72,361**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13		

ह0/-
(अनुपमा भटनागर)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 1 - पूंजी निधि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	1,95,50,894		1,78,06,496	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधि	29,14,485		17,44,398	
	2,24,65,379		1,95,50,894	
घटाएं : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	-	2,24,65,379	-	1,95,50,894
ख. आय और व्यय लेखा :				
वर्ष के आरंभ में शेष	11,21,12,460		10,43,40,098	
जोड़ें/(घटाएँ): आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/ (व्यय) का शेष	88,93,406		77,72,361	
जोड़ें/(घटाएँ) अन्य समायोजन		12,10,05,866		11,21,12,460
योग		**14,34,71,245**		**13,16,63,354**

अनुसूची 2 - सी. पी. एफ. निधि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) निधि का अथ शेष		7,44,15,749		6,82,77,545
ख) निधि में वृद्धि				
i सी.पी.एफ. में परिषद का योगदान	40,36,347		38,79,954	
ii. सी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	8,94,055		17,31,630	
iii. सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	82,51,949		68,55,985	
iv सी.पी.एफ.निधि पर ब्याज - कर्मचारियों का योगदान	36,81,478		32,37,506	
v सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज - परिषद् का योगदान	21,60,720		18,42,176	
vi एनपीएस में परिषद का योगदान (सेवाभार ग्रहण करने से लेकर 31.3.2020 तक की विभेदक राशि)	8,34,265	1,98,58,814	-	1,75,47,251
योग (क+ख)		**9,42,74,563**		**8,58,24,796**
ग) निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(26,40,000)		(37,00,000)	
सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(87,74,132)		(47,88,559)	
दिया गया सीपीएफ अग्रिम	(3,20,000)		(11,28,400)	
पूर्व अवधि समायोजन	(17,92,088)		-	
एनपीएस में अंतरण	(28,07,350)	(1,63,33,570)	(17,92,088)	(1,14,09,047)
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख-ग)		7,79,40,993		7,44,15,749

अनुसूची 3 - चालू देयताएं और प्रावधान

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शुल्क की अग्रिम उगाही	41,96,558	32,24,525
2	उगाही शुल्क उचंत	1,09,62,819	1,24,68,671
3	प्रतिभूति जमा	1,31,000	1,21,500
4	अव्ययित अनुदान	18,34,300	13,90,902
5	अन्य चालू देयताएं	-	-
6	पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय	7,33,529	6,84,872
7	सांविधिक देय राशि	295	295
8.	एनपीएस अभिदान	9,03,316	1,20,485
योग		**1,87,61,817**	**1,80,11,250**

अनुसूची 4

अनुसूचियां जो 31.3.2020 के

विवरण	सकल ब्लॉक				
	01.04.2019 को **लागत**	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान **बिक्री/अंतरण**	31.03.2020 को **लागत**
		180 दिन तक	180 दिन बाद		
वातानुकूलक और कूलर	20,69,383.00	3,14,959.00	3,06,000.00	11,778.00	26,78,564.00
कार और बाइसिकल	16,33,194.00	11,09,841.80	-	1,93,145.10	25,49,890.70
कंप्यूटर/पेरिफ़रल	48,89,142.00	1,29,312.00	49,100.00	495.17	50,67,058.83
संगोष्ठी कक्ष					
- सिविल कार्य	21,32,836.00	-	-	-	21,32,836.00
- संगोष्ठी तंत्र	1,97,595.00	-	-	-	1,97,595.00
- इलैकिट्रकल फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स	5,09,211.00	-	-	-	5,09,211.00
- फर्नीचर और फिक्सचर्स	5,00,000.00	-	-	-	5,00,000.00
संगोष्ठी तंत्र	27,820.00	-	-	-	27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	5,41,485.00	-	-	-	5,41,485.00
फ्रैंकिंग मशीन	63,135.00	-	4,423.00	-	67,558.00
फर्नीचर और फ़िक्सचर	46,57,176.00	21,998.00	5,54,995.00	18,042.14	52,16,126.86
हीट कन्वैक्टर और हीटर	2,36,873.00	-	-	1,091.26	2,35,781.74
पट्टे पर ज़मीन	15,63,767.00	-	-	-	15,63,767.00
पुस्तकालय की किताबें	9,95,441.46	24,317.00	34,985.00	-	10,54,743.46
मोबाइल फ़ोन	59,123.00	13,898.00	-	-	73,021.00
रेफ्रिजरेटर	1,74,675.00	-	-	-	1,74,675.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	1,10,227.00	-	-	-	1,10,227.00
स्टेबिलाइज़र	57,547.00	-	-	5,088.24	52,458.76
टेप रिकार्डर	18,924.00	-	-	-	18,924.00
टेलीविज़न	4,68,451.00	-	-	-	4,68,451.00
जल वितरक	1,11,811.00	6,510.00	-	-	1,18,321.00
इंवर्टर और बैट्रियॉ	13,894.00	-	-	-	13,894.00
जूसर मिक्सर ग्राइंडर	7,000.00	-	-	-	7,000.00
एयर प्यूरीफायर	-	-	99,011.00	-	99,011.00
सीसीटीवी कैमरा (एक्सेसरी सहित)	-	1,55,183.00	89,952.00	-	2,45,135.00
योग	**2,10,38,710.46**	**17,76,018.80**	**11,38,466.00**	**2,29,639.91**	**2,37,23,555.35**

तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक		
मूल्यह्रास दर	31.03.2019 तक	वर्ष हेतु	बट्टे खाते	कुल	31.03.2020 को डब्ल्यू डी वी	31.03.2019 को डब्ल्यू डी वी
15.00%	12,22,930.00	1,95,395.00	-	14,18,325.00	12,60,239.00	8,46,453.00
15.00%	11,91,398.00	2,03,774.00	-	13,95,172.00	11,54,718.70	4,41,796.00
40.00%	40,13,002.00	4,11,802.00	-	44,24,804.00	6,42,254.83	8,76,139.00
15.00%	9,21,245.00	1,81,739.00	-	11,02,984.00	10,29,852.00	12,11,591.00
15.00%	61,028.00	20,485.00	-	81,513.00	1,16,082.00	1,36,567.00
10.00%	2,19,946.00	13,612.00	-	2,33,558.00	2,75,653.00	2,89,265.00
10.00%	1,53,725.00	34,628.00	-	1,88,353.00	3,11,647.00	3,46,275.00
15.00%	27,474.00	52.00	-	27,526.00	294.00	346.00
15.00%	3,65,009.00	26,471.00	-	3,91,480.00	1,50,005.00	1,76,476.00
15.00%	27,598.00	5,662.00	-	33,260.00	34,298.00	35,537.00
10.00%	25,55,548.00	2,38,308.00	-	27,93,856.00	24,22,270.86	21,01,628.00
15.00%	46,588.00	28,379.00	-	74,967.00	1,60,814.74	1,90,285.00
-	-	-	-	-	15,63,767.00	15,63,767.00
40.00%	9,47,871.46	25,921.00	-	9,73,792.46	80,951.00	47,570.00
15.00%	22,201.00	7,623.00	-	29,824.00	43,197.00	36,922.00
15.00%	84,631.00	13,507.00	-	98,138.00	76,537.00	90,044.00
40.00%	95,723.00	8,361.00	-	1,04,084.00	6,143.00	14,504.00
15.00%	45,381.00	1,062.00	-	46,443.00	6,015.76	12,166.00
15.00%	6,314.00	1,892.00	-	8,206.00	10,718.00	12,610.00
15.00%	2,45,380.00	33,461.00	-	2,78,841.00	1,89,610.00	2,23,071.00
15.00%	52,343.00	9,897.00	-	62,240.00	56,081.00	59,468.00
15.00%	2,463.00	1,715.00	-	4,178.00	9,716.00	11,431.00
15.00%	3,347.00	548.00	-	3,895.00	3,105.00	3,653.00
15.00%	-	7,426.00	-	7,426.00	91,585.00	-
15.00%	-	30,024.00	-	30,024.00	2,15,111.00	-
	1,23,11,145.46	**15,01,744.00**	**-**	**1,38,12,889.46**	**99,10,665.89**	**87,27,564.00**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 5 - निवेश

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
मियादी जमा				
अथ शेष : मूल राशि	6,90,10,387		7,16,05,290	
: प्रोदभूत ब्याज	38,20,447	7,28,30,834	41,31,806	7,57,37,096
जोड़े : वर्ष के दौरान एफ डी आर में बढ़ोतरी		8,26,59,489		7,65,98,132
: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	9,18,732		10,44,054	
: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	40,74,087	49,92,819	38,20,447	48,64,501
घटायें : वर्ष के दौरान भुनाये गये अथवा परिपक्व एफडीआर		(8,40,66,571)		(8,43,68,895)
योग		**7,64,16,571**		**7,28,30,834**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां				
1. विविध देनदार :				
- उगाही शुल्क के कारण	13,21,51,029	13,21,51,029	12,50,37,043	12,50,37,043
2. रोकड़ शेष				
(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
अग्रदाय लेखा शेष	50,000		50,000	
डाक टिकटें	13,529	63,529	16,652	66,652
3. बैंक शेष :				
- अनुसूचित बैंकों के पास बचत खाते:				
- इलाहबाद बैंक	1,26,788		4,97,376	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- सामान्य खाता	16,45,005		8,19,909	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- परिक्रामी खाता	13,50,954		11,44,155	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- उगाही शुल्क खाता	90,470		90,470	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- सी. पी. एफ. खाता	1,00,17,293	1,32,30,510.53	69,99,691	95,51,601.05
निक्षेप खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- परिक्रामी खाता	56,94,207		54,86,697	
पूर्व कर्मचारी लाभार्थियों के लिए एफडीआर				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- शशि टंडन	3,67,822		3,44,176	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- रमेश गोयल	2,03,609		1,91,083	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- संगीता मलिक	56,436		52,756	
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया				
- अजय मदान	71,240	63,93,314	66,660	61,41,372
योग (क)		**15,18,38,382**		**14,07,96,668**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1 <u>स्टाफ को ऋण :</u>				
- मनोरंजन एवं आतिथ्य अग्रिम	40,502		46,830	
- स्टफ को विविध व्यय के लिए अग्रिम	13,468		22,100	
- उत्सव अग्रिम	11,700		18,900	
- स्टेशनरी की खरीदारी, डाक व्यय आदि के लिए अग्रिम	1,00,000	1,65,670	-	87,830
2 **<u>प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या नकद या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम</u>**				
- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम				
- पार्टियों को अग्रिम	5,42,811		5,10,440	
- यात्रा भत्ता अग्रिम	1,15,206		6,787	
- स्रोत पर काटा गया कर	7,96,148		7,91,434	
		14,54,165		13,08,661
3 **<u>प्रोद्भूत आय</u>**				
क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		3,51,105		3,05,525
ख) श्रीमती शशि टंडन (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		16,708		15,376
ग) श्री अजय मदान के निक्षेपों पर		3,897		2,848
घ) सुश्री संगीता मलिक के निक्षेपों पर		979		996
ड.) श्री रमेश गोयल (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		12,838		10,977
4 **<u>विभिन्न विभागों के पास निक्षेप</u>**		3,074		3,074
योग (ख)		**20,08,436**		**17,35,287**
योग (क+ख)		**15,38,46,818**		**14,25,31,955**

भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूचियां जो 31.3.2020 के आय एवं व्यय का अंग हैं

अनुसूची 7- उगाही शुल्क से तथा अन्य आय

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/ समाचार एजेंसियों से प्राप्त कुल उगाही शुल्क:	2,03,38,444		2,34,43,106	
जोड़ें : चालू वर्ष के लिए की गई मांग	2,81,14,000		3,37,14,500	
घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(59,14,727)		(59,13,721)	
घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(1,34,51,684)		(1,63,71,434)	
घटाएं : अग्रिम/उचंत प्राप्त शुल्क	(9,72,033)	2,81,14,000	(11,57,951)	3,37,14,500
2 अन्य (स्पष्ट करें)				
- रद्दी कागज़ की बिक्री	10,022		43,344	
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	1,369		1,182	
- स्मारिका में विज्ञापन से आय	3,05,201		1,27,800	
- अन्य	4,55,653		2,52,601	
- पूर्व अवधि समायोजन	-	7,72,245	-	4,24,927
योग		**2,88,86,245**		**3,41,39,427**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 8 - अनुदान

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9,00,00,000		6,15,40,425	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,50,38,543		1,36,47,641	
	10,50,38,543		7,51,88,066	
- घटाएं : सी. पी. एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	58,42,198		50,79,682	
- घटाएं : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	29,14,485		17,44,398	
- घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित अनुदान लौटाया गया	1,50,38,543		1,36,47,641	
- घटाएं : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	18,34,300	7,94,09,017	13,90,902	5,33,25,443
योग		**7,94,09,017**		**5,33,25,443**

अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि निक्षेपों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	49,92,819		48,64,501	
- परिक्रामी निधि खाता	2,57,804		3,70,242	
- सामान्य निधि खाता	24,892	52,75,515	-	52,34,743
2 बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	1,04,809		1,52,646	
- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	1,52,738		68,372	
- उगाही शुल्क खाता	-		28,963	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	39,002	2,96,549	35,858	2,85,839
3 ऋणों पर				
क) कर्मचारी/स्टाफ़				
- आवास निर्माण अग्रिम		1,63,297		1,54,948
योग		**57,35,361**		**56,75,530**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के आय एवं व्यय का अंग हैं

अनुसूची 10 - स्थापना व्यय

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष
1 वेतन और मजदूरी		4,84,93,266		4,13,94,670
2 वेतन की बकाया राशि		1,36,29,221		96,55,666
3 समयोपरि भत्ता		-		3,325
4 ट्यूशन फ़ीस प्रतिपूर्ति		10,11,319		4,49,033
5 चिकित्सा प्रतिपूर्ति		20,70,846		11,20,905
6 एल. टी. सी.		10,95,627		8,63,555
7 अर्जित छुट्टी का नकदीकरण		23,29,454		18,77,740
8 भविष्य निधि में अंशदान		62,34,175		65,15,354
9 स्टाफ़ को प्रशिक्षण		50,000		64,400
10 सेवा निवृत्ति लाभ		39,05,353		43,01,931
		7,88,19,261		6,62,46,579
12 घटाएं : स्टाफ़ से वसूली		(86,862)		(12,73,765)
योग		**7,87,32,399**		**6,49,72,814**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31.3.2020 के आय एवं व्यय का अंग हैं

अनुसूची 11 - अन्य प्रशासनिक व्यय

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	बिजली और पानी	45,89,442	42,34,269
2.	कार्यालय व्यय	2,27,938	28,990
3.	मरम्मत और रखरखाव	60,09,393	27,37,585
4.	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	3,81,280	3,62,949
5.	यात्रा और परिवहन व्यय	55,93,020	47,94,501
6.	किराया, पौर कर और कर	61,954	1,24,884
7.	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	10,66,089	7,62,505
8.	मुद्रण और स्टेशनरी	26,93,859	14,69,414
9.	समाचारपत्र और पत्रिकाएं	1,73,093	1,45,978
10	स्टाफ को बैग	-	4,000
11.	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार	29,390	22,654
12	बीमा	51,528	43,606
13	कानूनी और वृत्तिक प्रभार	10,25,247	9,78,820
14.	मनोरंजन	3,80,055	2,39,692
15.	प्रदर्शनी और संगोष्ठी	33,29,798	22,11,542
16	अन्य - विविध	17,568	2,602
17.	विज्ञापन व्यय	-	4,43,049
18.	अन्य व्यय	5,65,975	1,92,118
19	फ्रैकिंग मशीन की एएमसी	50,000	-
20	भिन्न-भिन्न अनुभागों के लिए अन्य पुस्तकें	1,892	5,661
21	स्कैनिंग	43,011	1,14,755
22	वर्ग IV के लिए वर्दी	1,35,000	-
23	शेष राशि जिसे बट्टे खाते डाला गया	19,032	-
24	नियत परिसंपत्ति की बिक्री संबंधी हानि	1,22,140	-
25	लेवी शुल्क जिसे बट्टे खाते डाला गया	1,27,750	-
	योग	**2,66,94,454**	**1,89,19,574**

अनुसूची 12 - वित्त प्रभार

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	नियत ऋणों पर		
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	708	2,719
	योग	**708**	**2,719**

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **लेखा परिपाटी**

   वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए, के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

2. **लेखा प्रणाली**

   परिषद लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए ।

3. **निवेश**

   क. अंशदायी भविष्य निधि के लिए निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

   ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के लिए निवेश को वर्तमान परिसंपत्तियां माना गया है ।

   ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उस पर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई।

4. **नियत परिसंपत्तियां**

   नियत परिसंपत्तियों को, उन पर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है । अर्जन से संबद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजी में परिणत नहीं किया गया है।

5. **मूल्यह्रास**

   मूल्यह्रास आयकर नियमों में विहित दरों के अनुसार चार्ज किया जा रहा है। हालांकि नियत परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में लाभ/हानि, बिक्री के वर्ष में ही अंकित हैं।

6. **सरकारी अनुदान**

   (क) सरकारी अनुदान में से एक वर्ष में खर्च हुई राशि के अनुसार हिसाब किया जाता है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अव्ययित अनुदान को अलग रख लिया जाता है या वर्ष-प्रति-वर्ष अपनाई गई नीति के अनुसार इसे वर्ष के अंत में सरकार को लौटा दिया जाता है।

(ख) नियत परिसंपत्तियों में जोड़ने के लिए उपयोग किए गए अनुदान को पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

7. **<u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>**

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है । देय उपदान, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) वे कर्मचारी, जिनके खाते को एनपीएस में अंतरित कर दिया गया है, के अतिरिक्त परिषद अपने स्वयं के सी.पी.एफ. फंड को संधारित कर रही है।

ह०/-
(अनुपमा भटनागर)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह०/-
(सी के प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14-आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयता

परिषद के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है- रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य) ।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. वर्तमान परिसंपत्तियां, कर्ज एवं अग्रिम

क. वर्गीकृत राशियों में विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों, पक्षों को अग्रिम, परिवहन भत्ता का अग्रिम एवं कर्मचारियों को लोन/की संबद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है/समाधान नहीं किया गया है।

ख. परिषद-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम-से-कम, आमतौर पर व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गई राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. आंकड़ों का समूहीकरण

गत वर्ष के समान आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहीकरण/ पुन: व्यवस्थित किया गया है ।

4. **उगाही शुल्क**

(क) **उगाही शुल्क उचंत (कुल 1,09,62,819 रू.):**

i) उगाही शुल्क उचंत खाता, जिसकी राशि 1,09,62,819/- रू. है, उगाही शुल्क से संबंधित है जोकि एनईएफटी/ आरटीजीएस के जरिए या सीधे बैंक में जमा कराने से प्राप्त हुए। प्रबंधन के पास इसकी पहचान के लिए कोई विवरण/दस्तावेज़ नहीं हैं। अत: इसे उचंत खाते में रखा गया है तथा पिछले वर्षों में अपनाई गई नीति के अनुसार प्रकाशकों के साथ इसका समाधान होने के बाद ही इसे लेवी शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ख) **<u>अग्रिम उगाही शुल्क (कुल 41,96,558 रू.):</u>** पिछले वर्षों की 32,24,525/-रू. बकाया राशि के साथ वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वर्ष 09,72,033/- रू. का अग्रिम उगाही शुल्क समाधान के अधीन है ।

5. **<u>सीपीएफ निधि:</u>** सी.पी.एफ. फंड में शेष राशि और सी.पी.एफ. के लिए समान उद्दिष्ट निवेश का समाधान नहीं हुआ है।

6. **<u>टीडीएस/आय कर (7,96,148) रू.</u>:** शीर्ष 'नकद या जिन्स में वसूल किया जाने वाला अग्रिम' और अन्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया टीडीएस, जोकि 7,96,148 रू. है, पिछले वर्षों का है ।

7. **<u>बोनस की घोषणा</u> :** परिषद ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी बोनस की घोषणा नहीं की है।

8. **<u>बैंक शेष</u> :** बैंक शेष को परिषद के बही खातों के अनुसार लिया गया है। हालांकि बैंकों के अनुसार शेष राशि का समाधान करने के लिए समाधान विवरण तैयार कर दिया गया है। प्रबंधन ने समाधान में बकाया राशि की निम्नलिखित प्रविष्टियों पर गौर किया है:

क) **भारतीय स्टेट बैंक (लेवी शुल्क खाता) (पुराना):** यह 2018-19 के वित्तीय वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन लेखा बहियों में 90,470 रू. की राशि अभी भी बकाया है जो विभिन्न समाधान प्रविष्टियों से संबंधित है। प्रबंधन चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूरी प्राप्त होने के बाद परिशोधन प्रविष्टियां पास करेगा।

ख) **<u>इलाहाबाद बैंक (लेवी शुल्क खाता) (नया):</u>** लेखा बहियों के अनुसार जैसे कि (टेली साफ्टवेयर) शेष राशि 31 मार्च, 2020 को 1,26,788/- रूपये है जबकि कैश बुक के अनुसार शेष राशि (मैन्युअल रूप से अनुरक्षित) 1,39,294.83 रू. है। इसके कारण 12,506.83 रूपये का अंतर है। इसका समाधान अभी पूर्ण किया जाना है।

ग) **<u>भारतीय स्टेट बैंक (सीपीएफ खाता):</u>** लेखा बहियों के अनुसार (जैसे कि टैली साफ्टवेयर) शेष राशि 31 मार्च, 2020 को 1,00,17,293/- रूपये है जबकि कैश बुक के अनुसार शेष राशि (मैन्युअल रूप से अनुरक्षित) 1,00,66,043.08 रू. है। इसके कारणवश 48,750.08 रूपये का अंतर है। इसका समाधान अभी पूर्ण किया जाना है।

घ) बैंक समाधान विवरण में बैंक शुल्क/चैक आदि से संबंधित दर्शाई गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद लेखाबद्ध किया जाएगा।

ह०/-

(अनुपमा भटनागर)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह०/-

(सी के प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़(अग्रदाय लेखा)		66,652		60,625
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	4,97,376		5,000	
- सामान्य निधि	8,19,909		91,67,524	
- उगाही शुल्क खाता	90,470		44,30,117	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	11,44,155		8,99,666	
- सी.पी.एफ खाता	69,99,691	95,51,601	3,15,366	1,48,17,673
ग) डाक टिकटें		-	-	
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		8,86,09,098		4,78,92,784
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- एफडीआर पर प्रोद्भुत ब्याज	35,11,907		1,83,018	
- सावधि निक्षेप	-		-	
- बचत खाते	-	35,11,907	-	1,83,018
ख) ऋण , अग्रिम आदि		1,63,297		2,24,306
IV. अन्य आय (स्पष्ट करें)				
समाचारपत्रों से प्राप्त उद्ग्रहण शुल्क	2,03,69,444		2,35,47,656	
अर्जित ब्याज	2,96,549		2,85,839	
आवधिक/समाचार एजेंसियां	-		-	
विज्ञापन रसीदें	2,44,601		-	
स्थायी परिसंपित्त की बिक्री	1,07,500		-	
छुट्टी का वेतन प्राप्त	-		-	
सूचना का अधिकार	1,369		1,182	
विविध प्राप्तियाँ	4,58,011		2,52,604	
रद्दी कागज़ की बिक्री	10,022		43,344	
वसूली				
- वेतन (विविध)	86,862		12,73,765	
- पुस्तकों से	-		-	
- ईओएल से	-		-	
- स्मारिका में विज्ञापन से आय	60,600	2,16,34,958	1,27,800	2,55,32,190
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियाँ				
क) एफडीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	-		-	
- सी.पी.एफ.लेखा	5,65,57,997		75,87,745	
- सामान्य निधि	40,00,000		-	
- कर्मचारी हेतु	-	6,05,57,997	-	75,87,745

परिषद

लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 10 के अनुसार)	7,37,94,093		6,23,66,625	
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	2,54,88,757		1,80,70,325	
ग) देय व्यय का भुगतान किया गया	-		8,45,883	
घ) स्कैनिंग	43,011		1,14,755	
ड.) स्वच्छ भारत व्यय	45,698	9,93,71,559	1,05,390	8,15,02,978
II. निधि के प्रति किए गए भुगतान				
क) परिक्रामी निधि में से किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण	-		18,000	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस.अग्रिम	-	-	-	18,000
ख) सी.पी.एफ. निधि से				
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण	-		-	
- परिषद से जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	-	-	-	-
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- सी.पी.एफ.निधि के प्रति	1,45,41,482		96,16,959	
ख) अपनी निधि से				
(निवेश-अन्य)	6,26,39,872			
- सुरक्षा जमा राशि	-		-	
- कर्मचारी के लिए	2,48,552	7,74,29,906	2,70,761	98,87,720
IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजीगत काम पर व्यय				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	59,302		50,623	
- वातानुकूलक एवं कूलर	6,20,959		4,25,562	
- वैक्यूम क्लीनर	-		7,996	
- फर्नीचर तथा अन्य	1,92,559		4,00,440	
- हीट कन्वेक्टर	-		1,70,807	
- रेफ्रिजरेटर	-		82,980	
- कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	1,78,412		5,79,520	
- एयर प्यूरीफायर	99,011		-	
- सीसीटीवी कैमरा	2,45,135		-	

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
VI. <u>कोई अन्य प्राप्तियाँ</u>				
(क) जमा राशि को भुनाना	-	-	-	-
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम पक्षों से	-		79,434	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- सदस्यों या कार्यालय से टी.ए/डी.ए अग्रिम	4,78,647		2,60,322	
- स्टाफ अग्रिम	10,63,457		4,09,864	
- स्कूटर अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- सीपीएफ अग्रिम	8,94,055		17,31,630	
- संगोष्ठी/राष्ट्रीय प्रेस दिवस	3,00,000		1,18,440	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-		-	
	-	27,36,159	-	25,99,690
ग) कर्मचारी से वसूली				
- जीवन बीमा अंशदान	2,48,552		2,56,437	
- यात्रा व्यय	-		-	
- सी.पी.एफ. अग्रिम वापसी	-		-	
- स्थायी संपत्ति की बिक्री/अंतरण	-		-	
- सीपीएफ अंशदान	78,85,070		68,55,985	
- एनपीएस अभिदान	20,52,426		10,28,307	
- रिकवरी ऑफीसर, को ओप सोसाइटी	-	1,01,86,048	-	81,40,729
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशि :				
- पीएफ में परिषद के अंशदान के लिए	2,12,323		-	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- अन्य	4,31,441		-	
	-	6,43,764	-	-
ङ) अन्य प्राप्तियाँ				
- जीवन बीमा प्राप्ति	-		-	
- सुरक्षा जमा राशि	9,500		25,000	
- प्राप्त जुर्माना	-		-	
- अन्य	-	9,500	-	25,000
(च) स्रोत पर काटा गया कर		31,34,332		26,51,596
कुल		**20,08,05,313**		**10,97,15,356**

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
- मोबाइल फोन	13,898		-	
- वॉटर डिस्पेंसर	6,510		-	
- फ्रैंकिंग मशीन	4,423			
- स्टेबिलाइजर	-		11,850	
- टेप रिकार्डर	-		14,620	
- कार और बाइसिकल	11,09,842	25,30,051	-	17,44,398
ख) पूंजी पर व्यय				
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को				
- अधिक अव्ययित अनुदान				
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		708		2,719
VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशि :				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए				
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए				
- अन्य	420	420	4	4
ख) अग्रिम				
- पक्षों के लिए	5,31,979		1,94,190	
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	-		-	
- संगोष्ठी के लिए	3,00,000		1,18,440	
- ऑडिटोरियम बुक करने के लिए	-			
- स्टेशनरी खरीदने के लिए	-			
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	-			
- स्टाफ अग्रिम	18,71,987		8,31,308	
- सदस्यों/अधिकारियों को परिवहन भत्ता/ महंगाई भत्ता अग्रिम	6,08,296		3,92,710	
- अन्य के लिए		33,12,262		15,36,648
ग) स्रोत पर काटा गया कर		31,34,332		26,64,687
घ) अन्य भुगतान				
- एनपीएस अभिदान	17,01,036		26,35,400	
- रिकवरी ऑफीसर, को ओप सोसाइटी	-		-	
- ऋणदाता	-		-	
- लेवी शुल्क	31,000	17,32,036	1,04,550	27,39,950
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		66,652
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	1,26,788		4,97,376	
- सामान्य निधि	16,45,005		8,19,909	
- उगाही शुल्क खाता	90,470		90,470	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	13,50,954		11,44,155	
- सी.पी.एफ. खाता	1,00,17,293	1,32,30,511	69,99,691	95,51,601
ग) डाक टिकटें		13,529		-
कुल		**20,08,05,313**		**10,97,15,356**

ह0/-
(अनुपमा भटनागर)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-
(सी.के.प्रसाद)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

संलग्नक-क

मामलों का विवरण
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक

क्र.सं.	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1	31.03.2019 तक लंबित मामले	156	986	1142
2	1 अप्रैल , 2019 - 31 मार्च, 2020 के बीच दर्ज मामले पुनः सुनवाई के लिए परिषद द्वारा रिव्यू किए गए मामले पुनः खोले गए मामले	263	710 + 06 + 06	973 + 06 + 06
3.	31.03.2019 तक स्थगित मामले	12	18	30
4	1 अप्रैल , 2019 - 31 मार्च, 2020 के बीच निर्णीत मामले	86	185	271
5	मामले जो सीधे परिषद को रिपोर्ट किए गए	-	-	-
6	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक प्रारंभिक चरण में खारिज करके समाप्त किये गये तथा परिषद को रिपोर्ट किये गये मामले । * अपेक्षा पूर्ण न होने के कारण गुजरात विधान सभा चुनाव, 2012 के पेड न्यूज मामलों के बंद होने पर.	146	493 + 397 **890/-**	146+493+397 = **1036**
7	परिषद ने अपनी 22.08.2019 की बैठक में वर्ष 1979 से 2016 तक 413 अप्राप्य मामलों को समाप्त किया	103	310	413**
8	**31 मार्च, 2020 तक कुल लंबित मामले**	96	341	437

* स्टेटमेंट में क्रम संख्या 6 पर गुजरात पेड न्यूज के 397 मामलों के निपटान को, 29.05.2019 को हुई परिषद की बैठक के कार्यवृत के अनुसार दर्शाया गया है ।

** स्टेटमेंट में क्रम संख्या 7 पर 413 मामलों के निपटान को दर्शाया गया है क्योंकि इन मामलों की पहचान नहीं हो पायी है / अप्राप्य हैं, इन्हें धारा 13 और 14 के अंतर्गत मामलों की संख्या में से घटाया गया है ।

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारणी (धारा 13 के अंतर्गत)

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री विष्णु देव, प्रेस रिपोर्टर, सत्याग्रह साप्ताहिक, लुधियाना, पंजाब की श्री दीपक कुमार, टोल प्लाज़ा कर्मचारी, लढ्ढोवाल के विरुद्ध शिकायत। (13/164/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
2.	श्री अमान उल्लाह, पत्रकार, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश की वारिस अली और अन्य के विरुद्ध शिकायत। (13/64/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
3.	श्री मनोज कुमार अलीगढ़ी, फ्रीलांस फोटो पत्रकार अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (13/40/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त
4.	श्री सतीश बेरी, श्री गंगानगर की पूली प्राधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (13/29/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
5.	श्री गौरी शंकर सैनी, जयपुर, राजस्थान की पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/102/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त-मामला न्यायाधीन होने के कारण

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
6.	डॉ. फुरकौन, मीडिया रिपोर्ट, सच बिलकुल सच, नई दिल्ली की अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत। (13/11/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त-शिकायत वापिस लेने के कारण
7.	श्री अंशु गुप्ता, रिपोर्टर, बुंदेलखंड लिव एंड यूपी न्यूज़ बॉक्स, बांदा उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (13/53/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
8.	श्री महिन्दर सिंह, संपादक /प्रकाशक/ मुद्रक/मालिक, किसौली टाइम्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की समाज विरोधी तत्वों और पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। (13/76/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
9.	श्री हरेन्द्र मलिक, संवाददाता, दैनिक शाह टाइम्स, झिनझाना, की श्री राजकुमार शर्मा, स्टेशन हाउस अधिकारी, झिनझाना, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (13/92/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
10.	श्री उमाकांत मिश्रा, मुख्य संपादक, दैनिक सीमा रेखा, देवरिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/77/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
11.	श्री अंकित राय, ब्यूरो चीफ, गाँव की खबर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश की जिला सूचना अधिकारी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (13/20/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
12.	श्री रमेश यादव, उप-संपादक, सुनामी लहर, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की असामाजिक तत्वों के विरूद्ध शिकायत। (13/24/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
13.	श्री कलीमुल्लाह, वरिष्ठ पत्रकार, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश की श्री हरिंदर पाठक, सब इंस्पेक्टर, नौगढ़ चौकी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (13/43/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
14.	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला संवाद्दाता/प्रत्यायित पत्रकार, दैनिक लोकमित्र, की श्री प्रकाश यादव, बस कंडक्टर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विरूद्ध शिकायत। (13/159/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
15.	श्री समीर पॉल, संपादक/प्रकाशक, डेली देशर कथा, त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (13/80/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
16.	मिज़ोरम जर्नलिस्ट असोसिएशन, ऐज़वाल (मिज़ोरम) की असम पुलिस के विरुद्ध शिकायत। (13/31/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
17.	श्री विनय कुमार, रिपोर्टर, प्रभात खबर, खगड़िया (बिहार) की श्री कमल सिंह, जिला जन संपर्क अधिकारी (डीपीआरओ), खगड़िया (बिहार) के विरुद्ध शिकायत। (13/166/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
18.	श्री संजीव नयन, संपादक, समाचार वर्षा, पलामु की उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, मेदिनीनगर, पलामु के विरूद्ध शिकायत। (13/9/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त
19.	श्री संजय कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ़, प्रात: कमल, बिहार की एसएचओ, श्री सी.बी. शुक्ला, के विरुद्ध शिकायत। (13/64/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त
20.	श्री संजीव गुप्ता, संवाद्दाता, प्रभात खबर, कटिहार की इंडियन जर्नलिस्ट असोशिएशन, पटना के जरिए श्री नीरज यादव, विधानसभा सदस्य, बरारी कटिहार और पुलिस प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत। (13/47/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
21.	श्री राम शंकर यादव, संपादक एवं प्रकाशक, सिगनेट टाइम्स, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, की पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, आसनसोल- दुर्गापुर पुलिस तथा प्रभारी अधिकारी, औरोबिंदो पुलिस थाना, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध शिकायत। (13/140/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
22.	श्री रामा शंकर सिंह, संपादक, न्याय की कलम, विदिशा (म.प्र.) की मुख्य सचिव, सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक एवं श्री बी.एस. ठाकुर, सब इंस्पेक्टर, विदिशा, म.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/45/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त-मामला न्यायाधीन होने के कारण
23.	श्री मोहर्रम अली, संपादक, आत्म विश्वास, गाँव-चौरा, तहसील केराकत, जौनपुर, उ.प्र. की श्री अजय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/111/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
24.	श्री रियाज़ अहमद, संवाद्दाता, दैनिक आज, बरेली (उ.प्र.) की पुलिस अधीक्षक तथा श्रीकांत द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक, नवाबगंज पुलिस थाना, बरेली (उ.प्र.) के विरूद्ध शिकायत। (13/126/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
25.	श्री सैयद अख्तर अली, संवाद्दाता, उ.प्र. की श्री उस्मान, स्वामी, श्री रिज़वान, स्वामी तथा श्री अजीत सिंह, कर्मचारी, होलिस्टिक केयर हॉस्पिटल, रायबरेली (उ.प्र.) के विरूद्ध शिकायत। (13/165/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त
26.	श्री हरि ओम शर्मा, जिला प्रतिनिधि, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, अलीगढ़ की श्रीमती ज्योति शर्मा, सहायक, एसबीआई, अलीगढ़ और श्री भीष्मेंद्र कुमार पाठक, अलीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। (13/10/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
27.	श्री ओम प्रकाश दोहरे, हमीरपुर, उ.प्र. की श्री उमाशंकर, श्री असद खान, श्री अरुण श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (13/201/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
28.	श्री आमिर सोलंकी, संपादक अलर्ट टीम, कानपुर, उ.प्र. की श्री ललित कुमार, क्षेत्रीय निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, कानपुर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/191/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
29.	श्री नासिर कुरैशी, संपादक, सत्यम न्यूज़, भदोंही, उ.प्र. की श्री राजेंद्र दुबे, कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत	22/1/2020	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	कार्यालय, भदोंही, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/196/18-19-पीसीआई)		
30.	श्री ओम प्रकाश भाघेल, संपादक, दुनिया एक नज़र में, अलीगढ़, उ.प्र. की खंड विकास अधिकारी, अलीगढ़ उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/48/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
31.	श्री कुमार नन्दन पाठक की अपने मुख्य संपादक, गाँव-गाँव की खबर, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायत। (13/11/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	निदेश सहित समाप्त
प्रेस को सुविधाएं			
32.	डॉ. सतीश कुमार वर्मा, वीर योद्धा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की श्री अकील अहमद, निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, अलीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। (13/84/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
33.	श्री के. आर. सुब्रमणयम, रिपोर्टर, जर्नल जुट्टीसूंस, मदुरई, तमिलनाडु की सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध शिकायत। (13/74/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
34.	श्री एच युनूस, अध्यक्ष, थेंड्रल न्यूज़ एडिटर्स असोशिएशन, पुद्दुचेरी की पुद्दुचेरी सरकार के विरुद्ध शिकायत। (13/130/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
35.	श्री पी.श्रीधर, उपाध्यक्ष (विज्ञापन एवं विपणन), जगती प्रकाशन लिमिटेड (दैनिक साक्षी), हैदराबाद की सूचना एवं जन संपर्क विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के विरूद्ध शिकायत। (13/47/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
36.	श्री बी.आर. शरण कुमार, संपादक, www.racingpulse.in बैंगलोर की बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड, बैंगलोर के विरूद्ध शिकायत। (13/164/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
37.	श्री प्रणव सरकार, सचिव, त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन, अगरतला (पश्चिम त्रिपुरा) की सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, त्रिपुरा सरकार के विरूद्ध शिकायत। (13/147/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
38.	श्रीमती टी.आर. रिजवी, प्रकाशक, अदब टाइम्स, गौंडा (उ.प्र.) की महानिदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। (13/106/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	निदेशों सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
39.	श्रीमती टी.आर. रिजवी, प्रकाशक, त्रिगुट दैनिक/अदब टाइम्स, गोंडा (उ.प्र.) की निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र. सरकार, लखनऊ, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/105/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	निदेशों सहित समाप्त
40.	श्री सोहन सिंह, बस्ती, उ.प्र. की सूचना विभाग, उ.प्र. के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/218/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	समाप्त
41.	श्री नरेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, हरदोई की जिला सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत। (13/202/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	समाप्त
42.	श्री पुष्कर वाजपयी, कानपुर मण्डल प्रभारी, दैनिक तरुण मित्रा, कानपुर की श्री पी.के. सिंह, उप निदेशक, सूचना कार्यालय, कानपुर नगर के विरूद्ध शिकायत। (13/205/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
43.	श्री विपिन बिहारी त्रिपाठी, जिला संपादक, त्रिगुट दैनिक, बस्ती, उ.प्र. की उप निदेशक, सूचना विभाग, फ़ैज़ाबाद, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/14/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
44.	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, संवाद्दाता, बलदेव सहारा, उ.प्र. की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/30/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	समाप्त
45.	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, संपादक/ प्रकाशक, देहात सूर्योदय, हिन्दी साप्ताहिक, कानपुर देहात, उ.प्र. की आर.एन.आई. के विरुद्ध शिकायत। (13/3/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	निदेशों सहित समाप्त
स्व-प्रेरणा से संज्ञान			
46.	श्री कुणाल शंकर, रिपोर्टर, फ्रंटलाइन की गिरफ्तारी और हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय में मीडिया पर प्रतिबंधों के बारे में स्व प्रेरणा से संज्ञान (13/213/सुओ-मोटू/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	कार्रवाई बंद
47.	सुश्री गौरी लंकेश, वरिष्ठ पत्रकार/ संपादक, गौरी लंकेश पत्रिका की अज्ञात हमलावरों द्वारा बैंगलूरु (कर्नाटक) में हत्या के बारे में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/76/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	कार्रवाई बंद
48.	परियोजना अधिकारी, इंटीग्रेटेड आदिवासी विकास प्राधिकरण, सीतमपेटा, जिला श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) द्वारा पत्रकार के विरूद्ध झूठा	29/5/2019	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	मामला दर्ज करने के बारे में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/97/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)		
49.	श्री आकिब जावीद, रिपोर्टर, कश्मीर ऑबजर्वर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा सम्मन करने के बारे में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/62/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	टिप्पणी सहित समाप्त
50.	पंजाब पुलिस मुख्यालय में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बारे में स्व प्रेरणा से संज्ञान।(13/96/सु-मोटू/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	कार्रवाई बंद
51.	श्री किशोरचन्द्र वांगखेम, पत्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/137/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	कार्रवाई बंद
52.	राइज़िंग कश्मीर के प्रमुख संपादक, श्री शुजात बुखारी की हत्या के मामले में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/39/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
53.	जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ़ द्वारा पत्रकार पर हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/90/सुओ–मोटू/16-17-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
54.	तमिलनाडु में पुथिया थलामुराई टीवी चैनल और उसके रिपोर्टर के खिलाफ मामला दर्ज़ करने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/50/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
55.	केरल में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान: वीआईपी लोगों से बातचीत करने हेतु पूर्व अनुमति अपेक्षित। (13/149/ सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
56.	त्रिपुरा के पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/173/ सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
57.	पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/9/सुओ-मोटू18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
58.	श्री पंकज मिश्रा, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार पर बिहार के अरवल जिले में हुए जानलेवा हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/79/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
59.	भोजपुर (बिहार) में दो पत्रकारों श्री नवीन कुमार सिंह तथा श्री विजय सिंह की हत्या	22/8/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/193/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)		
60.	'अरुणाचल टाइम्स' की प्रतियों को जलाने और नष्ट करने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/106/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
61.	"डॉनलिट पोस्ट" के संपादकों एवं प्रकाशक को ईटानगर पुलिस द्वारा सम्मन जारी किए जाने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/2/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
62.	इंफाल (मणिपुर) में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दैनिक समाचारपत्र, पोकनाफम की प्रतियाँ जलाने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/134/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
63.	मेघालय में लकड़ी तस्करों द्वारा पत्रकार, श्री बिपलब डे के साथ की गई मारपीट के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/172/ सुओ-मोटू /18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
64.	झारखंड स्थापना दिवस यानि 15.11.2018 को रांची में पत्रकारों पर हुए हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/128/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
65.	तमिलनाडु पुलिस द्वारा स्वतंत्र कार्टूनिस्ट, श्री जी. बाला को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/121/ सुओ-मोटू /17-18-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
66.	तेलंगाना पुलिस द्वारा वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद सुभान को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/38/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
67.	श्री चंदन तिवारी, पत्रकार, आज, झारखंड की मृत्यु के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/125/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	कार्रवाई बंद
68.	गोरखपुर (उ.प्र.) में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केन्द्रों पर प्रवेश करने से मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/188/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
69.	फिल्म निर्देशक व निर्माता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के विरूद्ध स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/18/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	कार्रवाई बंद
70.	शामली (उ.प्र.) में रेलवे पुलिस द्वारा पत्रकार श्री अमित शर्मा, पर हमले के	15/11/2019	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/40/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)		
71.	कोलकाता में दिनांक 22.05.2017 को पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/25/सुओ-मोटू/17-18-पीसीआई)	15/11/2019	निदेशों सहित समाप्त
72.	द हिन्दू के पत्रकार से कथित तौर पर महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/133/सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	टिप्पणियों सहित समाप्त
73.	छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार की पिटाई के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/177/ सुओ-मोटू/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	कार्रवाई बंद
74.	सागर (म.प्र.), में पत्रकार चक्रेश जैन की मृत्यु के संबंध में भारतीय पत्रकार संघ से प्राप्त पत्र। (13/95/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त
75.	श्री पवन जयसवाल, संवाद्दाता, जन संदेश टाइम्स, मिर्जापुर (यू.पी.) के खिलाफ दर्ज़ प्राथमिकी के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/117/ सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
76.	श्री के. सत्यनारायण, पत्रकार, आंध्र ज्योति की हत्या के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद का स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (13/145/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	कारवाई बंद
कटौती			
77.	डा. जसीम मोहम्मद, ब्यूरो चीफ, अलीगढ़ (उ.प्र.) की श्री नदीम अंसारी, पूर्व एएमयू विद्यार्थी संघ के उपाध्यक्ष और अन्य के विरूद्ध शिकायत।(13/56/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	टिप्पणी सहित समाप्त
78.	श्री संतोष कुमार, पत्रकार, एनएलएन मीडिया (न्यूज लाइव नाऊ), मंडी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। (13/12/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
79.	श्री रवीन्द्र कुमार, संपादक एवं प्रबंध निदेशक, दि स्टेट्समैन, कोलकाता की कोलकाता पुलिस के विरूद्ध शिकायत। (13/91/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	टिप्पणियों सहित समाप्त
80.	श्री आसिफ शफी, फ्रीलांस फोटो पत्रकार की सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के विरूद्ध शिकायत। (13/100/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
81.	श्री बलराम यादव, संवाद्दाता, बुद्ध शांति जन संदेश, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की श्री घनश्याम शुक्ला, कुशीनगर के विरूद्ध शिकायत। (13/93/2018-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
82.	श्रीमती श्रुति चड्ढा, ब्यूरो प्रमुख 24 आवर्स टूडे न्यूज, झांसी, और श्री निशाकांत गुप्ता, संपादक, झांसी वार्ता, झांसी की पुलिस प्राधिकारियों, झांसी मंडल के विरूद्ध शिकायत। (13/95/2018-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त-मामला न्यायाधीन होने के कारण
83.	श्री रवीश कुमार मणि, पत्रकार, तरूणमित्र, पटना की पुलिस प्राधिकरण के विरूद्ध शिकायत। (13/158/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त
84.	श्री राहुल तिवारी, संपादक, विमल टाइम्स, सुल्तानपुर, उ.प्र. की श्री राधेश्याम राय तथा श्री अजय कुमार सिंह, सुल्तानपुर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/155/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
85.	श्री दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ, रियल मैगजीन/रियल न्यूज़, सीतापुर (उ.प्र.) की पुलिस अधीक्षक, जिला सीतापुर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/178/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
86.	डॉ. हरिमोहन सारस्वत, संपादक, हाईलाईन, श्रीगंगानगर, राजस्थान की पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, राजस्थान, के विरूद्ध शिकायत। (13/197/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सारणी

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
सिद्धांत और प्रकाशन			
1.	श्री रसानन्द मोहन्ती, कटक, उड़ीसा की संपादक, दि समाज, के विरूद्ध शिकायत। (14/455/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
2.	श्री के. एस. श्रीनिवासन, चेन्नै की संपादक, डेक्कन क्रानीकल, चेन्नै के विरूद्ध शिकायत। (14/551/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	प्रत्याहरण
3.	श्री तनवीर अहमद, उप निदेशक (एस्टेट-I), नई दिल्ली नगर निगम परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली की संपादक, नवभारत, के विरूद्ध शिकायत। (14/241/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
4.	श्री गिरधारी लाल शर्मा, मथुरा, उत्तर प्रदेश की संपादक, हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत। (14/75/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
5.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, पंजाब केसरी के विरूद्ध शिकायत। (14/222/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
6.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध शिकायत। (14/223/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
7.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक जागरण के विरूद्ध शिकायत। (14/224/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
8.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/225/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
9.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक सवेरा के विरूद्ध शिकायत। (14/226/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
10.	श्रीमती सीमा देवी, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक जग मार्ग के विरूद्ध शिकायत। (14/227/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
11.	सुश्री शोभा अग्रवाल, सदस्य, एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलन (एबीवीए), नई दिल्ली की संपादक, दि हिन्दू के विरूद्ध शिकायत। (14/324/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
12.	श्री अजय गौतम, नई दिल्ली की हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत। (14/93/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
13.	श्री राजिन्दर सिंह, आईपीएस, पूर्व डीजीपी, पंजाब (सेवानिवृत), मोहाली की दि ट्रिब्यून के विरूद्ध शिकायत । (14/225/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
14.	श्री हरमिन्दर अरोड़ा, मोगा, पंजाब की संपादक, दैनिक सवेरा के विरूद्ध शिकायत। (14/157/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
15.	श्री वी. सागर, सचिव, दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, डी.एल.ए. न्यूज, आगरा, के विरूद्ध शिकायत। (14/185/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	वापस लिये जाने के कारण समाप्त
16.	श्रीमती मखमली देवी, रूड़की, उत्तराखंड की संपादक, दैनिक जागरण, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/4/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
17.	श्री महावीर सिंह, की संपादक, अमर उजाला, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/98/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
18.	श्री कमल शर्मा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, के विरूद्ध शिकायत। (14/199/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
19.	गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र, जिसके साथ पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर पुलिस की अर्ली टाइम्स के विरूद्ध (सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जरिये प्राप्त) शिकायत भेजी गई है। (14/172/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
20.	श्री एम. सिराज अनवर, प्रोफेसर एडं प्रमुख, प्रकाशन डिवीजन, एनसीईआरटी, नई दिल्ली की टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। (14/93/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
21.	श्री एन. संकर मेनन, यूएसए की संपादक, दि टाइम्स आफ इंडिया, चेन्नई, तमिल नाडु के विरूद्ध शिकायत। (14/245/ 18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
22.	श्री दिव्य कांत शुक्ल, सचिव, उत्तर प्रदेश सेकंडरी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/398/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त
23.	श्री अक्षय पाठक, मुम्बई की संपादक, लोकसत्ता, मुम्बई के विरूद्ध शिकायत। (14/323/ 18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
24.	श्री अक्षय पाठक, मुम्बई की संपादक, इंडियन एक्सप्रेस के विरूद्ध शिकायत। (14/473/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
25.	कैप्टन मकर बी लिम्बु, पश्चिम बंगाल की संपादक, हिमालय दर्पण सिलीगुड़ी के विरूद्ध शिकायत। (14/500/16-17-पीसीआई)	22/8/2019	शुद्धिपत्र प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त
26.	श्री श्रीकांत राय, महा सचिव, एन.टी.पी.सी. एक्जीक्यूटिव्ज़ फैडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, 'यूनियन टेरीटरी इन्डीपेन्डेन्ट' दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। (14/213/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
27.	श्री मिथुन घोष, विशेषज्ञ, फोरेंसिक मैडिसिन, पी.एल. शर्मा जिला अस्पताल, मेरठ की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/499/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	निदेश सहित समाप्त
28.	श्री चंद्र मोहन वथ्यम, हैदराबाद की संपादक, " डैक्कन क्रॉनिकल" सिकंदराबाद के विरूद्ध शिकायत। (14/308/16-17-पीसीआई)	22/8/2019	परिनिंदा
29.	श्री एन.एस. मादेस्वरन, कृष्णागिरी (तमिलनाडु) की संपादक, दिनामणि के विरूद्ध शिकायत। (14/399/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
30.	श्री एन.एस. मादेस्वरन, कृष्णागिरी (तमिलनाडु) की संपादक, मलई मलार के विरूद्ध शिकायत। (14/400/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त
31.	श्री ए.एम.डी. मोहम्मद सालीह हुसैन, तमिलनाडु की संपादक, "डेली थांथी" मदुरई के विरूद्ध शिकायत। (14/533/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	शुद्धिपत्र प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त
32.	श्री पी.ई.बी. मेनन, प्रांथ संघचालक, आर.एस.एस., केरल की संपादक, देशाभिमानी, केरल के विरूद्ध शिकायत। (14/197/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
33.	डॉ० एन.एस.अशोक कुमार, बैंगलौर विश्वविद्यालय, बैंगलौर की संपादक, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, बैंगलौर के विरूद्ध शिकायत। (14/174/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
34.	कु० मुक्ता, कर्नाटक की संपादक, कारावली मुंजवू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। (14/166/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खेद और सुधार प्रकाशित करने का आश्वासन-मामला समाप्त
35.	डॉ० बी. सृनिवासुलु, एम.डी. आदित्य नर्सिंग होम, अडोनी (आंध्र प्रदेश) की संपादक, ईनाडु, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/537/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
36.	श्री एम.के. सिवदास, केरल की संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया के विरूद्ध शिकायत। (14/47/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त
37.	श्री एम.के. सिवदास, केरल की संपादक, मातृभूमि के विरूद्ध शिकायत। (14/48/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त
38.	डॉ० सी.वी.रवींद्रनाथ, प्रबंध पार्टनर एवं प्रबंध ट्रस्टी, कृष्णा ज्वैल्स, कन्नूर की संपादक, मलयाला मनोरमा के विरूद्ध शिकायत। (14/474/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
39.	डॉ. सी.वी.रवींद्रनाथ, प्रबंध पार्टनर एवं प्रबंध ट्रस्टी, कृष्णा ज्वैल्स, कन्नूर की संपादक, मातृभूमि के विरूद्ध शिकायत। (14/475/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
40.	डॉ० सी.वी. रवींद्रनाथ, प्रबंध पार्टनर एवं प्रबंध ट्रस्टी, कृष्णा ज्वैल्स, कन्नूर (केरल) की संपादक, मातृभूमि साप्ताहिक के विरूद्ध शिकायत। (14/46/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
41.	श्री ए.एस. दिनेश कुमार, प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश राज्य फाईबरनेट लि०, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की संपादक, साक्षी के विरूद्ध शिकायत। (14/567/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
42.	श्री साजी के.इट्टन, केरल की संपादक, मंगलम, कोची के विरूद्ध शिकायत। (14/270/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
43.	रजिस्ट्रार, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, (वूमन्स यूनिवर्सिटी) तिरूपति, आंध्र प्रदेश की संपादक, साक्षी, हैदराबाद के विरूद्ध शिकायत। (14/40/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
44.	श्री एस.सी मगेश कुमार, अधिवक्ता, गुदियात्तम, गुदियात्तम (तमिलनाडु) की संपादक, 'द विल वॉयस', चेन्नई के विरूद्ध शिकायत। (14/168/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के निदेश के साथ समाप्त
45.	श्री गिरीजेश, चेन्नई की संपादक, द टेलीग्राफ, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत। (14/527/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
46.	डॉ अमित कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार की संपादक, दैनिक जागरण के विरुद्ध शिकायत। (14/484/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	परिनिंदा
47.	डॉ. अरूणिमा चक्रवर्ती प्रधानाचार्या, डीपीएस, भागलपुर, बिहार की संपादक, दैनिक जागरण, भागलपुर, के विरूद्ध शिकायत। (14/497/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
48.	श्री प्रसून मायत्रा, राज्य समिति सदस्य, हिंदु समहति नार्थ-24, परगना, पश्चिम बंगाल की संपादक, जुगासंखा के विरूद्ध शिकायत। (14/280/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायत वापिस ले ली गई
49.	श्री अजय नंदी, क्षेत्रीय संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की संपादक, ई सोमोय, (बंगाल न्यूज पेपर) के विरूद्ध शिकायत। (14/340/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के लिए निदेश सहित समाप्त
50.	डॉ॰ सुप्रतीक सनातनी, कोलकाता की संपादक, द स्टेट्समेन, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत। (14/252/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	टिप्पणी सहित समाप्त
51.	डॉ॰ सुदीप चैटर्जी, सचिव, पार्क क्लिनिक, कोलकाता की संपादक, इबेला के विरूद्ध शिकायत। (14/173/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
52.	श्री जगदीश चंद्र घोष, कोलकाता की संपादक, आनंद बाज़ार पत्रिका, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत। (14/201/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
53.	श्री देबकुमार गिरी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल की संपादक, आनंद बाज़ार पत्रिका के विरूद्ध शिकायत। (14/482/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	टिप्पणी सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
54.	श्री एस.के.शर्मा, उप महाप्रबंधक, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, सिंहभूम (ई), झारखंड की संपादक, प्रभात खबर, जमशेदपुर के विरूद्ध शिकायत। (14/283/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
55.	डॉ० जी. नारायण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक, वैशाली बिहार की संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध शिकायत। (14/100/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
56.	श्री रामजी प्रसाद गुप्त, संपादक, गोरखपुर मेल, गोरखपुर (उ.प्र.), की डॉ. राजेश कुमार यादव, पत्रकार, निष्पक्ष भारत दूत तथा श्री जितेंद्र कुमार, पत्रकार, गोरखपुर (उ.प्र.), के विरूद्ध शिकायत। (14/625/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
57.	श्री विमल शुक्ला, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति, सीतामढ़ी, बिहार, की मुख्य संपादक, हिंदुस्तान, नई दिल्ली तथा श्री नवनीत कुमार, रिपोर्टर, हिंदुस्तान, पुर्निया, बिहार, के विरूद्ध शिकायत। (14/551/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
58.	श्रीमती रेखा भारद्वाज, बरेली, उ.प्र. की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (14/25/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
59.	श्री असगर हुसैन, काउंसिलर, चाकुलिया, झारखंड, की जिला मैजिस्ट्रेट तथा जिला सूचना अधिकारी,पूर्व सिंघभूम, झारखंड, के विरूद्ध शिकायत। (14/586/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त
60.	श्री धर्मेंद्र रनवाल, मुंबई, की संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स (नागपुर), के विरूद्ध शिकायत। (14/191/17-18- पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
61.	श्री धर्मेंद्र रनवाल, मुंबई, की संपादक, लोकमत (नागपुर), के विरूद्ध शिकायत। (14/192/17-18-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
62.	श्री धर्मेंद्र रनवाल, मुंबई, की संपादक, नवभारत टाइम्स (मुंबई), के विरूद्ध शिकायत। (14/193/17-18-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
63.	डॉ. एस.के. अरोड़ा, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली, की संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, के विरूद्ध शिकायत। (14/433/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	चेतावनी

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
64.	श्री एस.एस. राणावत, भीलवाड़ा, राजस्थान, की संपादक, नया इंडिया के विरूद्ध शिकायत। (14/108/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
65.	श्री नमो जैन, अध्यक्ष और श्री पवन सोनी, महा सचिव, मेरठ एलपीजी वितरक संघ, मेरठ, उ.प्र. की संपादक, दैनिक प्रतिज्ञा, मेरठ छावनी, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत । (14/622/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
66.	श्री महेश चन्द्र गुप्ता, शाहजहाँपुर, उ.प्र. की श्री मनोज प्रबल, रिपोर्टर, राष्ट्रीय रिपोर्टर, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत । (14/77/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
67.	सुश्री अंजलि गुप्ता, जनपद उन्नाव, उ.प्र. की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत । (14/173/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
68.	श्रीमती कीर्ति गौतम, सचिव, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद की संपादक, दैनिक जागरण, इलाहाबाद, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत । (14/292/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	निदेशों सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
प्रेस और मानहानि			
69.	डा. प्रतीम शर्मा, असम की सम्पादक, असमिया खबर, असम के विरूद्ध शिकायत। (14/383/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
70.	डा. प्रतीम शर्मा, असम की संपादक नियोमिया बार्ता, के विरूद्ध शिकायत। (14/485/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
71.	श्री सफल कुमार खौंड, अध्यक्ष जोरहाट असम की संपादक, असमिया प्रतिदिन, के विरूद्ध शिकायत। (14/506/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
72.	डा० संग्राम केसरी मोहपात्रा, प्रबंध निदेशक, श्री श्री बोरडा अस्पताल, ओडीशा की संपादक, दि सेवा श्री, के विरूद्ध शिकायत। (14/542/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
73.	श्रीमती ज्योति सिंह, सोनीपत, हरियाणा की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/177/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
74.	श्रीमती ज्योति सिंह, सोनीपत, हरियाणा की संपादक, पंजाब केसरी के विरूद्ध शिकायत। (14/178/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
75.	श्री वी. सागर, सचिव, दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, राजस्थान पत्रिका, के विरूद्ध शिकायत। (14/215/ 18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
76.	श्री वी. सागर, सचिव, दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, दि इक्नामिक टाइम्स,के विरूद्ध शिकायत। (14/243/ 18-19-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त
77.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल, शिमला की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/127/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
78.	प्रधानाचार्य, डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा कालेज, कांगड़ा टांडा, हिमाचल प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/221/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
79.	श्री शुभम अग्रवाल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/106/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
80.	श्री शुभम अग्रवाल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादकों, दैनिक जागरण के विरूद्ध शिकायत। (14/107/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
81.	श्री अहमद मोहम्मद, नई दिल्ली की संपादक, दि हिन्दुस्तान टाइम्स के विरूद्ध शिकायत। (14/386/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	आश्वासन देने पर समाप्त
82.	श्री डोलराज गैरे, भोपाल मध्य प्रदेश की संपादक, प्रदेश टूडे, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/309/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा
83.	श्री सुरेश हरचन्दानी एवं अन्य, निदेशक, नव जीवन सहकारी बैंक लि०, उल्हास नगर की कल्याण क्लीन टाइम्स, उल्हास नगर के विरूद्ध शिकायत। (14/322/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
84.	श्री अजीत शंकरलाल भाटिया, थाणे, महाराष्ट्र की कल्याण क्लीन टाइम्स, उल्हास नगर के विरूद्ध शिकायत । (14/471/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	समाप्त
85.	श्री ललित जैन, ज्योति फ्लेम्स, (भारत गैस एजेंसी), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/149/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	परिनिन्दा

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
86.	मोहम्मद समीर, जयपुर, राजस्थान की हिन्दुस्तान, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। (14/191/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त
87.	श्री वेणुगोपाल दर्भा, कोडिंग अधिकारी, सरकारी अफीम व एल्कालायड वर्क्स, नीमच, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, रतलाम, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/175/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
88.	डा. ठाकुर मुकेश सिंह चौहान, हाजीपुर, बिहार की संपादक, दैनिक भास्कर, पटना, के विरूद्ध शिकायत। (14/78/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
89.	श्री अशोक कुमार रस्तोगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/183/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
90.	पतंजलि योगपीठ महर्षि दयानन्द ग्राम, हरिद्वार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की संपादक, फार्मेसिस्ट टाइम्स, नागपुर, महाराष्ट्र के विरूद्ध शिकायत। (14/525/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	निदेशों सहित समाप्त
91.	श्री जटा शंकर, अध्यक्ष, श्री काशी जीवदया विस्तरणी गौशाला की संपादक, गूंज उठी रणभेरी, हिन्दी साप्ताहिक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के	29/5/2019	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	विरूद्ध शिकायत। (14/290/18-19-पीसीआई)		
92.	श्री भानु प्रकाश मिश्रा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/250/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	आश्वासन देने पर समाप्त
93.	श्री हरी राम महरोलिया, मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक, कोटा जंक्शन, कोटा, राजस्थान की संपादक, चम्बल संदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/276/18-19-पीसीआई)	29/5/2019	खारिज
94.	श्री हर्षवर्धन सिंह भदौरिया, नोएडा की संपादक, दैनिक यू.पी. न्यूज़ एक्सप्रेस के विरुद्ध शिकायत। (14/52/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
95.	श्री रामआश्रय सिंह यादव, नोएडा की संपादक, दैनिक यू.पी. न्यूज़ एक्सप्रेस के विरूद्ध शिकायत। (14/83/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
96.	श्रीमती सीमा शर्मा, नोएडा की संपादक, दैनिक यू.पी. न्यूज़ एक्सप्रेस के विरूद्ध शिकायत। (14/205/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
97.	श्री एम.पी.नाथेनेल, सलाहकार (जन संपर्क), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद "एनसीईआरटी", नई दिल्ली की संपादक, ग्रेनो एक्सप्रेस,	22/8/2019	स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
	गौतमबुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) के विरूद्ध शिकायत। (14/435/18-19-पीसीआई)		
98.	डॉ. सुधाकर सिंह, बचपन अस्पताल, लखनऊ की संपादक, हिंदुस्तान के विरूद्ध शिकायत। (14/374/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
99.	डॉ. सुधाकर सिंह, बचपन अस्पताल, लखनऊ की संपादक, नवभारत टाइम्स के विरूद्ध शिकायत। (14/375/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
100.	श्री संजीव पारिया, फतेहगढ़ की संपादक, यूथ इंडिया के विरूद्ध शिकायत। (14/376/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
101.	श्री आनंद भान साख्या, फरूखाबाद की संपादक, यूथ इंडिया के विरूद्ध शिकायत। (14/27/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
102.	श्री अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता, फरूखाबाद की संपादक, यूथ इंडिया के विरूद्ध शिकायत। (14/163/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
103.	श्री अरूण शर्मा, निदेशक प्रशासन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन मुख्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की संपादक, यूनियन टेरिटरी इंडिपेंडेंट के विरूद्ध शिकायत। (14/181/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
104.	श्री कमलकांत तिवारी, अध्यक्ष, सुभाष, चिल्ड्रन सोसायटी, कानपुर शहर की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/385/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
105.	श्री राजीव कुमार, गाजियाबाद की संपादक, ट्रू टाइम्स के विरूद्ध शिकायत। (14/280/ 18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
106.	श्री एस. उदय शंकर, चेन्नई की संपादक, दिनामलार के विरूद्ध शिकायत। (14/402/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
107.	डॉ० ससी कांथ, सहायक प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन, ए.सी.एस.आर. सरकारी मेडिकल कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश की संपादक, दैनिक साक्षी, हैदराबाद के विरूद्ध शिकायत। (14/244/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाचारपत्र प्रबंधन द्वारा आश्वासन देने पर कार्यवाही समाप्त
108.	श्री रेवरेंड पी. डेविड नानाय, तमिलनाडु की संपादक, कुमुदम रिपोर्टर के विरूद्ध शिकायत। (14/11/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	अनुवर्ती समाचार के प्रकाशन के निदेश सहित समाप्त
109.	श्री एम. राजेंद्र कुमार, आंध्र प्रदेश की संपादक, 'नेती महात्मा' के विरूद्ध शिकायत। (14/91/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	चेतावनी
110.	श्री मुप्पीडी श्रीनिवास, करीमनगर की संपादक, 'प्रजा थीरपू' के विरूद्ध शिकायत। (14/301/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	परिनिंदा

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
111.	मोहम्मद बशीर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरल राज्य समिति की संपादक, केसरी साप्ताहिक के विरूद्ध शिकायत। (14/343/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
112.	मोहम्मद बशीर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरल राज्य समिति की संपादक, मंगलम दैनिक के विरूद्ध शिकायत। (14/344/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
113.	निदेशक, मणिधनेयम चैरिटेबल ट्रस्ट के नि:शुल्क आईएएस तथा आईपीएस कोचिंग सेंटर, चेन्नई की संपादक, तामिझ मुरासु के विरूद्ध शिकायत। (14/88/ 17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
114.	निदेशक, मणिधनेयम चैरिटेबल ट्रस्ट के नि:शुल्क आईएएस तथा आईपीएस कोचिंग सेंटर, चेन्नई की संपादक, दिनाकरण के विरूद्ध शिकायत। (14/89/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
115.	श्री एस.गोपाल, पुद्दुचेरी की संपादक, सामाथुवम, साप्ताहिक पत्रिका के विरूद्ध शिकायत। (14/422/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	परिनिंदा
116.	श्री संथोश भारथी गुरूजी, शिमोगा, कर्नाटक की संपादक, हाय बैंगलोर के विरूद्ध शिकायत। (14/200/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
117.	श्री प्रकाश एम. स्वामी, वरिष्ठ पत्रकार की संपादक, नक्कहीरन, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत। (14/378/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
118.	श्री एस.एम. हट्टी, कर्नाटक की संपादक, बेंकी बेवडु के विरूद्ध शिकायत। (14/503/ 18-19-पीसीआई)	22/8/2019	परिनिंदा
119.	श्री एस.सी. मंगेश कुमार, तमिलनाडु की संपादक, विलमुरासु के विरूद्ध शिकायत। (14/370/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
120.	श्री निरंजन बरमन, स्पीकर के ओएसडी, त्रिपुरा विधानसभा, अगरतला की संपादक, बितिरना के विरूद्ध शिकायत। (14/467/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
121.	श्री सौरभ प्रियादर्शी, प्रधानाचार्य, जे.एस.एम. डी.ए.वी., धनबाद, झारखंड की संपादक, दैनिक भास्कर, के विरूद्ध शिकायत। (14/421/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
122.	श्री अविनाश कुमार, बिहार की संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध शिकायत। (14/524/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
123.	श्री सत्यम कुमार भारती, झारखंड की संपादक, प्रभात खबर के विरूद्ध शिकायत। (14/333/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
124.	श्री राजीव कुमार, औरंगाबाद, बिहार की संपादक, दैनिक जागरण के विरूद्ध शिकायत। (14/414/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
125.	श्री विद्यानंद नंद कियोलैयर, बोकारो की संपादक, प्रभात खबर के विरूद्ध शिकायत। (14/405/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
126.	श्री शिव शंकर साहनी, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, मुजफ़्फरपुर, बिहार की संपादक, हिंदुस्तान भास्कर के विरूद्ध शिकायत। (14/421/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
127.	श्री शिव शंकर साहनी, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, मुजफ़्फरपुर, बिहार की संपादक, प्रभात खबर के विरूद्ध शिकायत । (14/422/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
128.	श्री शिव शंकर साहनी, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, मुजफ़्फरपुर, बिहार की संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध शिकायत । (14/423/17-18-पीसीआई)	22/8/2019	खारिज
129.	डॉ॰ जे. के. नंदी, रजिस्ट्रार, विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल की संपादक, जन स्वार्थ बार्ता, कोलकाता के विरूद्ध शिकायत। (14/136/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
130.	श्री आशुतोष कुमार सक्सेना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी, लखनऊ, उ.प्र. की संपादक, स्वतंत्र भारत, लखनऊ, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (14/441/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
131.	डॉ. जे.एन. पांडे, अध्यक्ष, सेंट्रल वुमेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लखनऊ की संपादक, हिन्दुस्तान, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (14/535/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
132.	श्री जय भगवान गोयल, चीका, हरियाणा, की संपादक,चीका टूडे, चीका-तहसील, गुहला, कैथल, हरियाणा, के विरूद्ध शिकायत। (14/443/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त
133.	श्री प्रवीण ठकराल, अध्यक्ष, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, भोपाल, म.प्र. की संपादक, प्रदेश टूडे, भोपाल, (म.प्र.), के विरुद्ध शिकायत। (14/230/18-19–पीसीआई)	15/11/2019	टिप्पणियों सहित समाप्त
134.	श्री शैलेंद्र सिंह, छतरपुर, म.प्र. की संपादक, प्रदेश हैड्लाइन्स, म.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (14/294/17-18-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
135.	सुश्री प्रतीक्षा गोदारा, पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा, की संपादक, दैनिक जागरण, जागरण प्रकाशन लि., जागरण बिल्डिंग, कानपुर (उ.प्र.), के विरूद्ध शिकायत। (14/341/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
136.	रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, की संपादक, अमर उजाला, मोखमपुर, दिल्ली रोड, मेरठ के विरूद्ध शिकायत। (14/92/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
137.	श्री संदीप कुमार पटनायक, जेल रोड, केनझारगढ़ केंदुझार, ओडिशा, की संपादक, संबाद, ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, रसूलगढ़, खुर्दा, भुवनेश्वर, के विरूद्ध शिकायत। (14/582/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
138.	श्री विवेक शर्मा, आईआरटीएस,वरिष्ठ प्रभागीय व्यवसायिक प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद, उ.प्र. की संपादक, विधानकेसरी, लखनऊ, उ.प्र., के विरूद्ध शिकायत। (14/526/17-18-पीसीआई)	15/11/2019	समाप्त
139.	श्री वी. सागर, सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, की संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरठ, उ.प्र., के विरूद्ध शिकायत। (14/490/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	निदेशों सहित समाप्त-सावधान किया गया

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
140.	श्री जतिन्द्र शर्मा, वकील, बरनाला, पंजाब, की संपादक, जागृति लहर तथा अमर उजाला, जालंधर, पंजाब, के विरूद्ध शिकायत। (14/74/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	शिकायत वापिस लिए जाने के कारण समाप्त
141.	श्री अहमद मंकाबाथ शाह खान, जिला-करीमनगर, तेलंगाना, की संपादक, डेक्कन क्रोनिकल, हैदराबाद, के विरूद्ध शिकायत। (14/366/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
142.	श्री दीपक हेदौ, सिविल इंजीनियर, नागपुर नगर निगम, नागपुर महाराष्ट्र, की संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के विरूद्ध शिकायत। (14/319/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
143.	श्री दीपक हेदौ, सिविल इंजीनियर, नागपुर नगर निगम, नागपुर, महाराष्ट्र की संपादक, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़, के विरूद्ध शिकायत। (14/320/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
144.	श्री हरनाम सिंह आज़ाद, जयपुर, की श्री सुरेश योगी, रिपोर्टर, दैनिक नवज्योति, जयपुर, के विरूद्ध शिकायत। (14/115/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
145.	श्री सौरभ जैन, नागपुर, राजस्थान, की संपादक, राजस्थान पत्रिका, के विरूद्ध शिकायत। (14/657/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
146.	श्री अजय जैन, भोपाल (म.प्र.), की संपादक, दैनिक पत्रिका के विरूद्ध शिकायत । (14/431/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
147.	श्री अजय जैन, भोपाल (म.प्र.), की संपादक, दैनिक भास्कर, के विरूद्ध शिकायत । (14/432/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
148.	श्री आनंद भान शाक्या, फ़र्रुखाबाद, उ.प्र. की संपादक, सुनामी लहर के विरुद्ध शिकायत । (14/29/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
149.	श्री अब्दुल हन्नान, लखनऊ, उ.प्र. की संपादक, अमर उजाला के विरूद्ध शिकायत। (14/643/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
150.	श्री विवेक सिंह, अधिवक्ता, फ़ैज़ाबाद, उ.प्र. की संपादक, दैनिक हिंदुस्तान के विरुद्ध शिकायत। (14/660/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
151.	श्री रणजीत सिंह, हुगली, पश्चिम बंगाल की संपादक, अमर उजाला के विरुद्ध शिकायत। (14/337/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
152.	श्री अब्दुल हन्नान, लखनऊ, उ.प्र. की संपादक, इंक़लाब उर्दू दैनिक, लखनऊ के विरूद्ध शिकायत। (14/642/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
153.	श्री नीरज गर्ग, मेरठ, उ.प्र. की संपादक, दैनिक जागरण के विरुद्ध शिकायत। (14/267/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
154.	श्री ब्रतधारी शुक्ला, जौनपुर, उ.प्र. की संपादक, अमर उजाला, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (14/48/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के निदेश सहित खारिज
155.	श्री पी. के. सिहं, उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर, कानपुर की संपादक, दैनिक खुलासा द विज़न के विरुद्ध शिकायत।) (14/281/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	परिनिंदा
156.	श्री नमो जैन, अध्यक्ष और श्री पवन सोनी, महा सचिव, मेरठ एलपीजी वितरक संघ, मेरठ, उ.प्र. की संपादक, ऑन द स्पॉट, मेरठ, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (14/621/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
157.	श्री अज़मल-उल- रहमान, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. की संपादक, हिन्द दर्शन, के विरुद्ध शिकायत । (14/474/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
प्रेस और नैतिकता			
158.	श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, राजस्थान, की संपादक, मिड-डे, मुंबई, के विरूद्ध शिकायत। (14/589/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
159.	श्रीमती दुर्गा देवी दधीच, फुलेरा, राजस्थान, की ठाणे की आवाज़, ठाणे, महाराष्ट्र, के विरूद्ध शिकायत। (14/426/ 18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
160.	श्री गोपाल मिरचंदानी, मुंबई की संपादक, इकनॉमिक टाइम्स, के विरूद्ध शिकायत। (14/584/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
161.	श्री केदार नाथ चतुर्वेदी, उ.प्र. की संपादक,पायोनियर के विरुद्ध शिकायत । (14/576/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
162.	श्री केदार नाथ चतुर्वेदी, उ.प्र. की संपादक, दैनिक नागरछाया के विरुद्ध शिकायत। (14/577/18-19-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
163.	श्री सुरजीत सिंह, उ.प्र. की श्री नित्य प्रकाश मिश्रा, रिपोर्टर, एबीपी न्यूज़, ईटीवी भारत के विरुद्ध शिकायत । (14/145/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज
164.	श्री अजय के. वर्मा, प्रोप्राइटर, माँ भगवती ड्रग हॉल, अलीगढ़, उ.प्र. की संपादक, हितेशी की जंग के विरुद्ध शिकायत । (14/176/19-20-पीसीआई)	22/1/2020	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
स्व प्रेरणा से संज्ञान			
165.	राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, द्वारा गोपनीय एवं अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन के प्रकाशन के संदर्भ में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (14/127/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	कार्यवाही बंद (Dropped)
166.	हिंदुस्तान, नई दिल्ली, द्वारा अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन के प्रकाशन के संदर्भ में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (14/11/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
167.	दैनिक जागरण, नई दिल्ली, द्वारा गोपनीय एवं अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन के प्रकाशन के संदर्भ में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (14/128/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
168.	आंध्रा ज्योति, हैदराबाद द्वारा झूठे तथा पेड समाचार प्रकाशित करने पर स्व प्रेरणा से संज्ञान।(14/5/सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
पेड समाचार			
169.	श्री सुरेन्द्र सिंह जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। (14/328/पेड-न्यूज़/16-17-पीसीआई)	29/5/2019	कार्रवाई बंद

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
170.	द हिंदु थिरूवनंथपुरम संस्करण में पेड समाचार के प्रकाशन के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य से प्राप्त संदर्भ। (14/1046/पेड न्यूज़/14-15-पीसीआई)	22/8/2019	समाप्त
171.	पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए हरिभूमि, रोहतक, हरियाणा, (जींद, भूमि) के खिलाफ मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति, जींद, हरियाणा से प्राप्त संदर्भ। (14/166/पेड न्यूज़/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
172.	पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए दैनिक भास्कर (जींद भास्कर), पानीपत, हरियाणा, के खिलाफ मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) जींद, हरियाणा से प्राप्त संदर्भ। (14/167/पेड न्यूज़/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
173.	पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए जींद जागरण (दैनिक जागरण), पानीपत, हरियाणा के खिलाफ मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) जींद से प्राप्त-संदर्भ। (14/168/ पेड न्यूज़/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज
174.	पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए पंजाब केसरी (जींद केसरी) के खिलाफ मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी), जींद, हरियाणा से प्राप्त संदर्भ । (14/169/पेड न्यूज़/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
175.	पेड न्यूज के प्रकाशन के लिए संपादक, जागरूक जनता, जयपुर, राजस्थान के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त संदर्भ। सीईओ, राजस्थान (परिनिंदा) (14/693/पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
176.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, संध्या दैनिक योर्कर, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/668/ पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
177.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, नव युवक की ललकार, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/674/ पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
178.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, बजरिया की भोर, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/678/पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
179.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, हुक्मनामा समाचार, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/680/ पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
180.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, रॉयल पत्रिका, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/691/पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
181.	पेड न्यूज़ के प्रकाशन हेतु संपादक, जयपुर टाइम्स, के विरूद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा सीईओ, राजस्थान से प्राप्त संदर्भ। (14/692/पेड न्यूज़/18-19-पीसीआई)	15/11/2019	परिनिंदा
सांप्रदायिक, जातीय राष्ट्र विरोधी, पंथ विरोधी लेखन			
182.	श्री प्रेम कुमार सिंह, दिल्ली की संपादक, द इंडियन एक्सप्रेस के विरूद्ध शिकायत। (14/418/17-18-पीसीआई)	29/5/2019	निदेश सहित समाप्त
183.	सुश्री किकीडोर नौंसियांग, मेघालय की संपादक, द शिलौंग टाइम्स के विरूद्ध शिकायत। (14/204/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	समाचारपत्र द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का आश्वासन दिये जाने पर मामला समाप्त
184.	श्री विजय कुमार अमन, बिहार की संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध शिकायत। (14/397/18-19-पीसीआई)	22/8/2019	खेद प्रकाशित करने के निदेश सहित समाप्त

क.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
185.	श्री पवन कुमार त्रिवेदी, वकील, जयपुर, की संपादक, न्यूज़ ऑफ द डे, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत। (14/152/19-20-पीसीआई)	15/11/2019	खारिज

संलग्नक-घ

न्यायनिर्णयों का आलेख 2019-20

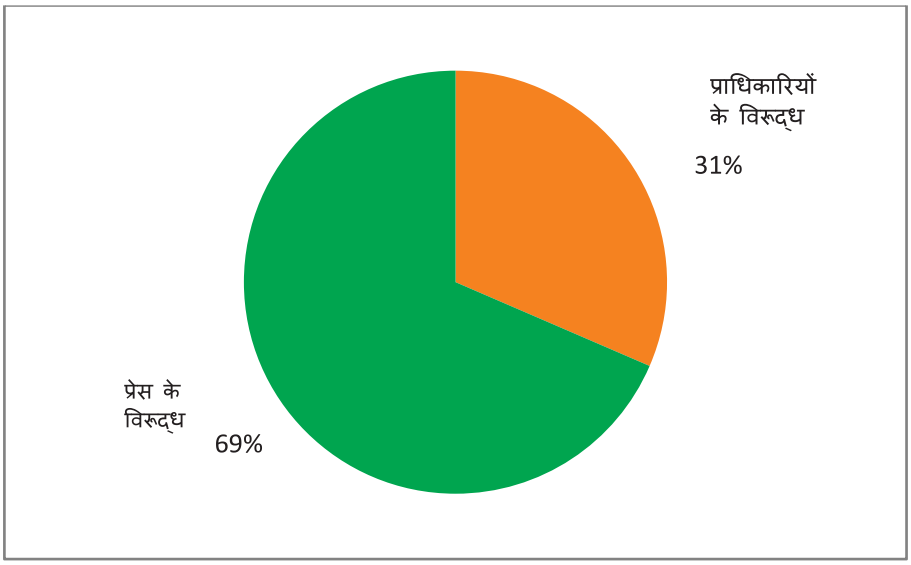

प्राधिकारियों के विरूद्ध

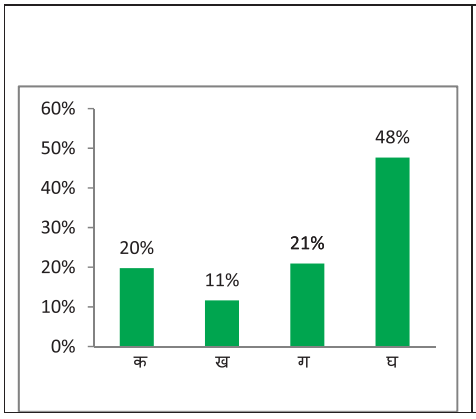

प्रेस के विरूद्ध

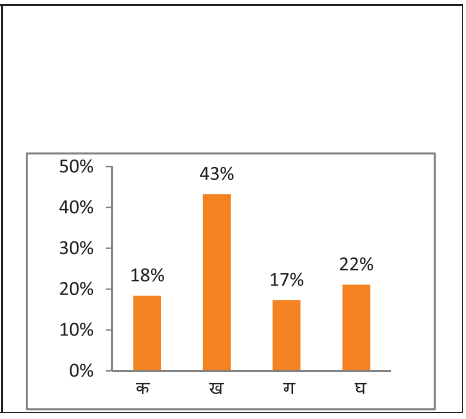

पाद टिप्पण:

क. अनुमोदित

ख. अस्वीकृत

ग. आश्वासन/निपटान/संशोधन

घ. जारी न रखने/न्यायाधीन होने/निराधार होने पर बंद

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2989] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019 / भाद्र, 22, 1941
No. 2989] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

का. आ. 3267(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1194 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 7 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"श्री राकेश सिन्हा

वर्तमान पता : एबी-98, शाहजहां रोड़

नई दिल्ली – 110011

स्थायी पता : ग्राम – मनसेरपुर

डाकखाना: लखमिनिया, जिला-बेगूसराय

बिहार – 851211"

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1194 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3752] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941
No. 3752] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

का.आ.4178 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2182 (अ), तारीख 30 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 14 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"श्री राकेश शर्मा,

कार्यकारी निदेशक, आज समाज,

तीसरा तल, सेंट्रल एवेन्यू, महारानी बाग,

नई दिल्ली-110065।

निवास: 267, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश II

नई दिल्ली-110048"

[फा.सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2182(अ), तारीख 30 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6358 (अ), तारीख 28.12.18 द्वारा संशोधित की गई थी।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4021] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941
No. 4021] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4480(अ)— केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (3) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1194(अ), तारीख 16 मार्च, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2. श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता,
सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद, 1,
शिवायातन, हरी कृष्ण कालोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।"

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस(भाग 1)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1194(अ), तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्यांक 1788(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2018 और का.आ. संख्यांक 3267(अ), तारीख 13 सितंबर, 2019 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218851
CG-DL-E-23032020-218851

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941
No. 1033] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

का.आ. 1151(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 2182(अ), तारीख 30 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 10 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"श्री आनन्द प्रकाश राणा
विशेष सम्पर्की, हरि भूमि
129, ट्रांसपोर्ट सेंटर,
पंजाबी बाग, दिल्ली-26
निवास: एच.न. 5, कुतब गढ़, दिल्ली-39
संपर्क: 9818246804
rana.apr@gmail.com

[फा.सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2182(अ), तारीख 30 मई, 2018 और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 6358(अ), तारीख 28.12.2018 और का.आ. 3267(अ), तारीख 13.09.2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

संलग्नक-झ

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची (2019-2020)

क्र.सं.	पक्षकार	रद्द करना/ अस्वीकृत	आदेश की तिथि	स्टेटस
1.	श्री किशोर म्हामने, प्रकाशक/ संपादक, दैनिक किर्णोदय, सांगोला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र की, उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट, मंगलवेधा, सोलापुर, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/5/2018 के खिलाफ अपील। (मि.सं.27/39/18-19)	रद्द	30.5.2019	निदेश सहित अपास्त
2.	श्री एस.कन्नपन, प्रकाशक मंद्र मडल, टी/एम चेन्नई, तमिलनाडू की,मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई, तमिलनाडू द्वारा दिनांक 12/4/2018 को पारित आदेश के खिलाफ अपील। (मि.सं. 27/36/18-19)	सत्यापन अस्वीकार कर दिया गया	30.5.2019	समाप्त
3.	उपप्रभागीय मैजिस्ट्रेट/राजस्व प्रभागीय अधिकारी, एसडीएम/ आरडीओ कार्यालय, तिरुनेल्वेलि, तमिल नाडु द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.03.2017 के विरुद्ध श्री रामलिंगम, प्रकाशक, दीना तरणी, पलयामकोट्टई तालुक, जिला	रद्द	22.7.2019	अपास्त

	तिरुनेल्वेलि तमिल नाडु की अपील। (मि.सं. 27/38/18-19)			
4.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21/3/2018 के विरूद्ध श्री महेश एम.सुंद्राणी, प्रकाशक, केमिस्ट का संदेश, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/43/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
5.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21/3/2018 के विरूद्ध श्रीमती भारतीबेन अजीतभाई राठौड़, प्रकाशक, महिसागर भास्कर, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। मि.सं. (27/44/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
6.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23/3/2018 के विरूद्ध श्रीमती अंजनाबेन जितेंद्र कुमार भगवानी, प्रकाशक, गोधरा टुडे, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/45/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त

7.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28/3/2018 के विरूद्ध श्री जीतुभाई नारानदास भगवानी, प्रकाशक, गोधरा समाचार, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/46/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
8.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23/3/2018 के विरूद्ध श्रीमती आचलबेन महेश कुमार सुंद्राणी, प्रकाशक, पंचमहल संदेश, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/47/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
9.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17/3/2018 के विरूद्ध श्री राजेशभाई नारानभाई चंपानेरिया, प्रकाशक, गुजरात यूनिटी, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/48/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त

10.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14/3/2018 के विरूद्ध श्रीमती ताहिराबानु सोएब मौलवी, प्रकाशक, टाइम पास टाइम्स, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/49/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
11.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23/3/2018 के विरूद्ध श्री करन जे. भागवानी, प्रकाशक, लुनावड़ा समाचार, पाक्षिक, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/50/19-20)	घोषणा अस्वीकार कर दी गयी।	22.7.2019	अपास्त
12.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, जलना, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14/5/2019 के विरूद्ध श्री अर्पण कमल किशोर गोयल, स्वामी/प्रकाशक, एवं संपादक, गोकुलनीति, मराठी दैनिक, जलना, महाराष्ट्र की अपील। (मि.सं. 27/51/19-20)	रद्द	22.7.2019	अपास्त
13.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, गोधरा जिला-पंचमहल, गुजरात द्वारा	रद्द	23.8.2019	अपास्त

	पारित आदेश दिनांकित 12.3.2018 के विरूद्ध श्री इमरान खालिद, प्रकाशक, अवलोकन, गोधरा, गुजरात की अपील। (मि.सं. 27/25/18-19)			
14.	प्रेस अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट, अलीगढ़, उ.प्र. के आदेश दिनांकित 03/1/2018 के विरूद्ध श्री भूदेव प्रसाद, मालिक/प्रकाशक, 'अलीगढ़ हंगामा', अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की अपील। (मि.सं. 27/29/17-18)	निलंबित	23.8.2019	जांच समिति के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया गया।
15.	ऐडएक्सप्रेस की घोषणा को रद्द करने के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट, पुडुचेरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.7.2019 के विरूद्ध श्री पी.एंटनी, प्रकाशक/संपादक, ऐडएक्सप्रेस, पुद्दुचेरी, की अपील। (मि.सं. 27/54/19-20)	रद्द	14.10.2019	अपास्त
16.	श्री सुधाकर, स्वामी/प्रकाशक हुक्केरी टाइम्स, जिला बेलगावी, कर्नाटक की शीर्षक के सत्यापन को अस्वीकार करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट, बेलगावी, कर्नाटक के पारित आदेश दिनांकित 3.2.2018 के	रद्द	23.1.2020	निदेश सहित अपास्त

	विरूद्ध अपील। (मि.सं. 27/40/18-19)			
17.	श्री संतोष धभई, सैलाना, रतलाम दर्शन, सांध्य हिंदी दैनिक और साभार दर्शन, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश की आर.एन.आई. और अपर जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम, म. प्र. के आदेश दिनांक 5/1/2018 के विरूद्ध अपील। (मि.सं. 27/56/19-20)	शीर्षक के लिए आवेदन को रद्द किया गया।	16.3.2020	अनुरोध पर स्थगित

प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों में किए गए न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

- पत्रकार को गवाह के रूप में समन करते हुए, उसकी सुविधा सर्वोपरि है, न की जांच एजेंसी की सुविधा। पत्रकार की गोपनीयता सुरक्षित रहनी चाहिए।

- एक गवाह, जांच एजेंसी का मुख्य केंद्र बिन्दु होता है और यह मामले की जांच के हित में है कि पूछताछ के दौरान उसकी (गवाह की) सुविधा को जांच एजेंसी की सुविधा से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। (आकीब जावेद, रिपोर्टर, कश्मीर ऑबज़र्वर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा समन किए जाने के संबंध में स्व प्रेरणा संज्ञान, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.5.2019)

- समाचारपत्र को जलाना या उसमें बाधा उत्पन्न करना प्रत्यक्ष रूप से समाचारपत्रों के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, यह प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ("अरुणाचल टाइम्स" की प्रतियां जलाने व नष्ट करने के संबंध में स्व प्रेरणा संज्ञान, न्यायनिर्णय दिनांकित 22.8.2019)

- ऐसे मामलों में, जहां प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है किसी व्यक्ति द्वारा औपचारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराना है, यह जांच के लिए आवश्यक नहीं है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह मामले को दर्ज करे और उसकी जांच करे। (भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इम्फ़ाल (मणिपुर) में डेली पोकनाफम की प्रतियां जलाने के संबंध में न्यायनिर्णय दिनांकित 22.8.2019)

प्रेस को सुविधाएं

- विज्ञापन, सरकार द्वारा विज्ञापन नीति के अनुसार दिया जाना चाहिए और इसे चयनित दैनिकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। (श्री एच. युनूस,

अध्यक्ष, थेंड्रल न्यू एडिटर्स एसोसिएशन, पुदुचेरी की पुदुचेरी सरकार के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 22.08.2019)

कटौती

- समाचारपत्र के संपादक और संवाददाता के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले में, यदि गलती, प्रेस को धमकाने के लिए, इरादतन की गई हो, तो कोई भी जिम्मेदार सरकार जोकि प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, से अपेक्षित है कि वह ऐसे अधिकारी के अवैध कार्यों, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, के विरूद्ध कार्रवाई करे।

- हर जिम्मेदार सरकार को यह स्मरण रहना चाहिए कि लोकतंत्र के बने रहने के लिए चौथे स्तम्भ का मजबूत होना अनिवार्य है। (श्री रवीद्र कुमार, संपादक और प्रबंध निदेशक, द स्टेट्समैन लिमिटेड, कोलकाता की शिकायत बनाम कोलकाता पुलिस, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.5.2019)

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

- मीडिया पास घटना की कवरेज और रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को जारी किए जाने चाहिए न कि किसी अन्य को, क्योंकि यह मीडिया के हित में नहीं होगा। (श्री विनय कुमार, रिपोर्टर, प्रभात खबर, खगड़िया, बिहार की शिकायत बनाम श्री कमल सिंह, जिला जनसंपर्क अधिकारी (डीपीआरओ), खगड़िया, न्यायनिर्णय दिनांकित 22.8.2019)

- किसी भी पत्रकार को उचित/विधिसंगत पत्रकारिता संबंधी कार्यों जोकि उससे अपेक्षित है और उसने किये हैं, के लिए उत्पीड़ित/परेशान नहीं किया जाएगा। प्राधिकारणों को संदेश को नष्ट करना चाहिए न की संदेशवाहक को। (श्री संजीव नयन, संपादक, समाचार वर्षा, पुलिस स्टेडियम रोड़, पलामू, झारखंड की शिकायत बनाम एस.डी.एम. पलामू, न्यायनिर्णय दिनांकित 22.8.2019)

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

सिद्धांत और प्रकाशन

सुधार

- सुधार और माफी या खेद प्रकट करने को समाचारपत्रों के उसी संस्करण में समुचित प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। (सुश्री शोभा अग्रवाल, सदस्य, एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन, नई दिल्ली की संपादक, द हिन्दू के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2019)

विज्ञापन

- समाचारपत्र, भारत के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीरों का उपयोग कर विज्ञापनों को इरादतन खबर के रूप में प्रकाशित नहीं करेगा। (श्री अजय गौतम, नई दिल्ली की हिंदुस्तान के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2019)

- समाचारपत्र (समाचारपत्रों) को खबर से मिलते जुलते विज्ञापन/ विज्ञापनिका को "विज्ञापन/विज्ञापनिका" शीर्षक के अंतर्गत मोटे अक्षरों में, जिनका आकार पृष्ठ में मौजूद उप-शीर्षकों जितना ही हो, प्रकाशित करना होगा। (श्री चन्द्र मोहन वथ्यम, हैदराबाद की डेक्कन क्रोनिकल के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 15.11.2019)

संपादक का विवेक

- संपादकीय, संपादक के विचारों की अभिव्यक्ति होते हैं जोकि भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत हैं, और किसी व्यक्ति के इससे सहमत होने या न होने के बावजूद यह मानकों का उल्लंघन नहीं है। (श्री एस.एस. राणावत, भीलवाड़ा, राजस्थान की नया इंडिया के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 15.11.2019)

सांप्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी और पंथ-विरोधी लेखन

जाति, पंथ या सांप्रदायिक संदर्भ

- 'दलित' शब्द/अभिव्यक्ति का प्रयोग किसी समुदाय को भड़काने या नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाएगा। (श्री प्रेम कुमार सिंह, दिल्ली की संपादक, द इंडियन एक्सप्रेस के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2019)

प्रेस और मानहानि

संपादक का विवेक

- संपादक, समाचारपत्र (समाचारपत्रों) में प्रकाशित सभी तथ्यों के लिए जिम्मेदार है। (श्री वी सागर, सचिव, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, राजस्थान पत्रिका के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2019)

- संपादकों को नौकरी/रोजगार के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाज के प्रति अपना कर्तव्य स्मरण रहना चाहिए क्योंकि अधूरी जानकारी वाले ऐसे विज्ञापन मानव तस्करी में सहायक हो सकते हैं और इनकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल होनी चाहिए। (श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, राजस्थान की मिड-डे, मुंबई के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 15.11.2019)

स्व-प्रेरणा से संज्ञान

पेड समाचार

- समाचारपत्र किसी भी राजनीतिक पार्टी की विजय की भविष्यवाणी करते हुए ऐसे किसी भी समाचार सर्वेक्षण को, सत्यापन किए बिना, प्रकाशित नहीं करेंगे। (आंध्र ज्योति द्वारा पेड/फर्जी समाचार के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान, न्यायनिर्णय दिनांकित 15.11.2019)

प्रेस और नैतिकता

विज्ञापन

- नौकरियों के लिए विज्ञापन का प्रकाशन, केवल फोन नंबर देते हुए और कोई अन्य जानकारी, दिये बिना, जैसे कि चयन के पश्चात् भावी अभ्यर्थी को किस प्रकार के कार्य करने होंगे तथा पहचान के लिए नियोक्ता का पता दिए बिना, उसे संदिग्ध विज्ञापन बना देते हैं और इसे प्रकाशित न करें क्योंकि यह मानव तस्करी में सहायक हो सकता है तथा यह अनैतिक कार्य है और इससे बहुत से भोले भाले लड़के-लड़कियां प्रभावित होंगे।

  'अस्वीकरण' प्रकाशित करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। रोजगार के विज्ञापनों को प्रकाशित करने वाले समाचारपत्रों को उपर्युक्त जानकारी भी प्रकाशित करनी चाहिए ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले। (श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, राजस्थान की मिड-डे, मुंबई के विरूद्ध शिकायत, न्यायनिर्णय दिनांकित 15.11.2019)